# वार्षिक रिपोर्ट

## 2009-2010

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा

# वार्षिक रिपोर्ट
# 2009-2010

**वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान**
सेक्टर–24, नोएडा–201 301 (उ.प्र.)

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान,
सेक्टर–24, नोएडा द्वारा प्रकाशित

प्रकाशन वर्ष : 2011

प्रतियां : 150

मुद्रक : इण्डिया ऑफसेट प्रेस,
ए–1, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया,
फेस–1, नई दिल्ली–110064
दूरभाष : +91 11 28116494, 9811526314

# विषय–सूची


| | |
|---|---|
| संस्थान का मैंडेट | 1 |
| संस्थान का ढाँचा | 2 |
| अनुसंधान | 7 |
| शिक्षा और प्रशिक्षण | 46 |
| प्रकाशन | 59 |
| एन. आर. डे. श्रम सूचना केन्द्र | 61 |
| राजभाषा नीति का कार्यान्वयन | 63 |
| कर्मचारियों की संख्या | 65 |
| फैकल्टी | 66 |
| वार्षिक लेखा और लेखा–परीक्षा रिपोर्ट 2009–10 | 67 |

# संस्थान का विज़न और मिशन

## विज़न

संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केन्द्र हो तथा जो कार्य संबंधों और कार्य की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प हो।

## मिशन

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केन्द्र के रूप में स्थापित करना है:-

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना
- विश्व प्रसिद्ध ऐसे संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।

# संस्थान का मैंडेट

जुलाई, 1972 में स्थापित, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम अनुसंधान और शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। अपने आरम्भ से ही संस्थान ने अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशन के माध्यम से संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विविध समूहों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के केन्द्र में शैक्षिक अंतर्दृष्टि और समझ को नीति निर्माण और कार्रवाई में शामिल करना रहा है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम को न्यायोचित स्थान मिल सके।

## उद्देश्य और मैंडेट

संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है, जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के मैंडेट में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:

(i) स्वयं या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वयन करना;

(ii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यकलापों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता करना;

(iii) निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना:

- (क) शिक्षा, प्रशिक्षण और ओरिएन्टेशन;
- (ख) अनुसंधान, जिसमें क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है;
- (ग) परामर्श; और
- (घ) प्रकाशन और अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो सोसाइटी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों।

(iv) श्रम और तत्संबद्ध कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनके कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना और उपचारात्मक उपाय सुझाना;

(v) लेख, पत्र–पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण और प्रकाशन करना;

(vi) पुस्तकालय और सूचना सेवाओं की स्थापना और रख–रखाव करना;

(vii) समान उद्देश्य वाली भारतीय और विदेशी संस्थाओं और अभिकरणों के साथ सहयोग करना; और

(viii) फैलोशिप, पुरस्कार और वृत्तिकाएं प्रदान करना।

# संस्थान का ढाँचा

संस्थान महापरिषद द्वारा शासित है, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है, जिसके सदस्यों में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, नियोक्ता संगठनों, कर्मकार संगठनों के प्रतिनिधि, संसद सदस्य, विधायक और श्रम के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति शामिल हैं। केन्द्रीय श्रम मंत्री इस महापरिषद के अध्यक्ष हैं। कार्यपरिषद, जिसके अध्यक्ष श्रम मंत्रालय के सचिव हैं, संस्थान के कार्यकलापों का नियंत्रण, मॉनीटरिंग और मार्गदर्शन करती है और कार्यकलापों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। संस्थान के रोजमर्रा के कामकाज में विविध विषयों में पारंगत फैकल्टी सदस्य और प्रशासनिक स्टाफ निदेशक की सहायता करते हैं।

## महापरिषद् का गठन

1. श्री मल्लिकार्जुन खरगे — अध्यक्ष
   श्रम एवं रोजगार मंत्री
   श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली–110 001
2. श्री हरीश रावत — उपाध्यक्ष
   श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
   श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली–110 001

## केन्द्रीय सरकार के छः प्रतिनिधि

3. श्री पी.सी. चतुर्वेदी, — उपाध्यक्ष
   सचिव (श्रम एवं रोजगार),
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन,
   नई दिल्ली – 110 001
4. श्री एस. के. श्रीवास्तव, — सदस्य
   अपर सचिव,
   श्रम शक्ति भवन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
   नई दिल्ली – 110 001
5. श्री अनूप पाण्डे — सदस्य
   संयुक्त सचिव,
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन,
   नई दिल्ली – 110 001
6. श्री चमन कुमार — सदस्य
   अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन,
   नई दिल्ली – 110 001

7. श्रीमती विभा पुरी दास — सदस्य
सचिव,
माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110 001

8. सुश्री नैनी जयासीलन — सदस्य
सलाहकार (श्रम एवं रोजगार),
योजना आयोग,
योजना भवन, नई दिल्ली–110 001

## कर्मकारों के दो प्रतिनिधि

9. श्री एस.एस. राव — सदस्य
महासचिव, भारतीय मजदूर संघ,
सूबेदार चेत्राम रोड, बंगलौर–560 009

10. श्री पी.टी. राव — सदस्य
सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी
भारतीय मजदूर संघ, एडाकाटिल हाउस,
सास्था मंदिर मार्ग, अलुवा–683101 (केरल)

## नियोक्ताओं के दो प्रतिनिधि

11. श्री के.सी. मेहरा — सदस्य
आवासी निदेशक (निगमित),
शापूर्जी पलौंजी एण्ड कं. लि., सी–81,
साउथ एक्सटेंशन, पार्ट–।।, नई दिल्ली–110 049

12. श्री विजय पुरी — सदस्य
क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, एफएएसआईआई
लघु विनिर्माता फोरम, गुड़गांव
6–बी, फ्रैण्डस कॉलोनी, झारसा रोड, गुड़गांव, हरियाणा

## चार प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्होंने श्रम के क्षेत्र में या सम्बद्ध क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया:

13. श्री एम.ए. अजीम — सदस्य
अजीम प्लेस,
गुलबर्गा एज्यूकेशन ट्रस्ट, नैहरू गंज एरिया,
गुलबर्गा–585104 (कर्नाटक)

14. श्री एम. वी. शशिकुमारन नायर — सदस्य
राजश्री मनक्कारा, सास्तामकोटा पी.ओ.,
जिला कोलाम (केरल)

15. डॉ. मुरारी लाल — सदस्य
3519, पॉकेट–5, फेज– I,
मयूर विहार, नई दिल्ली

16. श्री जितेन्द्र सिंह — सदस्य
सुपुत्र स्वर्गीय श्री भोलेन्द्र सिंह,
ए–64, आवास विकास कॉलोनी,
सूरजकुंड, गौरखपुर (उ.प्र.)

## दो संसद सदस्य (लोक सभा और राज्य सभा में से एक-एक)

17. डॉ. विनय कुमार पाण्डे — सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा),
143, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली

18. श्री राम चंद्र खुटिया — सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा),
26, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली– 100 001

## अनुसंधान संस्थान

19. श्री वारेश सिन्हा, भा.प्र.से. — सदस्य
महानिदेशक,
महात्मा गांधी श्रम संस्थान,
ड्राइव–इन रोड, मेम नगर, अहमदाबाद–380 062 (गुजरात)

## वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के प्रतिनिधि

20. श्री वी.पी. यजुर्वेदी — सदस्य सचिव
निदेशक,
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सेक्टर 24, नोएडा–201301

## कार्यपरिषद् का गठन

1. श्री पी.सी. चतुर्वेदी, — उपाध्यक्ष
सचिव (श्रम एवं रोजगार),
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली – 110 001

## केन्द्रीय सरकार के दो प्रतिनिधि

2. श्री चमन कुमार — सदस्य
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली – 110 001

3. श्री अनूप पाण्डे — सदस्य
संयुक्त सचिव,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली – 110 001

## कर्मकारों के दो प्रतिनिधि

4. श्री एस.एस. राव — सदस्य
महासचिव, भारतीय मजदूर संघ,
सूबेदार चेत्राम रोड, बंगलौर–560 009

5. श्री पी.टी. राव — सदस्य
सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी
भारतीय मजदूर संघ, एडाकाटिल हाउस,
सास्था मंदिर मार्ग, अलुवा–683101 (केरल)

## नियोक्ताओं के दो प्रतिनिधि

6. श्री के.सी. मेहरा — सदस्य
आवासी निदेशक (निगमित),
शापूर्जी पलौंजी एण्ड कं. लि., सी–81,
साउथ एक्सटेंशन, पार्ट–।।, नई दिल्ली–110 049

7. श्री विजय पुरी — सदस्य
क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, एफएएसआईआई
लघु विनिर्माता फोरम, गुड़गांव
6–बी, फ्रैण्डस कॉलोनी, झारसा रोड, गुड़गांव, हरियाणा

## दो प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्होंने श्रम के क्षेत्र में या सम्बद्ध क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया:

8. श्री एम.ए. अजीम — सदस्य
अजीम प्लेस,
गुलबर्गा एज्यूकेशन ट्रस्ट, नैहरू गंज एरिया,
गुलबर्गा–585104 (कर्नाटक)

9. डॉ. मुरारी लाल — सदस्य
359, पॉकेट–5, फेज– I,
मयूर विहार, नई दिल्ली

## संसद सदस्य

10. श्री राम चंद्र खुटिया — सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा),
26, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली– 100 001

## वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के प्रतिनिधि

11. श्री वी.पी. यजुर्वेदी — सदस्य
निदेशक,
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सेक्टर 24, नोएडा–201301

# अनुसंधान

संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान का केन्द्रीय स्थान है। संस्थान अपने आरम्भ से ही अनुसंधान कार्यों में सक्रिय रूप से लगा रहा है, जिसमें श्रम से जुड़े मुद्दों के विविध आयामों पर क्रियानिष्ठ अनुसंधान करना भी शामिल है परन्तु इन कार्यकलापों के केन्द्र में सदैव ही ऐसे मुद्दे रहे हैं, जो सीमान्त, वंचित और श्रम बल के संवेदनशील वर्गों से संबंधित हैं।

संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों के मुख्य उद्देश्यों को तीन व्यापक स्तरों पर रखा जा सकता है :

- अनुसंधान के मुद्दों की सैद्धान्तिक समझ को उन्नत बनाना।
- समुचित नीतिगत प्रतिक्रियाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक और आनुभविक आधार बनाना।
- क्षेत्र स्तरीय कार्रवाई/ हस्तक्षेपों की खोज करना, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रम बल के असंगठित वर्गों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना है।

इन उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अनुसंधान कार्यकलाप आवश्यक रूप में सक्रिय प्रकृति के हैं और इन्हें सदैव उभरती चुनौतियों के अनुरूप बनाया जाता है। यह स्वीकार करना महत्त्वपूर्ण है कि ये उभरती चुनौतियां वैश्वीकरण के समसामयिक युग में तीव्र गति में अधिक जटिल होती जा रही हैं। पहले कभी भी श्रम की दुनिया में हुए परिवर्तन इतने प्रभावित करने वाले नहीं रहे। इन परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा इनके प्रभाव, परिणामों और श्रम की दुनिया पर इनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण करने के लिए समुचित अनुसंधान रणनीतियों और कार्यसूची को तैयार किया जाना जरूरी है।

निस्संदेह, यह एक बहुत कठिन कार्य है और इस कार्य को एक वैज्ञानिक ढंग से किया जाना है ताकि अनुसंधान में संगत मुद्दों को शामिल किया जा सके। संस्थान के प्रत्येक अनुसंधान केन्द्र को अनुसंधान के प्रमुख मुद्दों को स्पष्ट ढंग से इंगित करना चाहिए और अन्वेषण किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण घटकों के ब्यौरे भी तैयार करने चाहिएं। इससे केवल यह सुनिश्चित नहीं होगा कि संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों में वैश्वीकृत व्यवस्था में श्रम के समक्ष उभर रहे प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया है अपितु संबंधित क्षेत्रों में विशिष्टता भी हासिल हो सकेगी, जो किसी भी अनुसंधान केन्द्र के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक तत्त्व है।

इसी परिप्रेक्ष्य में संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों द्वारा शामिल किए जाने वाले अनुसंधान मुद्दों की रूपरेखा तैयार की गई है।

# श्रम बाजार अध्ययन केन्द्र

श्रम बाजार अध्ययन केन्द्र के अनुसंधान कार्यकलापों में अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के संदर्भ में समसामयिक श्रम की दुनिया के सामने उभरती चुनौतियों को केन्द्र बनाया गया है। अनुसंधान अध्ययन का उद्देश्य इस संबंध में सैद्धांतिक समझ बढ़ाना और आवश्यक नीति निर्धारण के लिए जानकारी प्रदान करना है।

अनुसंधान के लिए पहचान लिए गए कोर क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं।

- रोजगार और बेरोजगारी
- श्रमिक आप्रवास
- उत्तम कार्य
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर श्रम सूचना प्रणाली

अनुसंधान करने के अलावा केन्द्र, अनुसंधानकर्ताओं के कौशल को श्रम पर अध्ययन करने के लिए पैना बनाने के कार्य में भी सक्रिय रूप से लगा हुआ है। यह कार्य श्रम अनुसंधान में उभरते परिप्रेक्ष्य के लिए उपयोगी, नई और उचित अनुसंधान पद्धतियों का पाठ्यक्रम आयोजित करके किया जा रहा है।

## पूरी कर ली गई परियोजनाएं

### 1. वैश्विक मंदी का दौर और भारत का निर्यात सैक्टर : उत्पादन, निर्यात और रोजगार पर प्रभाव :

**उद्देश्य :** वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य, तीन विशिष्ट निर्यात सघनता वाले सैक्टरों अर्थात भारत में वस्त्र, हीरे और हस्तशिल्प में निर्यात, उत्पादन और रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव का आकलन करना है। इसके अलावा, अध्ययन का उद्देश्य, मंदी का मुकाबला करने और सैक्टर विशिष्ट नीति संबंधी प्रभावों का सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेजों की दक्षता और प्रभावोत्पादकता का आकलन करना भी है।

**पद्धति :** जबकि मंदी से पहले और बाद की अवधि के बीच रूखों में अंतर का आकलन करके और उत्पादन तथा निर्यातों में वार्षिक और तिमाही प्रगति का अनुमान लगाकर, उत्पादन और निर्यातों पर मंदी के प्रभाव का आकलन किया गया है, परंतु रोजगार के लचीलेपन और मंदी के बाद की दर्शायी गई रोजगार प्रगति का अनुमान लगाकर रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है। इसके अलावा, प्राथमिक सर्वेक्षणों के जरिए संग्रहित पैनल आंकड़ों का इस्तेमाल करके अध्ययन के अंतर्गत तीन सैक्टरों में निर्यातों और रोजगार के बीच के संबंध का भी पता लगाया गया है।

**निष्कर्ष :** अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि संदर्भाधीन सभी तीनों सैक्टरों ने उत्पादन और निर्यातों में गंभीर मंदी का सामना किया जिसके कारण वर्ष 2009 में नौकरी और वेतन में कमी आई ! निर्यातों में 15–20 प्रतिशत की कमी आई, उत्पादन (घरेलू उत्पादों) में 2–2.5 प्रतिशत की कमी आई और रोजगार, लगभग 2–3 प्रतिशत की कमी आई।

तथापि, इन सभी निराशाजनक परिदृश्यों में टैक्सटाइल सैक्टर के भाग अर्थात सिलेसिलाए वस्त्र (पहले जाने वाले कपड़ों) सैक्टर ने, 2008–09 की विभिन्न तिमाहियों में महत्वपूर्ण उतार–चढ़ाव प्रदर्शित करने के पश्चात उत्पादन और निर्यात दोनों में उच्च वार्षिक वृद्धि बनाए रखी। इसके कारण निश्चित रूप से इस सैक्टर के अंदर पर्याप्त रोजगार सृजन हुआ जिससे संभवतः पूरे टैक्सटाइल सैक्टर के अंदर कम हो गई नौकरी को पूरा किया। फिर भी, टैक्सटाइल्स की कताई और बुनाई, प्राकृतिक फाइबरों, कारपैट्स, हीरे और हस्तशिल्प (विशेष रूप से लकड़ी के उत्पादों और मेटल आर्टवेयर) सैक्टर में मंदी का प्रभाव सुस्पष्ट है। इन सैक्टरों में नौकरियों की कुल कमी 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक भिन्न–भिन्न है। अनौपचारिक सैक्टर में नौकरियों की कमी अधिक रही है, जबकि मंदी का सामना करने के लिए औपचारिक सैक्टर ने, वेतन में अधिक कटौती का सहारा लिया। इसलिए मंदी का मुकाबला करने के लिए उस पर पड़ने वाले प्रभाव और रणनीतियां पूरे औपचारिक और अनौपचारिक सैक्टरों में पूरी तरह स्पष्ट है।

जहां तक तीनों विशिष्ट सैक्टरों में निर्यातों के रोजगार गुणांकों का संबंध है, टैक्सटाइल और हीरा सैक्टर, निर्यातों के साथ रोजगार के संबंध में लगभग व्यक्तिशः पत्र–व्यवहार दर्शाता है। इसमें, टैक्सटाइल और हीरे के निर्यात में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसके कारण इन दोनों सैक्टरों में लगभग इतनी ही मात्रा में रोजगार में वृद्धि हुई है। हालांकि टैक्सटाइल और हीरा सैक्टर क्षेत्र की तुलना में हस्तशिल्प सैक्टर निम्नतर गुणांक (0.86) दर्शाते हैं परंतु फिर भी निर्यातों में रोजगार संबंधी उच्च लचीलेपन को दर्शाता है। कुल मिलाकर अत्यधिक श्रम सधनता वाले इन सभी तीनों सैक्टरों में, निर्यात संवर्धन के जरिए रोजगार सृजन की बहुत अधिक संभावना है।

पिछले एक वर्ष की अवधि के दौरान आर्थिक मंदी का मुकाबला करने के लिए काफी प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की है। आर्थिक, क्रेडिट और निर्यात नीतियों ने इन प्रोत्साहन पैकेजों में योगदान किया है। तथापि, जमीनी स्तर पर फर्मों के प्रत्युत्तर यह दर्शाते हैं कि एक ओर इन में से कुछ प्रोत्साहन बिल्कुल अपर्याप्त हैं, जबकि दूसरी ओर औपचारिक और बड़े उद्योगों को सीमित लाभ हुए हैं। अनौपचारिक और लघु उद्यम, इन प्रोत्साहन पैकेजों का लाभ नहीं उठा सकते। इसके अलावा, अधिकांश सरकारी प्रोत्साहन, उद्यमों को वित्तीय लाभ प्रदान करने में सीमित रहे हैं और घरेलू मांग स्अीमूलेट करने पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। कुछ अन्य देशों (कुछ विकसित देशों सहित), की पद्धतियों का अनुसरण करते हुए भारत सरकार, आयातों की एम एफ एन दरें बढ़ाकर लघु उद्यमों का संरक्षण करने का सहारा ले सकती थी। उदाहरण के लिए, आर्थिक मंदी का मुकाबला करने की दृष्टि से लकड़ी और मेटल आर्टवेयर को सरकार द्वारा विशेष संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। 'टैक्स होलीडेज' ब्याज में कमी, संबंधित वस्तुओं की एम एफ एन दरों में वृद्धि, ऋण की उदारीकृत और आसान प्राप्ति आदि इन सैक्टरों में सहायता कर सकते है।

परियोजना, वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्थापित की गई।

(परियोजना निदेशक : डा. एस.के. शशिकुमार)

## चल रही परियोजना

### 1. रोजगार पर लोगों के लिए रिपोर्ट

दिनांक 4 जून, 2009 को संसद के सदनों के संयुक्त सत्र को अपने संबोधन में महामहिम राष्ट्रपति ने घोषणा की कि सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अवसंरचना और रोजगार पर लोगों के लिए पांच रिपोर्टें निकालेगी। एक राष्ट्रीय डिबेट

कराने हेतु रोजगार पर लोगों के लिए रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सौंपी गई है। यह रिपोर्ट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से इस संस्थान द्वारा तैयार की जा रही है। ''रोजगार पर लोगों के लिए रिपोर्ट'' में कार्य की उत्तम दशाओं के साथ उत्पादक और स्थायी रोजगार सृजन पर ध्यानकेंद्रित किया गया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो विभिन्न प्रभार की सामाजिक–आर्थिक और संस्थागत बाधाओं का सामना करते हैं और श्रम बाजारों में संघर्ष करने के बावजूद सम्मानजनक जीवन यापन स्थिति प्राप्त करने में विफल रहते है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का मिशन और विजन, ''वितरण संबंधी न्याय'' के साथ अच्छे किस्म की रोजगार वृद्धि होने के कारण, रिपोर्ट का उद्देश्य, 'सहभागिता वृद्धि' के राष्ट्रीय एजेंडा में योगदान करना है।

यह रिपोर्ट अप्रैल, 2010 में पूरी की जानी है।

परियोजना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्थापित की गई है।

(परियोजना निदेशक : डा. एस.के. शशिकुमार)

# रोजगार संबंध और विनियमन केन्द्र

केन्द्र के अनुसंधान कार्यकलापों में निम्नलिखित विषयों पर जोर दिया जाएगा:

1. अनौपचारिक क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा।
2. वी.आर.एस. के बाद की स्थिति में श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक दशाएं।
3. तदर्थ और आनुषंगिक रोजगार।
4. औपचारिक और अनौपचारिक सेक्टरों में लगे श्रमिकों के श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे

अनुसंधान के विशिष्ट मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- एक अर्द्ध–विकसित अर्थव्यवस्था, जहां रोजगार, आय और स्वास्थ्य के संबंध में असुरक्षा बढ़ती दिखाई दे रही है, सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा का पुनर्निरूपण।
- आनुषंगिक रोजगार के उभरते स्वरूपों और विभिन्न उद्योगों/क्षेत्रों में रोजगार संबंधों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण।
- मौजूदा सामाजिक सुरक्षा उपायों की खासतौर पर अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्रों के संबंध में प्रभावकारिता का मूल्यांकन।
- श्रम कानूनों के अर्थशास्त्र का अध्ययन करना।
- समान स्थिति वाले अन्य देशों में श्रम कानूनों का व्यापक अध्ययन और वैश्वीकरण के संदर्भ में उनका विश्लेषण।
- श्रम न्याय व्यवस्था के रुझानों की जांच करना।

## चल रही परियोजनाएं

### 1. निजी सुरक्षा अभिकरणों में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों के श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का वैयक्तिक अध्ययन

**अध्ययन का संदर्भ :** सेवा क्षेत्र किसी भी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की रीढ़ की हड्डी होता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था में यह सेक्टर सबसे बड़े उभरते हुए सेक्टर के रूप में सामने आया है और इसी क्षेत्र ने रोजगार और उत्पादन में अनगिनत रूप में योगदान दिया है। इसकी विकास दर कृषि और विनिर्माण सेक्टरों के मुकाबले उच्च रही है। भारत में वर्ष 2006–2007 के दौरान सेवा क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद में 55.1 प्रतिशत का योगदान दिया है।

सेवा क्षेत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सेवा सुरक्षा सेवा है। हालांकि सेवा क्षेत्र की अन्य सेवाओं के विषय में बहुत से अध्ययन किए गए हैं लेकिन सम्पूर्ण भारत में फैली सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से हजारों सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं, विशेष रूप से जहां तक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों से संबंधित सुरक्षा गार्डों से संबंधित कोई अध्ययन नहीं हुआ है। एक साधारण मनुष्य की समझ से सुरक्षा गार्डों की संख्या में दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि हो रही है लेकिन इनके संबंध में किसी प्रकार की विश्वसनीय आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार इस मुद्दे

पर अनुभव यह बताता है कि ऐसे सुरक्षा गार्डों की संख्या यदि मिलियंस में नहीं है तो हजारों में जरूर है। यह सुरक्षा गार्ड अपर्याप्त पारिश्रमिक, रोजगार सुरक्षा का अभाव और सामाजिक सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता आदि जैसी समस्याओं से जूझते हैं। लेकिन इन सामान्य अवधारणाओं के आधार पर कोई नीति तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक किसी वैज्ञानिक पद्धति से उपयुक्त जांच और परख न कर ली जाए।

**अध्ययन के उद्देश्य :** उपरोक्त भूमिका तथ्यों के संदर्भ में कुछ विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार रखे जा सकते हैं :–

1. विभिन्न प्रकार की सुरक्षा सेवा एजेंसियों में सुरक्षा गार्डों से संबंधित रोजगार और श्रम संबंधी मुख्य मुद्दों के संबंध में बेहतर समझ विकसित करना
2. विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के माध्यमों से तैनात सुरक्षा गार्डों से संबंधित मुख्य सामाजिक सुरक्षा मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना
3. सुरक्षा गार्डों की भर्ती पैटर्न/तंत्र तथा निजी सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण का भर्ती पूर्व अध्ययन करना ताकि उनकी इस रोजगार के प्रति योग्यता का निर्णय लिया जा सके।
4. सुरक्षा गार्डों के संबंध में लागू विभिन्न श्रम कानूनों की अवस्थिति और उनके मूल्यांकन की तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. जहां भी सुरक्षा गार्डों से संबंधित कुछ कमियां हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए ऐसे सामाजिक सुरक्षा उपायों की सुझाव देना जिन्हें लागू किया जा सकता हो।

**अध्ययन का क्षेत्र और फलक :** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देश के सभी मुख्य महानगरों की विशेषताओं को अपने में समेटे हुए है। यह प्रस्ताव है कि ऐसे क्षेत्र जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अध्ययन का फलक होंगे। यह प्रस्ताव है कि हरियाणा के फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश में नौएडा तथा दिल्ली में ओखला के दो औद्योगिक तथा दो आवासीय/व्यावसायिक क्षेत्रों को अध्ययन में शामिल किया जाए। अध्ययन के नमूने के आकार में 30 से 40 सुरक्षा एजेंसियों और 300 से 400 उत्तरदाताओं को शामिल किया जाएगा।

**अध्ययन का दायरा :** अध्ययन के दायरे में निम्नलिखित मुद्दे शामिल किए जाएंगे: सुरक्षा गार्डों के रोजगार और सेवा शर्तों जैसे कार्य घंटे, पारिश्रमिक यदि कोई है, रोजगार की सुरक्षा, सामान्य जागरूकता तथा विभिन्न श्रम कानूनों तथा ऐसे सुरक्षा कानूनों जो सुरक्षा गार्डों पर लागू होते हैं और उनके संगठनात्मक स्तर से संबंधित मुद्दे।

**पद्धति और नमूना तकनीक :** इस अध्ययन से संबंधित आंकड़ें और सूचनाएं एकत्र करने के संबंध में यह प्रस्ताव है कि सूचनाएं प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त की जाएं। प्राथमिक आंकड़े संरचित प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे। अध्ययन के उद्देश्य के लिए सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा गार्डों का चुनाव निम्नलिखित नमूना पद्धति से किया जाएगा। प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र की गई सूचनाओं को सुरक्षा गार्डों के समूहों, यूनियन के पदाधिकारियों/सुरक्षा गार्डों की एसोशिएसनों (यदि मौजूद हों) तथा संबंधित क्षेत्र के श्रम विभाग के श्रम अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श करके पुख्ता किया जाएगा। कुछ वैयक्तिक अध्ययन भी तैयार करने का प्रस्ताव भी है ताकि उन मुद्दों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की जाए जिन्हें अध्ययन में शामिल किया जाए।

**परियोजना की मौजूदा स्थिति :** रिपोर्ट का मसौदा लगभग पूरा होने वाला है। मामला अध्ययनों को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है और रिपोर्ट के मसौदे का प्रस्तुतीकरण, मई 2010 के अंत में किए जाने का प्रस्ताव है।

(परियोजना निदेशक: संजय उपाध्याय)

# कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केन्द्र

## विज़न

कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केन्द्र की स्थापना बदलते संबंधों और ग्रामीण श्रम पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने तथा उसके बारे में समझ को बढ़ाने की दृष्टि से की गई थी। वर्ष 2008–2009 की अवधि के दौरान हाथ में ली गई अनुसंधान परियोजनाएं निम्नलिखित मुद्दों पर केन्द्रित थी :

- वैश्वीकरण और ग्रामीण श्रम पर उसका प्रभाव
- ग्रामीण श्रम बाजार की बदलती संरचना के पैटर्न और मैक्रो प्रवृत्ति
- संगठनात्मक रणनीतियों का प्रलेखन, मूल्यांकन और प्रचार–प्रसार
- सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण श्रम

## पूरी कर ली गई परियोजनाएं

### 1. कृषि ढांचा, सामाजिक संबंध तथा कृषि विकासः राजस्थान के जोधपुर जिले के गंगानगर का वैयक्तिक अध्ययन

#### उद्देश्य

परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित थे :

- कृषि के ढांचे और उत्पाद संबंधों के मौजूदा तरीके का अध्ययन करना।
- अध्ययन क्षेत्रों में काश्तकारों के बीच भिन्न मत के स्तर का अध्ययन करना।
- अध्ययन क्षेत्रों में कृषि विकास और ग्रामीण श्रमिकों पर भूमि सुधारों के प्रभाव का अध्ययन करना।

वर्तमान अध्ययन में, भूमि के केन्द्रीकरण के स्तर के साथ राजस्थान में 1970–71 से (इस समय से कृषि संबंधी जनगणना आरंभ हुई थी) जोत क्षेत्रों के आकार – श्रेणी के पैटर्न और प्रकृति की जांच की गई थी। अध्ययन में, नीतियों और कार्यक्रमों सहित उन कारकों की पहचान की गई थी जिन्होंने अवसंरचना, फसल उगाने के पैटर्न आदि के रूप में राजस्थान में कृषि विकास की वर्तमान स्थिति में योगदान दिया। इसमें जोत क्षेत्र आदि के विभिन्न श्रमिकों की स्थिति, उनका व्यावसायिक पैटर्न आदि भी शामिल था।

(परियोजना निदेशकः डॉ. पूनम एस. चौहान)

### 2. भारत की सड़क परिवहन व्यवस्था में सुधार के विशेष संदर्भ में सड़क परिवहन कर्मकारों की रहन–सहन और कार्यदशाओं में सुधार के लिए उपयुक्त उपाय विकसित करने की ओर एक अध्ययन

#### अध्ययन का औचित्य

यह अध्ययन सामान्य रूप से देश में सड़क परिवहन प्रणाली और विशेष रूप से इस प्रणाली के प्रचालन में लगे कर्मकारों की मौजूदा स्थिति की जांच करने के उद्देश्य से किया गया था, क्योंकि सड़क परिवहन प्रणाली देश की प्रगति में

एक महत्त्वपूर्ण जीवनरेखा है। इस अध्ययन से सड़क परिवहन प्रणाली और देश में सड़क परिवहन कर्मकारों के कार्य तथा रहन–सहन की स्थितियों में सुधार करने हेतु उपयुक्त नीति निर्धारण के लिए दिशानिर्देश और सुझाव प्रदान करने में सहायता मिलेगी जिससे कर्मकारों की बेहतरी के लिए कार्यक्रम तैयार करने तथा नीतिगत उपाय करने में सहायता प्राप्त होगी।

## उद्देश्य

विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित थे :

- भारत में सड़क परिवहन प्रणाली के मौजूदा प्रचालनात्मक संभारतंत्रों का अध्ययन और समीक्षा करना, जिसमें सड़क सुधार प्रक्रिया, राजस्व वसूली और इसके प्रशासन तथा सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टरों, दोनों में परिवहन सुविधाओं का मौजूदा उपयोग पैटर्न शामिल हैं।
- विभिन्न परिवहन उप–सेक्टरों से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत वर्करों की कार्य दशाओं और रहन–सहन संबंधी दशाओं की समीक्षा करना।
- नियोक्ताओं और वर्करों, दोनों द्वारा की गई हड़तालों की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करना।
- सार्वजनिक और सिविल संगठनों के बीच साझेदारी के लिए संभावनाएं तलाशना।
- परिवहन प्रणाली और सड़क परिवहन वर्करों की कार्य तथा रहन–सहन संबंधी दशाओं में सुधार करने के लिए नीति संबंधी उपायों का सुझाव देना।

## अध्ययन का दायरा

वर्तमान अध्ययन से सड़क परिवहन प्रणाली की समस्याएं हल होगी, जिसमें सड़कों की दशा, सड़क परिवहन प्रणाली के लिए उपलब्ध सुविधाएं और सड़क परिवहन प्रणाली के सुधार के लिए इस समय किए जा रहे उपाय शामिल थे। अध्ययन में जो अन्य पहलू शामिल किए गए, वे थे – कर्मकारों की जीवन तथा कार्य संबंधी दशाएं, कर्मकारों के सामने आने वाली समस्याएं और इन समस्याओं को हल करने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपाय। इसके अलावा, इस अध्ययन में हड़ताल की कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओं तथा हाल ही के पिछले दिनों में नियोक्ताओं और कर्मचारियों, दोनों की समस्याओं को हल करने हेतु उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों पर भी ध्यान दिया गया।

## तरीका

राष्ट्रीय राजमार्गों के उच्च सघनता वाले 6 यातायात कॉरीडोरों: दिल्ली–मुम्बई, दिल्ली–कोलकाता, आगरा–बंगलौर, मुम्बई–चेन्नई, चेन्नई–बंगलौर और मुम्बई–कोलकाता में से यह अध्ययन उच्च सघनता वाले तीन यातायात कॉरीडोरों, नामतः दिल्ली–मुम्बई, दिल्ली–कोलकाता, आगरा–बंगलौर में किया गया था। इसके अलावा, इस अध्ययन में राष्ट्रीय तटवर्ती राजमार्ग सड़क लिंक पर भी विचार किया किया। परिवहन सेक्टरों की विभिन्न श्रेणियों, जैसे (i) सार्वजनिक क्षेत्र के सड़क परिवहन निगमों में कार्यरत वर्करों; (ii) बसों और मिनी बसों के प्रचालन और चलाने में कार्यरत वर्करों; (iii) सामान परिवहन वाहनों में कार्यरत वर्करों से 1600 वर्करों के सैम्पल लिए गए। प्रत्येक उप–सेक्टर में से, विभिन्न कार्यकलापों और आयु समूह से सप्रयोजन परिवहन वर्करों की पहचान की गई। मुख्य उत्तरदाता, ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर आदि थे।

इसके अलावा, सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों के सड़क परिवहन वर्कर्स यूनियन के नेताओं के साक्षात्कार लिए गए।

(परियोजना निदेशक : डॉ. एम.एम. रहमान, और डॉ. पूनम एस. चौहान)

## 3. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सार्थक रोजगार के लिए अवसरों और मार्गों के विस्तार का एक अध्ययन

इस अध्ययन के मुख्य फोकस, उचित दिशानिर्देश तैयार करने और व्यावसायिक पुनर्वास सेवाओं, विकलांग व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्लेसमेंट, चिकित्सीय उपचार से संबंधित और व्यावसायिक पुनर्वास सेवाओं से संबंधित लोगों के बीच सहयोग के तरीके तैयार करने पर था।

### उद्देश्य

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य, विकलांग व्यक्तियों से संबंधित रोजगार मुद्दों की जांच करना है।
विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित थे :

- विकलांग व्यक्तियों के नौकरी संबंधी कौशलों और श्रम बाजार में उपलब्ध रोजगार के बीच तादाम्य की जांच करना।
- यह अध्ययन करना कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को किस सीमा तक विभिन्न अवसर प्रदान किए गए हैं।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए अवसरों और मार्गों की सफलता और विफलता को आंकना।
- श्रम बाजार में विकलांग व्यक्तियों की अधिक अभिगम्यता के उपायों का सुझाव देना।

### तरीका

अध्ययन करने के दृष्टि से, जनगणना, एनएसएस जैसे द्वितीयक स्रोतों और मंत्रालय के विभिन्न विभागों से आंकड़े और सूचना एकत्र किए गए थे और उनका विश्लेषण किया गया था। इसके अलावा, इस सेवा में विकलांग व्यक्तियों की अभिगम्यता के अनुपात का पता लगाने के लिए रोजगार कार्यालयों से भी आंकड़े एकत्र किए गए थे।

विकलांग व्यक्तियों के रोजगार की समस्याओं के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार सेवाएं प्रदान करने वाले परिवारों, नियोक्ताओं और सिविल सोसाइटियों जैसे कुछ पणधारियों का सर्वेक्षण भी, प्रश्नावलियां देकर किया गया था।

(परियोजना निदेशकः डॉ. पूनम एस. चौहान)

## 4. बैंगलुरू और हैदराबाद क्षेत्रों के बीड़ी कर्मकारों के कल्याण उपायों का अध्ययन

### अध्ययन का औचित्य

बीड़ी वर्करों के लिए कल्याण निधि, भारत सरकार द्वारा प्रचालित महत्त्वपूर्ण कल्याण उपायों में से एक है। यह निधि, देश में बड़ी संख्या में जरूरतमंद बीड़ी वर्करों की बड़ी सहायता कर रही है। इस प्रकार, इसके महत्त्वपूर्ण होने के कारण, यह और भी महत्त्वपूर्ण है कि इसकी प्रचालनात्मक प्रक्रिया की जांच की जाए ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसके दायरे और कार्यान्वयन को बढ़ाया जा सके।

वर्तमान अध्ययन का दायरा, कल्याण निधि सृजित करने के तरीकों, उप–कर एकत्र करने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं और कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए निधि को खर्च करने के तरीकों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, कल्याण

उपायों और इनके प्रचालन तंत्र की जांच करना था। इसके अलावा, अध्ययन में कल्याण क्रियाकलापों का समय श्रृंखला विश्लेषण और लाभग्राहियों पर इसके प्रभाव का पता लगाने का भी प्रयास किया गया था। इसके अलावा, लाभग्राहियों को निधि के संवितरण, लाभग्राहियों का चयन करने की पात्रता संबंधी मापदंड, भौगोलिक कवरेज आदि से संबंधित प्रक्रियाओं और समस्याओं का अध्ययन करने का भी प्रयास किया गया। इस अध्ययन में व्यावसायिक पैटर्न और कुछ सीमा तक वर्करों की कार्य तथा जीवनयापन संबंधी दशाओं पर फोकस किया गया ताकि उनकी वर्तमान दशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।

## उद्देश्य

वर्तमान परियोजना का मुख्य उद्देश्य, प्रक्रियाओं और समस्याओं का अध्ययन करना तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आरंभ किए गए कल्याण क्रियाकलापों के लिए निधि के बेहतर और प्रभावी प्रबंधन के तरीके खोजना था।

अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित थे :

(i) कल्याण उपायों और व्यक्तिगत तथा संरचनात्मक क्षमता के संगठनात्मक ढांचे का अध्ययन करना।

(ii) उद्योग में कल्याण उप–कर के संग्रहण की प्रक्रिया और निधि के प्रशासन तथा संवितरण तंत्र का अध्ययन करना।

(iii) कल्याण सुविधाओं की विभिन्न श्रेणियों को निधियों के वितरण के पैटर्न की जांच करना।

(iv) कल्याण निधि के लाभग्राहियों पर कल्याण उपायों के प्रभाव का पता लगाना।

(v) बीड़ी वर्करों की कार्य संबंधी दशाओं और रोजगार पैटर्न का अध्ययन करना।

(vi) कल्याण क्रियाकलापों में ट्रेड यूनियन और अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों की भूमिका का अध्ययन करना।

(vii) बीड़ी वर्करों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए कल्याण निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों का सुझाव देना।

## अनुसंधान के तरीके

बीड़ी वर्कर्स कल्याण निधि का प्रचालन, महानिदेशक (श्रम कल्याण), भारत सरकार के माध्यम से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सुरक्षा उपायों और कल्याण निधियों का प्रशासन और कार्यान्वयन, विधिक उपबंधें के अनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए, निधि का उपयोग, अधिनियम में दिए गए उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। व्यय, कल्याण निधि के अंतर्गत योजनाओं के अनुसार किए जाते हैं। सरकार परामर्श समितियां गठित करती है, जिसका स्वरूप त्रिपक्षीय होता है। बोर्डों सहित परामर्श समितियों और उप–समितियों का गठन, बीड़ी वर्कर्स कल्याण निधि अधिनियम के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यों का संचालन और कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तर पर किया जाता है।

- इस अध्ययन में, कुछ संरचित प्रश्नावलियां विभिन्न स्तरों के परामर्शी और प्रवर्तन कार्यकर्ताओं तथा सिविल सोसाइटी संगठनों के कार्यकर्ताओं को भेजी जाएंगी ताकि उनसे कल्याण निधि के प्रचालन के विभिन्न पहलुओं के बारे में उनके विचार तथा राय मांगी जा सके।

- जिसकी आवश्यकता है और जो उपलब्ध है, उसके बीच अंतर, यदि कोई है, को आंकने के लिए कल्याण निधि क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध जनशक्ति सुविधाओं और संरचना की पर्याप्तता के बारे में सूचना प्राप्त करने हेतु अन्य अनुसूची तैयार की जाएगी।

- लाभग्राहियों की कार्य दशाओं, उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभ और उनके व्यक्तिगत तथा सामुदायिक जीवन पर पड़े प्रभाव के संबंध में उनसे सूचना प्राप्त करने के लिए एक और प्रश्नावली संचालित की जाएगी। चूंकि परामर्शी बोर्ड, त्रिपक्षीय निकाय है, इसलिए सरकारी पदाधिकारियों, नियोक्ताओं/ उत्पादकों और कर्मचारियों का साक्षात्कार भी लिया जाएगा ताकि कल्याण निधि के प्रचालन के सुधार के लिए उनकी राय और सुझाव प्राप्त किए जा सकें।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एम.एम. रहमान और डॉ. पूनम एस. चौहान)

## चल रही परियोजनाएं

### 1. भारत में मेरिन मत्स्य उद्योग और मेरिन मत्स्य कर्मकार : इस सैक्टर में रोजगार की संभावनाएं तलाशने के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

**प्रस्तावना :**

भारत में 8118 किलोमीटर लंबा तटीय क्षेत्र है और 2.02 मिलियन वर्ग कि.मी. का ''अनन्य आर्थिक जोन'' है जिसमें मेरिन मछुआरों के लिए बड़ी संभावना है। इसके अलावा, देश में एक कांटीनेंटल शेल्फ क्षेत्र है जो लगभग 0.53 मिलियन वर्ग कि.मी. है। इन स्रोतों से मछलियों का उत्पादन अत्यधिक है। उदाहरण के लिए, 2003–04 में समुद्रीय मछलियों का उत्पादन 2.94 मिलियन टन था, जबकि इनलैंड मछलियों का उत्पादन 3.46 मिलियन टन था। उसी वर्ष के दौरान, इन दोनों क्षेत्रों में कुल मिलाकर मछलियों का उत्पादन 6.40 मिलियन था। मछलियों के कुल उत्पादन में 2003–04 में 6.46 मिलियन से बढ़कर 2005–06 में 657 मिलियन टन हो गया। ऐसा अनुमान है कि संभावित उत्पादन 8.40 मिलियन टन हो सकता है। वैश्विक रूप से भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। यह विश्व में जाती जल मछलियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन देश भी है।

> ''देश के ईईजेड के समुद्रीय मत्स्य संसाधन, 2000 के अंतिम अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 3.93 मिलियन मैट्रिक टन आंके गए हैं। यह संसाधन 'इनशोर' (58 प्रतिशत), 'ऑफशोर' (34.9 प्रतिशत) और गहन समुद्र (7 प्रतिशत) जल में विभाजित है। इस संसाधन का प्रमुख हिस्सा 'डिमर्सल' (2.02 मिलियन टन) है, इसके पश्चात पे लाजिक का 1.67 मिलियन टन और समुद्रीय संसाधनों का 0.24 मिलियन टन आता है। अनुमान इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि मछली के उत्पादन में लगभग 1.2 मिलियन टन तक वृद्धि होने की गुंजाइश है, यदि मछली पकड़ने का कार्य संसाधन विशिष्ट वैसलों, मुख्यतः समुद्रीय क्षेत्र में, को लगाकर किया जाए। जानकारी में आई अन्य विशेषता है–तटीय क्षेत्र में संसाधन लगाना जो या तो स्पेशीज विशिष्ट है या स्थान विशिष्ट, ये दोनों ही अस्थायी मत्स्य पालन दबाव के परिणामस्वरूप हुए हैं (भारत सरकार 2005)।

अर्जन के हिसाब से, देश, 6 हजार करोड़ रूपए प्रति वर्ष की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। रोजगार के संबंध में, यह सैक्टर देश में 14 मिलियन से अधिक लोगों के लिए आजीविका का स्रोत है। भोजन के संबंध में यह सैक्टर, देश की सतत बढ़ती जनसंख्या के लिए प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है।

**औचित्य**

मौजूदा साहित्य का परीक्षण यह दर्शाता है कि कार्य, जीवन यापन और सामाजिक सुरक्षा और कर्मकारों की अन्य आवश्यकताएं, जैसे बाजार तक पहुंच, ऋण संस्थान, तकनीकी जानकारी और अन्य व्यावसायिकता में वृद्धि करने वाले कौशलों की समस्या उपयुक्त ढंग से हल नहीं की गई है।

अन्य पहलू जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है, वह है – रोजगार के भावी रोजगार के अवसर जो मौजूद जल निकायों में प्रति व्यक्ति आय कम हो जाने और विस्थापन के कारण प्रदान किया जाना होगा जिसके धीमे परंतु वैश्विक ताप जो अब बहुत वास्तविक है, के कारण देश के कुछ तटवर्ती और एस्चूरीन क्षेत्रों के धीरे–धीरे डुबने की संभावना है।

## उद्देश्य

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अध्ययन का प्रस्ताव दिया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य, मेरीन मत्स्य कर्मकारों की मौजूदा दशा की जांच करना और भविष्य में वैकल्पिक तथा स्वीकार्य रोजगार संभावना का पता लगाना भी है। अन्य उद्देश्य है–देश में भिन्न–भिन्न राज्यों में चुनिंदा लैंडिंग केंद्रों में मौजूदा अवसरंचना सुविधाओं की जांच करना है।

## विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(क) चुनिंदा मेरिन राज्यों में मेरिन मछुआरों की जीवन–यापन और कार्य संबंधी दशाओं का अध्ययन करना।

(ख) मत्स्य कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की स्थिति का अध्ययन करना।

(ग) स्थायित्व के हिसाब से मेरिन मत्स्य पर्यवासों की समस्याओं का पता लगाना।

(घ) विभिन्न चरणों में श्रम प्रक्रिया और रोजगार पैटर्न तथा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, इसकी सधनता का अध्ययन करना।

(ड.) कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में चुनिंदा मत्स्य लैंडिंग केंद्रों की दशाओं का पता लगाना।

(परियोजना निदेशक : डा. पूनम एस. चौहान)

# राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केन्द्र

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में नेशनल रिसोर्स सेन्टर ऑन चाइल्ड लेबर की स्थापना यूनीसेफ, आईएलओ और श्रम मंत्रालय के सहयोग से एक विशिष्ट केन्द्र के रूप में की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य एक ऐसी केन्द्रीय एजेंसी उपलब्ध कराना था, जो बाल श्रम पर काबू पाने के समूचे कार्य में सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों, श्रमिक संगठनों और नियोक्ता संगठनों सहित विभिन्न विशेष साझेदारों और पणधारियों के बीच सक्रिय सहयोग सुनिश्चित कर सके। इसका उद्देश्य जानकारी आधारित संगठन का सृजन करना और अनुसंधान करना तथा उसे बढ़ावा देना भी है। केंद्र सरकार बाल श्रम के उत्तरोतर उन्मूलन के अपने कार्य में नीति निर्धारकों और विधायकों का समर्थन करती है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों की नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देती है। केन्द्र का मुख्य विषय तकनीकी सलाह, सेवा और परामर्श प्रदान करना तथा सूचना का प्रसार/प्रचार करना है ताकि बाल श्रम की समस्या को उजागर किया जा सके और लोगों की अभिवृत्ति में परिवर्तन कर उनमें जागरूकता लाई जा सके। केन्द्र का आशय व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने में योगदान करना है ताकि वे बाल श्रम के उन्मूलन में अपना भरपूर योगदान कर सकें। एनआरसीसीएल विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, विकास, समर्थन, तकनीकी सहयोग, प्रलेखन, प्रकाशन, प्रचार–प्रसार, नेटवर्किंग और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सुदृढ. बनाकर कनवर्जन को प्रोत्साहित करने के जरिए अपने उद्देश्य प्राप्त करने प्रयास कर रहा है।

## अनुसंधान

अनुसंधान एनआरसीसीएल का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। अनुसंधान परियोजनाओं के केन्द्र में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

1. आईएलओ कनवेंशन संख्या 182 में उल्लिखित व्यवसायों और प्रक्रियाओं सहित चुने हुए खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन के संबंध में महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का संग्रह।
2. बाल श्रम की परिभाषा से संबंधित पहलुओं को समझने के लिए अनुसंधान समीक्षा।
3. बाल श्रम के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाना और समूचे विकास परिदृश्य में उन कारकों पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए रणनीतियां बनाना।
4. सफल अनुभव का प्रलेखन करके बाल श्रम को काम से मुक्त करवाए जाने की अवसर लागतों को स्पष्ट करना।
5. बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य, पुनर्वास और पोषाहार पहलुओं की समस्या हल करना।
6. बाल श्रम के आर्थिक परिणामों का अध्ययन करना।

इन सूक्ष्म स्तरीय अध्ययनों में बाल श्रम से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है, जिसमें बाल श्रम की व्यापकता, कानूनों का प्रवर्तन, सरकारी और गैर–सरकारी हस्तक्षेपों का प्रभाव, शिक्षा की स्थिति, रहन–सहन जोखिम आदि शामिल हैं। इन अध्ययनों में अपनाए गए तरीकों में मात्रात्मक सर्वेक्षण दृष्टिकोण, केन्द्रित समूह विचार–विमर्श, साक्षात्कार, सहभागी विचार और वैयक्तिक अध्ययन शामिल हैं। एनआरसीसीएल में अनेक अनुसंधान अध्ययन और प्रमुख मूल्यांकन अध्ययन पूरे किए गए हैं। इसके अलावा देश के 13 राज्यों में फैले 50 जिलों में स्थित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसाइटियों के मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में इस केंद्र में "भारत में बाल श्रमिकों का पुनर्वास : राष्ट्रीय

बाल श्रम परियोजना के मूल्यांकन से ली गई सीख'' शीर्षक वाला एक अन्य मूल्यांकन अध्ययन भी किया गया है जिसमें 11वीं पंचवर्षीय अवधि के आरंभ में भारत के भिन्न–भिन्न 15 राज्यों में स्थित 70 एनसीपीएल जिले शामिल किए गए हैं।

## पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजनाएं

### 1. बलात् बाल श्रमः लाल बत्तियों पर कार्यरत बच्चों का अध्ययन

शहरी क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहां 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और शहरीकरण बच्चों के लिए प्रतिकूल साबित हो रहा है। अपर्याप्त औपचारिक शिक्षा प्रणाली के कारण, बच्चे शिक्षा के अवसरों से वंचित हैं। बच्चों, विशेष रूप से अकेले माता–पिता वाले परिवारों में, जहां माता–पिता को लम्बे और अनियमित समय तक काम करना होता है, को शहरी क्षेत्रों में मूल्य प्रणाली में अंतर्विरोध के कारण सांस्कृतिक और सामाजिक–मनोवैज्ञानिक लाभों से वंचित रह जाते हैं। वे ट्रैफिक लाइटों पर वेंडिंग करते या भीख मांगते पाए जाते हैं। बच्चे शहर की सड़कों पर रहते हैं और काम करते हैं, क्योंकि उनके माता–पिता गरीब हैं या वे अनाथ हैं या वे अक्सर शोषण से बचने के लिए घर से भागे हुए हैं। वे हर हालत में कुपोषित होते हैं, उन्हें बहुत कम शिक्षा या चिकित्सा उपचार प्राप्त होता है और बचपन से ही बाल श्रम में लग जाते हैं।

जो बच्चे घर से भाग गए हैं, उनमें से अनेक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका शारीरिक या यौन शोषण किया गया था। अफसोस की बात यह है कि उनके बेघर होने के कारण, शोषणात्मक बाल श्रम और वेश्यावृत्ति के माध्यम से उनका और अधिक शोषण हो सकता है। संभवतः, भारत में सबसे अधिक अलाभकर स्थिति वाला समूह वे पफुटपाथी बच्चे हैं जो शहर की सड़कों पर रहते हैं और कार्य करते हैं। वे अधिकतर लाल बत्तियों के निकट कूड़ा बीनते हुए, जूते पालिस करते हुए, मोची के रूप में काम करते हुए, भीख मांगते हुए, गुब्बारे बेचते हुए, जरूरत की चीज़ें बेचते हुए पाए जाते हैं और वे अक्सर सड़क दुर्घटनाओं और टिटनस का शिकार हो जाते हैं। इन बच्चों को केवल दबाव और अपने श्रम के खतरे ही नहीं होते बल्कि उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण, जो उन्हें गरीबी के फन्दे से बचा सकते हैं, के अधिकार सहित उनके मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है।

इन बच्चों के लिए, उनमें से अनके के बेघर होने के कारण, शहर की सड़कें और फुटपाथ उनके घर और कार्यस्थान रहते हैं। वे मौसम की अनिश्चितता का शिकार रहते हैं, उनके लिए भोजन की आपूर्ति अनिश्चित होती है, उनके शिक्षा और चिकित्सा उपचार से वंचित रहने की संभावना है और उन्हें लत लग जाने, शोषण किए जाने और बीमार पड़ जाने का बहुत खतरा होता है। सड़क पर एक अकेला बच्चा, इस पृष्ठभूमि के प्रति विशेष रूप से असुरक्षित होता है। वर्तमान अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जा रहा हैः

(i) ट्रेफिक लाइटों पर काम करने वाले बच्चों की सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना।

(ii) अगले और पिछले संबंधों सहित, ट्रेफिक लाइटों पर बच्चों की मौजूदगी की स्थिति और निरंतरता को प्रभावित करने वाले कारकों के आपूर्ति और मांग के पक्ष का अध्ययन करना।

(iii) सामने आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों सहित इन बच्चों की कार्य तथा रहन–सहन संबंधी दशाओं का अध्ययन करना।

(vi) पोषाहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के क्षेत्रों में उनकी परिकल्पित आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना।

(v) जेंडर के परिप्रेक्ष्य में समस्या को समझना।

इस पद्धति में गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान तरीके शामिल हैं, जिसमें नोएडा की सभी रेड लाइटों पर काम करने वाले 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कवर किया गया है। साक्षात्कार अनुसूचियों, प्रश्नावलियों, गहन रूपांतरण, अवलोकन और अनौपचारिक चर्चाओं जैसे अनुसंधान साधनों का इस्तेमाल किया गया है। इस अध्ययन के लिए आंकड़ा इकाइयों में, स्वयं ट्रेफिक लाइटों पर काम करने वाले बच्चे, उनके परिवार और बाल श्रम के मुद्दे पर काम करने वाले सामाजिक साझेदार शामिल हैं। इस अध्ययन को ऐसे मामला अध्ययनों द्वारा अनुपूरित किया गया है जिनमें, पालन–पोषण की प्रक्रिया, घर छोड़ने की प्रक्रिया, बाल श्रमिक के रूप में जीवन, घर का जीवन, शैक्षिक और स्वास्थ्य स्थिति, कार्य और अराम के समय का विभाजन, भावी आशाओं और प्रत्याशाओं जैसे विभिन्न पहलुओं को प्रमुखता से दर्शाया गया है। अध्ययन प्रकाशित कर दिया गया है।

(परियोजना निदेशक : डॉ. हेलन आर. सेकर)

## 2. भारत में बाल श्रमिकों का पुनर्वास : राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के मूल्यांकन से ली गई सीख

एनसीपीएल सोसाइटियों और एनसीपीएल विशेष स्कूलों की स्थिति और कार्यचालन को आंकने, एनसीएलपीज के कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग में राज्य सरकारों/जिला प्रशासन और कार्यान्वयन एजेंसियों के अनुपूरक प्रयासों की सीमा और पैटर्नों की जांच करने, एनसीएलपी के उद्देश्य प्राप्त करने के प्रति दसवीं योजना के दौरान आरंभ किए गए संघटकों के विशेष संदर्भ में परियोजना के विभिन्न संघटकों के प्रभावीपन का अध्ययन करने और एनसीएलपीज के लिए विशिष्ट कार्य योजना का सुझाव देकर, नीति निर्धारण के प्रति योगदान करने के उद्देश्यों से एक राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। एक विस्तृत राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार की गई है जो नीति निर्धारकों, अकादमिशियनों, सरकारी पदाधिकारियों, गैर–सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और उन सभी, जो बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन के काम में लगे हुए हैं, के लिए अत्यधिक उपयोगी होगी।

(परियोजना निदेशक : डा. हेलेन आर. सेकर और श्री अनूप के. सतपथी)

## 3. एचआईवी/एड्स और बाल श्रम के बीच सम्बन्धः प्रभावी नीति निर्माण के लिए समेकित पहुँच विकसित करना

जो बच्चे समाज के सामाजिक और आर्थिक मार्जिनों पर रहने के लिए बाध्य हैं, उनकी पहुंच उपरि सामाजिक–आर्थिक श्रेणियों के बच्चों की तुलना में सूचना, कौशलों, सेवाओं और समर्थन तक कम है। यदि वे एचआईवी के साथ जीवन बिता रहे हैं तो वे कलंक और भेदभाव का अधिक शिकार होते हैं और वे ड्रग की चपेट में आ जाते हैं तो उनकी पहुंच वास्तव में उपचार तक नहीं होती। एकल बच्चे आप्रवासियों, भागे हुए बच्चों फुटपाथी बच्चों, और बाल श्रमिकों में, ड्रग इंजेक्ट करने की लत अनेक लतों में एक है। कभी–कभी वाले इंजेक्टरों की संख्या अधिक से अधिक है और प्रयोग के तौर पर ड्रग इंजेक्ट करने वालों की संख्या कूड़ा बीनने वालों में अधिक है, और व्यापक रूप से फैली हुई है, जिनमें से अधिकांश अपने आपको ड्रग इंजेक्टिंग के नियमित इस्तेमालकर्ता नहीं मानते।

एचआईवी/एड्स स्वास्थ्य के मुद्दे से अधिक कुछ और भी हैं क्योंकि यह सामाजिक और आर्थिक विकास की समस्या का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या बनी हुई है जिससे एचआईवी–संक्रमित व्यक्ति में रोगों की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है और इसके कारण लम्बी बीमारी हो जाती है तथा अन्ततः मृत्यु हो जाती है। परन्तु यह लम्बी बीमारी किसी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को उत्पादक कार्यों में लगने से वंचित नहीं करती। यह अन्य अनेक ऐसे लोगों के संसाधनों को भी प्रभावित करती है, जिन्हें अर्थव्यवस्था और समाज के लिए, खतरनाक परिणामों की संभावना वाले एचआईवी/एड्स के शिकार लोगों की देखभाल करनी पड़ती है।

यह समझने के लिए कि एचआईवी/एड्स किस हद तक बच्चों को श्रम बाजार में धकेल देती है, इस बात की जांच करना महत्त्वपूर्ण है कि यह बीमारी किस प्रकार परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करती हैं भारतीय संदर्भ

में परिवार को अब भी एक सामाजिक इकाई माना जाता है जिसके सदस्य उन सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक वेरिएबलों को आपस में बांटते हैं, जो उन्हे एक परस्पर सम्बद्ध निकाय बनाते हैं। इसके एक भाग के रूप में परिवार बाह्य खतरों के प्रति एक सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में काम करते हैं। बाढ़, भूकम्प, सुनामी या बलवे जैसी आपदा के समय पर परिवार के सदस्य ही सुरक्षा प्रदान करते हैं। बीमारी और मृत्यु के समय, परिवार ही सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है। अनेक स्थानों पर, जहां सरकारें, गैर–सरकारी संगठन और इच्छुक समूह भी किसी प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं, अंततः परिवार ही उसे अनुपूरित करते हैं ऐसे मामलों में, जहां परिवार विफल हो जाते हैं, सीबीओ और/या एनजीओ, परम्परागत उपायों को पूरा करने के लिए आगे आते हैं। दूसरी तरफ परिवार के समर्थन के बिना अनेक ऐसे संगठन कार्य नहीं करेंगे क्योंकि स्वैच्छिक सेवा की उनकी भावना के लिए परिवार के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। इस पृष्ठभूमि में इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) स्कूली शिक्षा और श्रम बाजार के प्रवेश के हिसाब से बच्चों पर एचआई/एड्स के प्रभाव की जांच करना।

(ii) परिवार में एचआईवी/एड्स प्रभावित सदस्यों के कारण बच्चों पर घरेलू कार्य और परिवार के बढ़ते बोझ को समझना।

(iii) एच.आई.वी./एड्स तथा बाल श्रम को कम करने की नीति के विकास को खोजना और अपनाई जाने वाली समेकित कार्रवाई का सुझाव देना

यह अध्ययन द्वितीय और प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक आंकड़ों में प्रकाशित और अप्रकाशित प्रलेखों का विश्लेषण शामिल है। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण में उत्तरदाताओं का चुनाव दिल्ली के विभिन्न इलाकों से सरकारी, गैर–सरकारी तथा ऐसी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के माध्यम से किया गया है जो एच.आई.वी./एड्स के मुद्दे पर काम कर रही है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. हेलन आर. सेकर)

## चल रही अनुसंधान परियोजनाएं

### 1. बाल श्रम के उन्मूलन तथा रोकथाम के प्रति सेवाओं का कनवर्जंसः आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले का वैयक्तिक अध्ययन

संस्थान ने एक ऐसी अनुसंधान परियोजना हाथ में ली है जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई सफल पहल का प्रलेख पोषण किया जाना है। सरकार द्वारा यह पहल संबंधित विभिन्न विभागों की सेवाओं के कनवर्जंस के माध्यम से होने वाले लाभ को लेकर की गई है। यह अध्ययन कनवर्जन्स की कोशिशों को जो वर्टिकली तथा होरिजेंटली रूप से की गई हैं, का प्रलेख पोषण करेगा। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:– प्रलेखों का विस्तृत विश्लेषण करना; राज्य, जिला मंडल तथा ग्रामीण पंचायत अधिकारियों द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन और रोकने के लिए उठाए गए कदम, उस प्रक्रिया को समझना जिसके माध्यम से सेवाओं के कनवर्जंस सफलतापूर्वक किया गया है, पहल की गई है तथा कनवर्जंस के कार्यान्वयन में सहयोग मिला है और पहल के सफलता के लिए निर्धारित कारकों की पहचान और उन रणनीतियों का प्रलेख पोषण करना और उन हस्तक्षेपों का विश्लेषण करना जिनके माध्यम से सेवाओं के इन कनवर्जंस को निरंतर बनाए रखा जा सकता है और दोहराया जा सकता है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. महावीर जैन)

## 2. बालिकाओं की स्थितियों का विश्लेषण और कार्रवाई कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्तीकरण

हमारी अगली पीढ़ी का गुणात्मक विकास इस तथ्य पर आधारित है कि वर्तमान में बच्चों को अपनी पूर्ण मानवीय क्षमताओं को पहचानने के कितने अवसर प्राप्त हो रहे हैं। बालिका ही वह मुख्य तथ्य है जो भविष्य में महिलाओं के समान भूमिका निभाएगी और स्तर प्राप्त करेगी। कोई बालिका भविष्य में किस प्रकार की महिला बनेगी यह बचपन में ही तय हो जाता है। बालिकाओं की स्थितियों में सुधार और उनके विकास में किया गया निवेश यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें भविष्य में बहुत से अवसर प्राप्त होंगे और उसे कम असमानता का सामना करना पड़ेगा। संसार के अधिकांश देशों में बालकों की अपेक्षा बालिकाएं निचला स्तर, कम अधिकार, कम अवसर और कम लाभ प्राप्त करती हैं जबकि समुदाय के संसाधनों और परिवार पर दोनों का समान हक है। लड़कियों को किशोरावस्था से पहले से ही असमानता का अनुभव हो जाता है और यह असमानता धीरे–धीरे इतनी बढ़ जाती है कि इस पर काबू पाना मुश्किल होता है। इस असमानता का वास्तविक चित्र महिलाओं की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर देखा जा सकता है। आज की बालिका कल की महिला होगी। यदि भविष्य की महिलाएं मनुष्य के साथ मिलकर सामाजिक परिवर्तन और विकास में बराबर की हिस्सेदार हो जाएं तो यही वह आदर्श स्थिति होगी जब बालिकाओं को उनकी मानवीय प्रतिष्ठा और सहयोग में बराबर का हिस्सा होगा। इस प्रकार बचपन के विकास की प्रक्रिया के दौरान लिंग समानता की भावना विकसित की जानी चाहिए। बालिकाओं को वह हर अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे उन्हें अन्य लोगों के समान समान स्तर और उचित व्यवहार मिले ताकि वे प्रत्येक देश में अपने संभावनाओं का पूर्णतया प्रयोग कर सकें। इस प्रकार के अवसरों के लिए सरकार का सहयोग और सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों की प्रतिबद्धता, सहयोग और कोशिशों के साथ–साथ परिवार की प्रतिबद्धता परिणामों को प्राप्त करने के लिए चाहिए।

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं: गंदी बस्तियों में रह रहे बच्चों विशेष रूप से बालिकाओं की स्थितियों का समालोचनात्मक विश्लेषण, प्रवासी बालिकाओं के श्रम आयामों को समझना और शहरी गंदी बस्तियों में बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन के प्रति कार्य अभियान की शुरूआत करना। इस अध्ययन का आशय सामान्यतः बच्चों की तथा विशेषतः बालिकाओं की असुरक्षितताओं, समस्याप्रद स्थितियों तथा व्यावहारिक सलाहकारों को प्रमुखता से दर्शाना और उनके अधिकारों तथा सशक्तीकरण को गति प्रदान करने हेतु नीतिगत उपाय तैयार करने में सहयोग देना है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. हेलन आर. सेकर)

# समेकित श्रम इतिहास कार्यक्रम

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के इण्टेग्रेटेड लेबर हिस्ट्री रिसर्च प्रोग्राम को एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियन्स (ए.आई.एल.एच.) के सहयोग से जुलाई, 1998 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य श्रम इतिहास पर अनुसंधान शुरू करना तथा उसे समन्वित और पुनरूज्जीवित करना था। कार्यक्रम के कोर में श्रम संबंधी दस्तावेजों के विशिष्ट भण्डारण के लिए संस्थान द्वारा भारतीय श्रम अभिलेखागार को रखा गया है। अभिलेखागार में श्रमिक आंदोलन के संबंधित श्रमिक संगठनों, राज्य और व्यापार घरानों द्वारा सृजित दस्तावेजों का सिलसिलेवार संरक्षण किया जाता है। समसामयिक दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों जैसे व्यक्तिगत विवरण, श्रम से संबंधित दृश्य सामग्रियों को भी अभिलेखागार में संरक्षित किया जाता है। कार्यक्रम का दूसरा घटक व्यक्तियों और संस्थाओं के सहयोग से प्राथमिक क्षेत्र या उपेक्षित विषयों (जैसे अनौपचारिक क्षेत्र) में भारत के श्रम इतिहास पर अनुसंधान करना है। इस घटक के सीधे परिणाम के रूप में श्रम इतिहास लेखन श्रृंखला का प्रकाशन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य श्रम इतिहास के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अनुसंधान करना है। कार्यक्रम के तीसरे घटक में संस्थान के अन्य अनुसंधान केन्द्रों के सहयोग से अंतर्विषयक अनुसंधान करने की अभिकल्पना की गई है।

कार्यक्रम के तत्काल भावी अनुसंधान के लिए प्राथमिक क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- ❑ अनौपचारिक क्षेत्र श्रम इतिहास
  - मौखिक इतिवृत्त संग्रहण
  - बीड़ी और वस्त्र पर संग्रहण
- ❑ सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन और टेक्सटाइल का बढ़ता दायरा
- ❑ केन्द्रीय सरकार के श्रम रिकार्ड का संग्रहः
  - टैक्सटाइल
  - रेलवे
  - खान
- ❑ मौखिक इतिवृत्त संग्रहण
- ❑ कार्य संगठनों का नया ढांचा और बदलते रोजगार संबंध

## पूरी कर ली गई डिजीटिलाइजेशन परियोजनाएं

### 1. महाराष्ट्र में 1920 से 1945 के दौरान जाति आंदोलन और कार्मिक वर्ग के विचार–विमर्श पर तैयार किए गए दस्तावेजों का डिजीटिलाइजेशन

आधुनिक भारतीय इतिहास के इतिहासकार, हाल ही में कर्मचारी वर्ग के विभिन्न पहलुओं पर अधिक से अधिक ध्यानकेन्द्रित कर रहे हैं। तथापि, जाति और कर्मचारी वर्ग के बीच विचार–विमर्श के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से चुप्पी साध रखी है। दस्तावेजों का डिजीटिलाइजेशन स्पष्ट रूप से उस अध्ययन का महत्व दर्शाता है, जिसमें दलित आंदोलन और कर्मचारी

वर्ग के बीच संबंधों का मुद्दा केवल अंबेडकर, डांगे आदि जैसे महान व्यक्तियों के स्तर पर ही नहीं उठाए गए थे, बल्कि छोटे नेताओं के स्तर पर भी उठाए गए थे जो समाज के निम्न वर्ग से आए। यह ऐसे भाषणों का पता लगाने का भी प्रयास है जिनमें कर्मचारी वर्ग तैयार किया गया है और उसका अनुकूलन किया गया है और जिनमें यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि दलित पहचान, संगठनात्मक पद्धतियों (अलग–अलग संगठनों जैसे जाति संघ आदि) और दृष्टिकोणों ने, महाराष्ट्र में श्रम आंदोलन का मार्ग तैयार किया और एक रूप दिया, विशेष रूप से बंबई में, जो कर्मचारी वर्ग के क्रियाकलापों का गढ़ था। दलित और कर्मचारी वर्ग का आंदोलन, राजनीतिक ताकतों के रूप में एक ही समय नहीं उभरा बल्कि एक–दूसरे के साथ निकट का विचार–विमर्श करके अपने संगठनात्मक रूप तैयार किए। इन राजनीतिक ताकतें की प्रभावोत्पादकता एक–दूसरे से प्रभावित होती थी और उन्होंने एक–दूसरे को अपने पाले में लाने का प्रयास किया।

## 2. केंद्रीय विधान रूप 1985 के लिए निर्माण कर्मकारों के राष्ट्रीय अभियान के दस्तावेजों का डिजीटिलाइजेशन

दस्तावेजों के डिजीटाइजिंग का मुख्य उद्देश्य, पच्चीस वर्षों (1979–2004) के दौरान एनसीसी–सीएल (केंद्रीय विधान निर्माण कर्मकारों का राष्ट्रीय अभियाना) द्वारा एकत्र किए गए और तैयार किए गए दस्तावेज इस तरीके से संरक्षित करना था कि इसका उपयोग, असंगठित सैक्टर के कर्मकारों के अभियान को समर्थन देने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण सामग्री के रूप में किया जा सके।

## 3. भोजपुरी प्रवासी श्रमिकों की संस्कृति और भिखारी ठाकुर का साहित्य पर दस्तावेजों का डिजीटाइजेशन

एकत्र किए गए दस्तावेजों के डिजीटाइजेश में, भिखारी ठाकुर के लेखों, भोजपुरी लोक कथाओं, समकालीन लोक कलाकारों और कवियों के साहित्य जिनमें प्रवासी श्रमिकों के जीवन और कार्य दर्शाए गए हैं और जीवित कलाकारों तथा उन लोक समूह के सदस्यों के साथ साक्षात्कारों के जरिए प्रमुखता से दर्शाया गया है।

## 4. भीड़ भाड़ गलियों पर दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन : दिल्ली के फेरीवालों का अध्ययन

वैश्विक दक्षिण में अधिकांश शहर और कस्बे आज अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की बहुतायत के लिए जाने जाते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र का सबसे अधिक दिखने वाला हिस्सा गलियों और फुटपाथों पर आवश्यक वस्तुएं बेचने वालों का है। दूसरे मुख्य शहरों की तरह दिल्ली के मास्टर प्लान में भी गली–गली घूमकर और फुटपाथों पर आवश्यक सामान बेचनेवालों को जगह उपलब्ध करवाने और उनके इस धंधे को नियमित करने के प्रावधान रखे गये हैं लेकिन इन प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरणों द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। यह परियोजना दिल्ली की स्ट्रीट वेंडिंग में स्वतंत्रता के पश्चात की अवधि में आए महत्वपूर्ण परिवर्तन को खोजने के साथ–साथ इस बात पर बल देना है कि दिल्ली की शहरी योजना तथा राजनैतिक और प्रशासनिक कदम क्या–क्या उठाए गए हैं। इस अध्ययन का एक उद्देश्य यह भी है कि दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं की पहचान की जाए और यह देखा जाए कि दिल्ली के क्षेत्रफल और इसकी जनसंख्या में किस–किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं विशेष रूप से उदारवाद की अवधि के दौरान व्यावसायजन्य, सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक तथा वित्तीय और राजनैतिक जैसे विभिन्न प्रकार के नेटवर्क का नक्शा तैयार करना। ऐसे अधिकांश अध्ययन जननीतियों और विधानों को प्रभावित करने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ नीति अध्ययनों के क्षेत्र के भीतर किए गए हैं। इस अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस सेक्टर के भीतर आंतरिक भिन्नताओं और विरोधों को किस प्रकार नजरअंदाज किया जाए और गली–गली तथा फुटपाथों पर सामान बेचने की गतिविधियों के विभिन्न प्रकारों के बीच किस प्रकार एक जैसा शोषण होता है, इसकी तस्वीर पेश की जाए।

## 5. भारतीय वस्त्र और अपरेल उद्योग में श्रमः सरकारी नीतियों के प्रभाव को समझना

इस सहयोगात्मक परियोजना के उद्देश्य हैं – दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के, फैशन गारमेंट्स के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में उभरने का पता लगाना, फेब्रिक का चुनाव करने से लेकर श्रमिकों की मजदूरी तय करने तक पूरी उत्पादन श्रृंखला पर नियंत्रण रखने वाली एपरल उद्योग, वस्त्र उद्योग और वैश्विक खुदरा श्रृंखलाओं के बीच अगले और पिछले संबंधों की समसामयिक पुनःसंरचना, लेखन के साथ श्रमिकों और मालिकों के साथ साक्षात्कार, विवादों के रिकार्ड, फैशन गारमेंट उद्योग से संबंधित वस्त्र मंत्रालय और श्रम मंत्रालय से प्राप्त दस्तावेजों और रिपोर्ट को समझना।

## 6. दुर्घटनाओं और कार्य पर दस्तावेजों का डिजीटाइजेशन : झरिया कोल्डफील्ड में दिन–प्रतिदिन का जीवन और मौखिक इतिहास दस्तावेज

एकत्र किए गए दस्तावेजों के डिजीटाइजेशन का उद्देश्य, कार्य स्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से दर्शाना है। ये दस्तावेज राष्ट्रीय संग्रहालय, बिहार राज्य सरकार संग्रहालय और डीजीएमएस धनबाद से लिए गए थे। इनमें कर्मकारों के साक्षात्कार की लिपियां और अन्य संबंधित दस्तावेज भी थे, अखबार की कतरनें आदि।

# श्रम एवं स्वास्थ्य केन्द्र

## विज़न

श्रम एवं स्वास्थ्य केन्द्र, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कर्मकारों के सामने उभरती स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को समझने और उनका हल निकालने की दृष्टि से अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रसार संबंधी कार्य करने का प्रयास करता है।

केन्द्र के अनुसंधान क्रियाकलाप, निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस करते हैं:

1. श्रम बाजार रूपांतरण और कर्मकारों की स्वास्थ्य सुरक्षा की चुनौतियां।
2. स्वास्थ्य सेक्टर के सुधार और श्रमिकों पर इसका प्रभाव।
3. कर्मकारों द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं की अभिगम्यता और उपयोग।
4. अनौपचारिक रोजगार में कर्मकारों का स्वास्थ्य सुरक्षा व्यय।

श्रमिकों और एचआईवी/एड्स से संबंधित क्रियाकलाप, श्रम एवं स्वास्थ्य केन्द्र का एक अभिन्न भाग है। यह संस्थान 'कार्य की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम: एक त्रिपक्षीय प्रतिक्रिया' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन परियोजना का कार्यान्वयन करता है। इस क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

(i) अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर एचआईवी/एड्स के प्रभाव पर डाटाबेस तैयार करना

(i) प्रवास प्रक्रिया की गतिशीलता और एचआईवी/एड्स के साथ इसका संबंध।

## पूरी कर ली गई परियोजनाएं/ चल रही परियोजनाएं

### 1. कार्य की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन परियोजना : एक त्रिपक्षीय प्रत्युत्तर, परियोजना संख्या एक्स कोल आई डी संख्या 2009/1629– भाग 6

### क्रियाकलाप

1. आईटीआई अनुदेशकों के लिए, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी ओ टी) मोड्यूल तैयार करना और उसकी प्रिंटिंग
2. आईटीआई पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु डीजीईटी एण्ड टी के लिए एचआईवी/एड्स की रोकथाम पर एक पाठ्यक्रम तैयार करना।
3. डीजीई एण्ड टी/डीटीटी एण्ड ई–आईटीआईज में एचआईवी/एड्स का समेकन
4. डीजीएलडब्ल्यू में एचआईवी/एड्स का समेकन

(परियोजना निदेशक : डॉ. रूमा घोष)

# लिंगीय मुद्दे और श्रम केन्द्र

लिंगीय मुद्दे और श्रम केन्द्र, संस्थान में स्थापित एक नया केन्द्र है, जिसकी स्थापना का उद्देश्य श्रम बाजार में लिंग संबंधी विषयों पर जानकारी प्राप्त करना और इसे मजबूत बनाना है। श्रम बाजार में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के प्रारंभ से लिंग संबंधी प्रश्नों ने एक महत्त्वपूर्ण विस्तार ले लिया है। लिंग पर आधारित भेदभाव से पार्श्वीकरण तथा खण्डीकरण में वृद्धि हो रही है जिसके कारण महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाता। श्रम बाजार में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए इन समस्याओं का समाधान करना जरूरी है, जिसके लिए शैक्षिक तथा नैतिक स्तर पर संगठित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस केन्द्र की स्थापना इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई है।

केन्द्र की गतिविधियां अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा लिंग एवं महिला श्रमिकों के मुद्दे पर प्रशिक्षण एवं समर्थन के क्षेत्र में संस्थान की प्रतिष्ठा को एक प्रमुख संस्थान के रूप में उन्नत करने की संभावनाओं पर विचार करके तैयार की गई हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र की संकल्पना महिला श्रमिकों के बारे में उपलब्ध दस्तावेजों और आंकड़ों के एक ऐसे प्रमुख संग्रह के रूप में तथा इस क्षेत्र में सक्रिय विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं की जानकारी में वृद्धि करने वाले एक पारस्परिक वैचारिक मंच के रूप में की गई है। केन्द्र के प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित विषय निर्धारित किए गए हैं:

- वैश्वीकरण के लिंग संबंधी पहलू:
  - सेवा उद्योग और महिला श्रमिक
  - विनिर्माण उद्योगों में उभरती प्रवृत्तियों के लिंग संबंधी पहलू
- अनौपचारिक सेक्टर में महिलाओं का सशक्तीकरण
  - कौशल प्रशिक्षण और विकास
  - माइक्रो क्रेडिट संस्थान और स्वयं सहायता समूह
- ग्रामीण श्रम बाजारों में बदलते हुए पुरुष–महिला संबंध
  - कृषि संबंधों में परिवर्तन और महिला नियोजन पर इसका प्रभाव
  - गैर–कृषि ग्रामीण नियोजन में महिलाएं
  - ग्रामीण महिला श्रमिकों की आजीविका संबंधी रणनीतियां
- सामाजिक सुरक्षा के लिंग संबंधी पहलू
  - मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लिंग संबंधी विश्लेषण
  - महिला श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं: उभरते हुए नमूने और दृष्टिकोण।

# पूरी कर ली गई परियोजना

## 1. भारत में घरेलू नौकरों का नियोजन और उनकी दशा : मुद्दे और सरोकार

### प्रस्तावना

बढ़ते शहरीकरण, गरीब परिवारों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास के परिणामस्वरूप अकुशल महिला कर्मकारों की श्रम शक्ति की सहभागिता में वृद्धि हुई है। इन महिलाओं में से अधिकांश महिलाएं घरेलू नौकरों के रूप में कार्य करती हैं। ऐसा, मांग और रोजगार के स्वास्थ्य में आसान सुगम्यता के कारण होता है और इस कारण भी होता है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने के लिए इन महिलाओं में शिक्षा तथा कौशल का अभाव होता है। घरेलू नौकरों की मांग सर्वव्यापक है। महिलाओं की बढ़ती श्रम शक्ति सहभागिता दर और भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली में आई कमी के परिणामस्वरूप इस सैक्टर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। भारत में, वर्तमान युग के दौरान घरेलू नौकर रखने की प्रथा में अत्यधिक वृद्धि हुई है, विशेष रूप से ऐसे परिवारों में जहां पुरूष और महिला दोनों कामकाजी हैं, परिवार न्यूक्लियर हैं और घर के क्रियाकलापों छोटे बच्चों की देखरेख करने के लिए कोई नहीं है। बढ़ता शहरीकरण, महिलाओं की बढ़ती श्रम शक्ति सहभागिता दर और विस्तारित परिवारों में आई कमी, इस सैक्टर की अप्रत्याशित वृद्धि के प्राथमिक कारण हैं।

भारत में, आरंभतः परिवार की प्रतिष्ठा प्रदर्शित करने के लिए ग्राम स्तर पर घरेलू नौकरों की सेवाओं का भार, बड़े जमीदारों द्वारा उठाया जाता था। इस समय, यह शक्ति या प्रतिष्ठा की बात नहीं है, बल्कि शहरी तथा ग्रामीण न्यूक्लीयर घरों (परिवारों) के लिए घरेलू नौकरों की सेवाएं चाहे वह अंशकालिक हो या पूर्णकालिक आवश्यक है। यह, परिवार की आवश्यकता और वित्तीय दशा पर निर्भर करता है।

अधिकांश घरेलू नौकर, समाज के सीमांत वर्ग से होते हैं और उनमें से अधिकांश प्रवासी कर्मकार होते हैं। कर्मकारों की रेंज पूर्णकालिक से लेकर अंशकालिक तक और कुशल से लेकर अकुशल तक है। ऐसे कर्मकार जो सफाई और खाना बनाने से परिचित हैं, को बहुत कम कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, कार्य में ऐसा देखा गया है कि कार्य और परिवार का संतुलन बनाने के लिए ऐसी महिलाओं को छूट दी गई हो जो अपने परिवारों की जिम्मेदारी भी संभालती हैं (गोथोस्कर, 2005)।

घरेलू नौकरों की बढ़ती मांग के साथ, अकुशल कार्य के लिए महिलाओं के प्रवास में वृद्धि देखी गई है। प्रवास के अनेक कारण हैं। यह, गरीबी, पैतृत कृषि भूमि से होने वाली आय में कमी और इसी प्रकार के अन्य कारणों से हो सकता है। इस संदर्भ में वर्तमान अध्ययन, हमारे देश के महानगरों में घरेलू नौकरों के रूप में काम करने वाली महिलाओं के पैटर्न का अनुमान लगाने का एक प्रयास है।

### उद्देश्य

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित थे :

- घरेलू नौकरों के नियोजन के स्वरूप का अध्ययन करना।
- इस कार्य में शामिल उन बिचौलियों की श्रृंखला का अध्ययन करना जिनके जरिए इन महिलाओं को नौकरी प्रदान की जाती है।
- नौकरी दिलवाने की प्रक्रिया में शामिल बिचौलियों द्वारा शोषण के स्तर का अध्ययन करना।

- महिला घरेलू नौकरों की धारणा का अध्ययन करना (वेतन, श्रम घंटे, बोनस और अन्य सुविधाएं)

## अध्ययन का क्षेत्र और पद्धति

श्रम बाजार में शहरी महिलाओं की बढ़ती सहभागिता के परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए दोहरा कार्य हो गया है अर्थात घर में और कार्यालय में। कार्य के दोहरे बोझ यात्रा कार्यालय समय को ध्यान में रखते हुए महानगरों में अनेक परिवार, घर पर किसी नौकर से, अधिकांशतः घरेलू नौकर के रूप में कुछ सहायता लेने का विकल्प चुनते है। भारत के महानगरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै) जहां पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं, का अध्ययन किया गया।

पहले चरण में, विज्ञापन और इंटरनेट से खोज करके, प्लेसमेंट एजेंसियों का पता लगाया गया। स्नोबाल तकनीक के जरिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै के विभिन्न भागों में स्थित प्लेसमेंट एजेंसियों/मिशनरी स्लम क्षेत्रों का पता लगाया गया। दूसरे चरण में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक दशाओं का अध्ययन किया गया। इसके लिए, प्रत्येक शहर के प्रतिनिधिक आंकड़े प्राप्त करने की दृष्टि से कोटा नमूनाकरण तकनीक का इस्तेमाल किया गया। प्लेसमेंट एजेंसी, मिशनरी, परिवार तथा ऐसे नजदीकी स्थानों, जहां वे अपनी परेशानियां हमारे साथ बांट सकती हैं, पर अधिकांशतः रविवारों को सहभागिता के दृष्टिकोण के जरिए इन महिलाओं का साक्षात्कार लिया गया।

## अध्ययन का दायरा

इस क्षेत्र में सीमित अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। यहां तक कि घरेलू नौकरों को कर्मकार का दर्जा भी दिया गया क्योंकि वे प्राइवेट घरों में काम करती है। ये महिलाएं जिस शोषण का सामना करती हैं, वह अत्यधिक अमानवीय है। वे कार्य करती हैं, इसलिए उन्हे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इस क्षेत्र में अपर्याप्त आंकड़ों अनुसंधान के अभाव में नीति निर्धारकों के लिए यह कठिन होगा कि वे इस दिशा में कदम उठाएं। यह अध्ययन, भारत के चार महानगरों में किया गया और भारत में घरेलू नौकरों की स्थिति सुधारने में नीति निर्धारकों तथा अनुसंधानकर्ताओं की सहायता करेगा।

## इस अध्ययन की सीमा

दिल्ली में प्रवासी घरेलू महिलाओं से साक्षात्कार करके सर्वेक्षण आरंभ किया गया। समूहों/संगठनों (गैर–कानूनी प्रवासी महिला घरेलू नौकरों के साथ कार्य कर रहे) ने हमारे प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर दिया परंतु उन्होंने उस समय सहयोग नहीं किया जब हमने उनके संगठन के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों का साक्षात्कार लेना आरंभ किया था। हमें प्रवासी घरेलू महिलाओं का पता लगाना था, अधिकांशतः घरेलू कर्मकार आंदोलन के जरिए (दिल्ली और कोलकाता में) और इन महानगरों में साक्षात्कार समाप्त करने में लगभग चार महीने का समय लग गया। दिल्ली और मुंबई में रह रही महिलाओं से संपर्क करना कठिन था क्योंकि इन शहरों में रह रहे व्यक्तियों के लिए वर्तमान राजनीतिक स्थितियां अनुकूल नहीं था। धरेलू नौकरों के साथ बातचीत करने के लिए भाषा, संचार की सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हुई।

## निष्कर्ष

घरेलू सेवा, वर्ग विभाजन को दर्शाता है जहां शक्ति संबंधों का सौहार्द्र, रणनीतियों के जरिए किया जाता है जैसे भौतिकवाद, उपहार और फिक्टिव किनशिप। इस समय, इस सैक्टर में आजीविका कमाने का प्रयास करने वाले बड़ी संख्या में गरीब कर्मकारों की सहायता करने के लिए बिल्कुल भी कोई विनियम या कानूनी रास्ता नहीं है। घरेलू नौकरों की कार्य संबंधी दशाओं में सुधार करने का प्रयास उचित है और यह सुधार बहुत पहले किया जाना चाहिए था। इस सर्वेक्षण से यह संकेत मिला कि घरेलू नौकर एक ऐसा असुरक्षित कर्मकार है जो न्यूनतम मजदूरी, पर्याप्त छुट्टी, उत्तम श्रम घंटे और कोई

ऐसा मंच जहां वे अपने अधिकारों आदि की आवश्यकता के मामले में जा सकती है, की हकदार हैं परंतु ये उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए। हालांकि अनेक शहरों में पिछले पच्चीस वर्षों में इस सैक्टर में कर्मकारों की यूनियन बनाने के प्रयास किए गए हैं और पेश किए गए विधेयकों को अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया गया है, नई और अधिक पहलों, उत्तम प्रस्तावों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। अधिनियम पारित करने से संभवतः तुरंत सुधार न हो सकें क्योंकि निजी क्षेत्र में कार्यों की विनियमित करने वाले कानूनों को कार्यान्वित करना सबसे कठिन कार्य है। फिर भी घरेलू नौकरों को समर्थन देने वाले कानूनों से उनकी स्थिति में बहुत सुधार होगा और इनसे उन्हें न्यूनतम संरक्षण प्राप्त होगा। अंशकालिक कार्य के विनियमन के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी क्योंकि एक ही कर्मकार के लिए प्रत्येक अलग–अलग नियोक्ता की जिम्मेदारी निर्धारित करना एक कठिन कार्य है। ऐसे अंशकालिक कर्मकारों, जिसका कोई एक नियोक्ता नही है बल्कि अनेक नियोक्ता हैं, की तुलना में पूर्णकालिक कर्मकारों की कार्य की शर्तें विनियमन करने के लिए विनियम पारित करना संभवतः आसान है।

सबसे पहले घरेलू नौकरों को कर्मकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और वे उन्हीं अधिकारों के हकदार होने चाहिए जिनके हकदार सभी कर्मकार हैं। श्रम कानूनों से उन्हें अलग रखा जाता रहा है। इस प्रकार की मान्यता से सीधे उनकी स्थिति में सुधार होगा। अपने अधिकारों के लिए लड़ने हेतु उन्हें पंजीकृत किया जाना चाहिए और उनकी यूनियन बनाई जानी चाहिए, कानूनी मशीनरी की सहायता प्रदान की जानी चाहिए और नियोक्ताओं के साथ होने वाले विवादों से संबंधित कार्रवाई करने हेतु विशेष श्रम न्यायालयों जैसे परिवार न्यायालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि वैधानिक सहायता के क्षेत्र में, वेतन, वेतनवृद्धि और बोनस, सामाजिक सुरक्षा, छुट्टी (प्रसूति छुट्टी और लाभों सहित), दुर्घटना बीमा सहित बीमा, नियोक्ताओं के परिवार के सदस्यों द्वारा कर्मकारों के प्रति यौन उत्पीड़न। अपराधों के मुद्दे कवर किए जाने चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे अंशकालिक कर्मकारों के लिए जो बहुत परेशानी में हैं, विशेष रूप से गरीब महिलाओं के लिए उनकी आवासीय कालोनियों, स्लम में, मनोरंजन, स्वयं सहायता समूहों के गठन और व्यावसायिक कौशल सीखने के अवसर प्रदान करके जीवन को आसान बनाया जाना चाहिए। आसपास के वातावरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता है और बीमारी कम करने के लिए अधिक स्वच्छ बनाए जाने तथा परिवारों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें बच्चों की देखभाल और अपने बच्चों के लिए सुसंचालित स्कूलों की सुविधाओं की आवश्यकता है। उच्च किस्म की शिशु सुरक्षा के प्रावधान बनाए जाने चाहिए और राज्य सरकारों को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। वर्तमान में घरेलू सेवा, उनका सर्वोत्तम विकल्प है और अनेक तरीके से उनके लिए उपयुक्त है इसलिए बेहतर कार्य दशाएं, न्यूनतम मजदूरी तथा शर्तें जिनसे वित्तीय सुरक्षा और नौकरी सुनिश्चित होगी, के कारण अल्प अवधि में उनके जीवन स्तर में बहुत सुधार होगा। उस स्थान के निकट जिस स्थान पर वह रह रहे है, इस कार्यबल के लिए नए सेक्टरों में नए अवसरों की योजना बनाई जा सकती है ताकि श्रम बाजार में उनकी विनियोजनीयता में वृद्धि हो सके।

(परियोजना निदेशक : डा. शशि बाला)

## 2. अनुसूचित जनजाति की महिला घरेलू कर्मकारों का दिल्ली में उत्प्रवास

### परिचय

भारत के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के गांव में लोगों की आर्थिक स्थिति में लगातार गिरावट होने के कारण वहां के जनजातीय लड़कियां आंतरिक अनुसूचित क्षेत्रों से निकलकर शहरी कस्बो की ओर आप्रवास कर रही हैं (मेनिस्कारिया, 2004)। इस कार्य में रोजगार प्रदाता एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। यह महसूस किया गया है कि ऐसी महिलाएं बहुत सी समस्याओं का सामना कर रही हैं क्योंकि जो लड़कियां गांव से शहर की तरफ आई हैं उनका हो सकता है कई प्रकार से शोषण किया जा रहा हो। ऐसे ही कई अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां देश की राजधानी दिल्ली

में प्रवासित हुई हैं। इनमें से अधिकांश लड़कियां अनपढ़ और अकुशल हैं। ऐसी लड़कियां शहरों में अमानवीय परिस्थितियों में काम करती हैं क्योंकि उनका आजीविका का स्तर बहुत ही निम्न है। अप्रवासी लड़कियों का बहुत बड़ा हिस्सा दलालों और ठेकेदारों के हाथों शोषण का शिकार हो रहा है, उनमें से बहुत सी महिलाएं एवं लड़कियां घरेलू नौकरों के रूप में काम करती हैं और सामान्य रूप से उन्हें 18–18 घंटे काम करना पड़ता है। यही कारण है कि ये वित्तीय और यौन दोनों प्रकार से शोषित होती हैं। इस संदर्भ में यह मौजूदा अध्ययन उन प्रवासी अनुसूचित जनजातीय लड़कियों की समस्याओं में झांकने का प्रयास है जो दिल्ली में रह रही है।

## उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन में निम्नलिखित पर विचार किया गया :–

- दिल्ली में घरेलू नौकरानियों के उत्प्रवास के कारण और परिणाम तथा दिल्ली में अनसूचित जनजाति की महिलाओं के दिल्ली प्रवास के कारण।
- प्रवास की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाने वालों की कड़ियां अर्थात एजेंटों/बिचोलियों/प्लेसमेंट एजेंसियों/गिरजाधरों आदि का शामिल होना।
- ऐसे संगठनों की पहचान करना जो प्रवासी अनुसूचित जनजातियों के लिए काम कर रहे हैं।
- अनुसूचित जनजातिय लड़कियों के प्रवास को नियंत्रित करने और मॉनीटर करने के उपायों की सिफारिश करना।

## अध्ययन क्षेत्र

छत्तीसगढ़, उड़ीसा झारखण्ड तथा दिल्ली

## पद्धति

वर्तमान अध्ययन तीन चरणों में किया गया था।

**चरण– I**

- आरंभतः खोज करके/इंटरनेट देखकर और इस क्षेत्र में किए गए समीक्षा अध्ययनों के जरिए उन प्लेसमेंट एजेंसियों का पता लगाया गया।
- प्लेसमेंट एजेंसियों का दौरा किया गया और वहां से स्नोबाल तकनीक के जरिए अन्य प्लेसमेंट एजेंसियों का पता लगाया गया। प्लेसमेंट एजेंसियों का दौरा किया गया और सीधी साक्षात्कार पद्धति के जरिए प्रश्न पूछे गए। हमने दिल्ली में महिला घरेलू नौकरों (एफ डी डब्ल्यू) के रूप में कार्य कर रही प्रवासी जनजातीय बालिकाओं के पते भी लिए।

**चरण– II**

- दूसरे चरण में, जनजातीय लड़कियों की सामाजिक–आर्थिक दशाओं का अध्ययन किया गया।
- उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली की पाकिटों से महिला घरेलू नौकरों के चयन कोटा नमूनाकरण तकनीक का इस्तेमाल किया गया था।

- चर्च, घरों या ऐसे नजदीकी स्थानों, जहां वे स्वतंत्रापूर्वक अपनी बात कह सकती हैं तथा कार्य के बारे में हमारे साथ अपने विचारों का आदान–प्रदान कर सकती हैं, पर सहभागिता दृष्टिकोण के जरिए महिला घरेलू नौकरों का सर्वेक्षण किया गया।
- इन लड़कियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार के जरिए संरचित प्रश्नावली भरी गई थी।

**चरण– III**

- मूल स्थान (छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड) में सर्वेक्षण किया गया था। तीन जिलों में 40 गांवों का सर्वेक्षण किया गया था (प्रश्नावली और गांवों की सूची संलग्न है)। दिल्ली में 1000 महिला घरेलू नौकरों के सर्वेक्षण के पश्चात एकत्र की गई सूचना के आधार पर सर्वेक्षण किए गए मूल स्थानों का पता लगाया गया। यह पाया गया कि इस नमूने में से 70 प्रतिशत महिला घरेलू नौकर झारखंड से, 20 प्रतिशत उड़ीसा से और 10 प्रतिशत छत्तीसगढ़ से आई थी। तद्नुसार उपलब्ध प्रतिनिधिक नमूनों का सर्वेक्षण किया गया था : 70 प्रतिशत झारखंड में, 15 प्रतिशत उड़ीसा में और 15 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में।

**अध्ययन की सीमा**

- सर्वेक्षण का बजट और अवधि बहुत कम थी। प्लेसमेंट एजेंसियों का पता लगाने का कार्य अपने आप में एक अध्ययन था। आरंभतः हमने समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के जरिए इन प्लेसमेंट एजेंसियों के पतों का पता लगाया। जब इन प्लेसमेंट एजेंसियों का दौरा किया गया तो यह पाया गया कि इन एजेंसियों में से अनेक एजेंसियां वास्तव में उन पतों पर नहीं थी जिन पतों का विज्ञापन में उल्लेख किया गया था। अनेक एजेंसियां टेलीफोन के जरिए कार्य कर रही थी। ऐसी एजेंसियों को हमारे सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया। प्लेसमेंट एजेंसियों का दौरा करने का अर्थ था, नजदीकी पुलिस स्टेशन का दौरा भी करना, जो अपने आप में एक कठिन कार्य था। प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ कुछ बैठकों के पश्चात यह पाया गया कि वे अपनी सूचना को छिपाना पसंद करते हैं, विशेष रूप से सिविलियनों से। यह उनके लिए एक व्यवसाय है। वे अपने आपको पंजीकृत नहीं कराते। उन्होंने अपनी वैधता के साक्ष्य के रूप में हमें दो दस्तावेज दिखाए (साझेदारी अधिनियम, 1932 या सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकरण)।
- वर्तमान अध्ययन में घरेलू नौकरों को ऐसे कर्मकार माना गया है जो केवल दिल्ली में प्राइवेट परिवारों में कार्य करते हैं।

## निष्कर्ष

**भारत के शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के नियोजन के लिए, घरेलू कार्य सबसे बड़ा सैक्टर है।**

- भारत के शहरी क्षेत्रों में 3.05 मिलियन लड़कियां प्राइवेट घरों में नियोजित है। वे, बर्तन साफ करने, बच्चों की देखभाल करने, बुजुर्गों के देखभाल करने से लेकर खाना बनाने तक की रेंज में विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है। यह, भारत के शहरी क्षेत्र में महिलाओं के नियोजन के लिए घरेलू सेवा को सबसे बड़ा सैक्टर बना देता है। इस प्रकार इसकी कार्यदशाएं और मिलने वाला वेतन, भारत के शहरी क्षेत्र में लड़कियों के कार्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण शाखा विस्तार है।

**यह तेजी से बढ़ता हुआ सैक्टर है**

- इस सैक्टर द्वारा काम पर लगाई गई लड़कियों की संख्या में 1999–2000 से 222 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। बढ़ता शहरीकरण, श्रम का महिलाकरण, न्यूक्लियर परिवार, इस सैक्टर की अप्रत्याशित वृद्धि के कुछ प्राथमिक कारण हैं।

## भारत में प्रमुखता से यह एक महिला व्यवसाय है

- घरेलू कार्य प्रमुखता से एक महिलाओं का व्यवसाय है और यह ऐसा बना हुआ जो अदृश्य–सा रहता है और कार्यों के अंतर्गत गिना नहीं जाता। वास्तव में घरेलू कार्य की धारणा ही स्त्री–पुरूष वाचक है। बहुत पहले से यह धारणा बनी हुई है कि घरेलू कार्य "लड़कियों का कार्य" है जिसमें किसी कौशल या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसे अधिक महत्व नहीं दिया जाता। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक शोषण, जिसमें यौन उत्पीड़न शामिल है, के ज्वलंत उदाहरणों की सूचना दी गई है और प्रवासी कर्मकारों को विशेष रूप से खतरा रहता है।

## कार्य और जीवन–यापन की दयनीय दशाएं

- शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में असंगठित कर्मकारों की कार्य संबंधी और जीवन यापन दशाओं में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने अनेक पहलें की हैं परंतु आश्चर्य की बात है कि घरेलू कर्मकार में सामान्यतः असुरक्षा रहती है जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक उन्मूलन और उनके कार्य की ड्रीमिंग स्थिति तथा कुल मिलाकर निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति के कारण असुरक्षितता की भावना बनी रहती है। दिल्ली के घरेलू कर्मकार, न्यूनतम वेतन, समयोपरि भत्ता, सार्वजनिक छुट्टियों के वेतन से वंचित रहते हैं। आरंभतः यह असंगठित कर्मकार की व्यवस्था के अंतर्गत कवर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, दोनों प्रकार के कर्मकारों के लिए दैनिक वेतन का निर्धारण आवश्यक है और किसी पूर्णकालिक कर्मकार को आठ घंटे प्रतिदिन से अधिक कार्य नहीं करने देना चाहिए।

## यूनियन और कानूनी ढांचा

- घरेलू कर्मकार को, ऐसी औपचारिक घरेलू कर्मकार यूनियन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो ध्यान रख सके। घरेलू कर्मकारों को कर्मकारों के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। श्रम कानूनों में अभी तक इन्हें शामिल नहीं किया गया। ऐसी मान्यता सीधी उनकी स्थिति में सुधार करेगी। उन्हें ऐसी औपचारिक घरेलू कर्मकार यूनियन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो उनके हितों का ध्यान रखें। उनकी कार्य संबंधी और जीवन यापन दशाओं में सुधार करने के लिए इन सुरक्षा विनियमों के अलावा, भुगतान वाली छुट्टियों और चिकित्सा सुविधाओं के उपबंध आवश्यक हैं। यह, किसी भी प्रकार के शोषण से अपने आप को बचाने में घरेलू कर्मकार की सहायता कर सकता है जिसका वे घरेलू कर्मकार के रूप में कार्य करते समय सामना करती हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उन्हें घरेलू कर्मकारों के लिए बनाई गई सरकार द्वारा सहायता प्रदत्त योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार की सामाजिक पद्धति, दिल्ली की महिला घरेलू कर्मकारों की आर्थिक और कार्य संबंधी दशा में सुधार करेगी। इस कार्य प्रक्रिया में मीडिया को शामिल किया जा सकता है।

## कौशल उन्नयन और विधायी समर्थन

- प्लेसमेंट एजेंसियों का पर्यवेक्षण, कानून के कठोर दायरे के अंतर्गत किया जाना चाहिए। घरेलू कर्मकार की बेहतर कार्यदशाओं और जीवन यापन दशाओं के संबंध में मीडिया के जरिए जागरूकता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें, उत्तम वातावरण में कार्य करने का अधिकार है। उनके कौशलों में वृद्धि की जानी चाहिए। मानव खरीद–फरोख्त, जो एक व्यवसाय बन गया है, का विधान में सख्ती से ध्यान रखा जाना चाहिए।

(परियोजना निदेशक : डा. शशि बाला)

# चल रही परियोजनाएं

## 1. कामकाजी महिलाओं की प्रसवोत्तर श्रम बाजार सहभागिता : प्राइवेट सैक्टरों का एक मामला

### प्रस्तावना

प्रसवोत्तर, श्रम बाजार में महिलाओं की सहभागिता, बाद में उनकी व्यावसायिक प्राप्ति निर्धारित करने में अक्सर महत्वपूर्ण होती है। ऐसी महिलाएं, जो कुछ वर्षों तक श्रम बाजार से बाहर रहतीं, अपनी मानव पूंजी में क्षति का अनुभव करती हैं, जब वे श्रम बाजार में पुनः प्रवेश करना चाहती हैं तो वे अक्सर केवल कम महत्वपूर्ण स्थान कर सकती हैं। इसके अलावा, ऐसे क्षेत्रों में, जहां बेरोजगारी की दर उच्च है, महिलाओं के लिए श्रम बाजार में पुनः प्रवेश करना कठिन है। इससे महिलाएं इस बात के लिए उत्प्रेरित रहती है कि वे भविष्य में कोई अन्य नौकरी खोजने के लिए नौकरी छोड़ने के बजाय यथा संभव लंबे समय तक प्रसूति छुट्टी लेना टालें। जब माताएं अपनी नौकरी नहीं छोड़ती हैं तो वे डाउनवर्ड व्यावसायिकता सचलता का अनुभव कर सकती हैं। अपने कैरियर की प्रगति और वेतन में गैर–माताओं के संबंध में बच्चों वाली महिलाएं दंडित होती हैं। यह कार्य संबंधी क्रियाकलापों में कामकाजी महिलाओं के वास्तविक या काल्पनिक निम्न प्रयास से संबंधित है (समयापेरि कार्य या यात्रा भत्ते की उपलब्धता में कमी बच्चों की बीमारी के कारण बढ़ी अनुपस्थिति में वृद्धि)। इसके अलावा, बच्चों वाली अनेक महिलाएं अंशकालिक कार्य करना पसंद करती हैं, इसका अर्थ है, पूर्णकालिक नियोजन पर वापस लौटने में बाद में आने वाली कठिनाई के पश्चात कैरियर के कम अवसर। इस सब से माताओं के वेतन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस संदर्भ में वर्तमान अनुसंधान में, नौकरी बदलने और प्रसूति के पश्चात नियोजित महिलाओं के बीच श्रम शक्ति में अंतरालों के निर्धारकों का उल्लेख किया गया हैं जिसमें संगठनों द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभों और कार्य संबंधी दशाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

### उद्देश्य

प्रसूति के पश्चात महिला श्रम शक्ति के निर्णय, उनकी बाद की व्यावसायिक उपलब्धि निर्धारित करने में अक्सर महत्वपूर्ण होते हैं (जेन्नीफर एण्ड रिले, 1998)। इस संदर्भ में वर्तमान अनुसंधान में, नौकरी बदलने और प्रसूति के पश्चात नियोजित महिलाओं के बीच श्रम शक्ति में अंतरालों के निर्धारकों का उल्लेख किया गया हैं जिसमें संगठनों द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभों और कार्य संबंधी दशाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

वर्तमान अध्ययन के व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :

- देश में बाल सुरक्षा सुविधाओं के विधायी ढांचे पर दृष्टि डालना।
- कैरियर ब्रेक जॉब पैनल्टी और घटती हुई व्यावसायिक सचलता, यदि कोई है, पर दृष्टि डालना (इसमें श्रम शक्ति से अस्थायी रूप से वापसी की अवधि और समय तथा बच्चे को जन्म देने के पश्चात माताओं द्वारा श्रम बाजार में लौटने की प्रवृत्ति पर दृष्टि डाली गई है)।
- बच्चे को जन्म देने के पश्चात नियोजन के स्थायित्व की जांच करना।

### पद्धति

- आरंभतः बाल सुरक्षा सुविधाओं के विधायी ढांचे पर उपलब्ध द्वितीयक संगृहित किए जाएंगे और उनकी समीक्षा की जाएगी।
- इसके पश्चात, नौएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद में स्थित आईटी, आईटीईएस फर्मों का पता लगाया जाएगा।

- प्रश्नावली तैयार की जाएगी और नौएडा स्थित फर्मों में मुख्य परीक्षण किया जाएगा।
- एक बार प्रश्नावली को अंतिम रूप दे दिए जाने के पश्चात महिला कर्मकारों और नियोक्ताओं से अपेक्षित सूचना एकत्र करने के लिए सीधी साक्षात्कार पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा।
- संरचित नमूनाकरण तकनीक का इस्तेमाल करके, 25–45 वर्ष के आयु समूह में आने वाली महिला कर्मकारों से संरचित प्रश्नावली के जरिए आंकड़े संगृहित किए जाएंगे।
- संगृहित आंकड़ों को आगे व्याख्या किए जाने के लिए सामाजिक विज्ञान पैकेज के लिए सांख्यिकीय पैकेज में प्रविष्टि के जरिए सारणीकृत किया जाएगा।
- ऊपर उल्लिखित शहरों में अनुसंधान उद्देश्य के लिए टैक्सटाइल गारमेंट और नर्सिंग जैसे अन्य व्यावसायिक समूहों पर भी विचार किया जाएगा।

## परियोजना का औचित्य और महत्व

अनुसंधान, चुनिन्दा प्राइवेट फर्मों में प्रसूति के पश्चात बाल सुरक्षा सुविधाओं की तस्वीर को सामने लाएगा। प्रसूति के पश्चात, महिलाओं की कार्य में सहभागिता पर श्रम बाजार में नकारात्मक प्रभावित होता है। ऐसा मुख्यतः शिक्षा में अंतराल संसाधनों पर कमांड के स्वरूप, ऋण उपलब्धता, नई प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण और विपणन नेटवर्क आदि के कारण हो सकता है। यह अध्ययन, बेहतर कार्य तथा परिवार संतुलन के संभावित सुझाव देने में सहायता करेगा। यह, वास्तविक और नीति स्तर पर भी श्रम बाजार में महिला श्रम शक्ति की अधिक सार्थक सहभागिता में भी सहायता कर सकता है।

## अध्ययन का क्षेत्र

यह अध्ययन, नौएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद में सूचना प्रौद्योगिकी (सॉफ्टवेयर डवलपमेंट), आईटीईएस (जानकारी प्रासेसिंग, व्यवसाय प्रोसेसिंग, काल सेंटरों, अन्य आईटीईएस सेगमेंटों) के सेगमेंटों में किया जाएगा।

(परियोजना निदेशक : डा. शशि बाला)

# पूर्वोत्तर अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र

## पूर्वोत्तर अनुसंधान केन्द्र

उत्तर–पूर्व क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक विशिष्टीकृत केन्द्र की स्थापना संस्थान में वर्ष 2009 में की गई है ताकि उत्तर–पूर्व क्षेत्र में श्रम तथा रोजगार के मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस अनुसंधान केन्द्र का मुख्य उद्देश्य श्रम तथा रोजगार मुद्दों पर नीति उन्मुख अनुसंधान करना है जो उत्तर पूर्व क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए रोजगार पैदा करने की रणनीतियों के विकास को सुविधाजनक बनाएगा। संस्थान की अपनी फैकल्टी के अतिरिक्त केन्द्र में यह व्यवस्था भी की गई है कि देश के जाने माने अकादमिक लोगों, संगठनों तथा अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करके इसकी सम्पूर्ण गतिविधियों का संचालन किया जाए। वर्ष 2009–2010 और वर्ष 2010–2011 के दौरान जिन मुद्दों पर अग्रता के आधार पर अनुसंधान की गतिविधियां आरंभ की जानी है, अनुसंधान विषयों की पहचान निम्न रूप में की गई हैं:–

- भारत में आर्थिक विकास, रोजगार, गरीबी और विकास के संकेतक : पूर्वोत्तर क्षेत्र के साक्ष्य
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक सुधारों का रोजगार पर प्रभाव
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैर–कृषि रोजगार की संभावनाएं और भूमिका
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल रोजगार में सेवा क्षेत्र की भूमिका और हिस्सा
- असुरक्षित समूह : बाल श्रमिक, ठेका श्रमिक और बंधुआ मजदूर
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में आजीविका की रणनीति के रूप में आप्रवास
- रोजगार विस्तारण : पर्यटन की संभावना और भूमिका, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग तथा चाय बागान क्षेत्र
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवा बेरोजगारों का मुद्दा
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा रोजगार की अन्य योजनाओं और पहल का प्रभाव

अनुसंधान परियोजनाएं चलाने के अलावा यह केंद्र विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित अनुसंधान शोधकर्ताओं को श्रम अनुसंधान पद्धति प्रशिक्षण प्रदान करने में भी सक्रियता से लगा हुआ है। यह केंद्र, चर्चाएं करने के लिए समय–समय पर अनुसंधान कार्यशालाएं भी आयोजित करता है जिनमें पूर्वोत्तर विश्वविद्यालयों और संस्थानों के सहभागियों को शामिल किया जाता है तथा केंद्र के अनुसंधान कार्यक्रमों को अंतिम रूप देता है।

## चल रही परियोजनाएं

### 1. उत्तर–पूर्व भारत के परिसंकटमय रोजगार में लगे प्रवासी तथा ऐसे बच्चे जिनकी खरीद फरोख्त की गई है : नागालैण्ड का मामला

काम पर लगाए जाने के लिए बच्चों की खरीद–फरोख्त तथा बच्चों को केवल रोजगार के उद्देश्य से उत्प्रवास दोनों प्रक्रियाएं ऐसी है जिन्होंने बच्चों की बहुत बड़ी संख्या को प्रभावित किया है। बच्चों की खरीद–फरोख्त में वे सारे कार्य शामिल है जो भर्ती, व्यक्तियों को सीमा पार या सीमा के भीतर लाना ले जाना, बलपूर्वक कार्य लेना, कर्ज के फलस्वरूप दासता या

धोखाघड़ी जो व्यक्तियों के काम पर लगाए जाने के उद्देश्य से की जाएं और व्यक्तियों को ऐसी स्थितियों में काम पर लगाना जिनमें उनका शोषण किया जा सके जैसे बलातः वेश्यावृत्ति, गुलामी, मारना–पीटना या अत्यधिक अत्याचार, पसीना बहाने वाला श्रम या शोषणकारी घरेलू सेवा आदि। आंकड़े अत्यधिक कम है और ऐसे है जिनपर विश्वास नहीं किया जा सकता। मात्रात्मक सूचनाएं अधिकांशतः सर्वेक्षण तथा अध्ययनों से एकत्र की गई हैं और अनुमानों के आधार पर उनका विश्लेषण किया गया है।

नागालैण्ड में अधिकांश बच्चों की खरीद–फरोख्त भोन तथा ट्यूनसांग जिलों से की जाती है। इन बच्चों को मुख्य रूप से घरेलू कार्यों में लगाया जाता है लेकिन उन्हें दुकानों, रेस्तराओं, होटलों तथा मोटर कार्यशालाओं में भी लगे देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्हें फार्मों पर भी लगाया जाता है। कुछ मामलों में उनका यौन उत्पीड़न भी किया जाता है। खरीदे गए ऐसे बच्चों में से जो घरेलू कार्य करते हैं, में से 80 प्रतिशत लड़किया हैं। इन जिलों से खरीदे गए बच्चों को नागालैण्ड के दीमापुर कोहिमा तथा मोकोचुग जैसे शहरों में ले जाया जाता है। कुछ बच्चों को बहुत दूर मध्य पूर्व, थाइलैण्ड, सिंगापुर और कुछ भारतीय राज्यों जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल आदि में भी भेजा जाता है। खरीद–फरोख्त के रास्ते स्थानीय परिस्थितियों या मांग और आपूर्ति जैसे मुद्दों के अनुसार बदलते रहते हैं। अधिकांश मामलों में उनकी दिशा और बहाव तर्क विरूद्ध लगता है। बच्चे अधिकतर/बहुदा खरीद–फरोख्त के खतरों से अनजान रहते हैं और उन्हें यह विश्वास रहता है कि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे उनकी कमाई बेहतर होगी। लेकिन ऐसी बातें छिपा कर रखी जाती है और उनका समाधान मुश्किल होता है।

आज की तारीख तक नागालैण्ड में इन आंकड़ों का प्रलेखन नहीं हुआ है कि परिसंकटमय व्यवसायों में कार्यदल प्रवासी अथवा ऐसे बच्चे जिनकी खरीद की गई है, की वास्तविक संख्या कितनी है। जो थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है वह यह है कि इन बच्चों का अनौपचारिक क्षेत्र में गंतव्य स्थानों पर किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों की खरीद–फरोख्त करने या उनके उत्प्रवास की प्रक्रिया क्या है। वित्तीय बाधाओं के चलते ऐसे बच्चों का सर्वेक्षण नहीं हो पाता। अतः आंकड़ों का अभाव है। इसके साथ ही अनुसंधान पद्धति जो ऐसे कार्य के लिए उपयुक्त का भी अभाव है। इसके अतिरिक्त, इन इलाकों में यह मान्यता भी है कि राज्य में ऐसे बच्चे है ही नहीं। यही कारण है कि लक्ष्य प्राप्त करने में बाधाएं आती हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य इस उलझी गुत्थी को सुलझाना है कि बच्चों की खरीद–फरोख्त के आगे–पीछे की कहानी क्या है और इन बच्चों की मांग और आपूर्ति के बीच क्या संबंध है और इस संबंध में समग्र बातों को ध्यान में रखते हुए सुझाव देना है तथा बच्चों की खरीद–फरोख्त को रोकने के साथ–साथ बच्चों की विभिन्न व्यवसायों में लगाने की प्रथा को रोकना है विशेष रूप से निकृष्टतम रूप में जिनमें बच्चों को रोजगार में लगाया जाना केवल खतरनाक ही नहीं बल्कि शोषणकारी भी है।

(समन्वयक : श्री टी. शुबायंगर)

## 2. भारत के उत्तर–पूर्व क्षेत्रों में युवा बेरोजगारी का स्वरूप और चुनौतियां

यह अध्ययन उत्तर–पूर्व राज्यों में युवा बेरोजगारी की स्थिति पर केंद्रित है। इन राज्य में आर्थिक विकास धीमा है और इनकी जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है अथवा भविष्य में बढ़ने की आशा है। उपरोक्त संदर्भ में यह युवा बेरोजगारी की प्रकृति और व्यापकता, उसकी विभिन्न चुनौतियां तथा अर्थव्यवस्था पर भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा। अध्ययन के विस्तृत उद्देश्य निम्नलिखित है – (क) रटोर परिवर्तन के वर्तमान संदर्भ में उत्तर–पूर्व क्षेत्र में श्रम बाजार परिदृश्य को परिस्थिति के अनुसार ढालना। इसमें भी विभिन्न सेक्टरों में रोजगार की गुणवत्ता तथा विस्तार पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। (ख) युवा बेरोजगारी तथा आपूर्ति पक्ष के कारणों के सह–संबंधों का सिलसिलेवार विश्लेषण – इसमें भी आपूर्ति पक्ष के कारणों तथा रोजगार में लगने की स्थितियों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। (ग) संकटकालीन विकल्प के रूप में शहरी क्षेत्रों में उत्प्रवास के महत्व को समझना। (घ) युवा बेरोजगारी के लिंगीय आयामों की समीक्षा करना। (ड.) मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के बीच श्रम बाजार स्थितियों के बीच अंतर का पता लगाना।

यह अध्ययन प्राथमिक तथा द्वितीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित होगा। द्वितीयक आंकड़ें सरकारी तथा गैर–सरकारी स्रोतों से चाहे वह प्रकाशित हो या अप्रकाशित से एकत्र किए जाएंगे। ये स्रोत सर्वेक्षण रिपोर्ट, सांख्यिकीय रिपोर्ट, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट पत्र–पत्रिकाएं जो उस क्षेत्र से या देश से संबंधित हों। प्राथमिक आंकड़ें फील्ड सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे। प्राथमिक आंकड़ें असम, नागालैण्ड, मणिपुर से यादृच्छिक नमूना प्रणाली का इस्तेमाल करके एकत्र किए जाएंगे। इसमें मानक साक्षात्कार अनुसूचियां तथा प्रश्नावलियां शामिल होंगी। ये आंकड़ें पारिवारिक नमूनों के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे।

(समन्वयक डा. बी. किलंगला जमीर)

## 3. पूर्वोत्तर भारत में गैर–कृषि रोजगार के विकास, गठन तथा निर्धारक तत्व

कृषि उत्पादन के संबंध में लोच तथा कृषि के क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में उच्चस्तरीय छिपी हुई बेरोजगार तथा अल्प बेरोजगारी से यह पता चलता है कि इस क्षेत्र को ग्रामीण गरीबी तथा ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है जैसाकि साहित्य की समीक्षा से संकेत मिलते है कि आरएनएफई पर होने वाले अधिकांश अध्ययन सम्पूर्ण देश या देश के किन्हीं हिस्सों से संबंधित है और उत्तर–पूर्व राज्यों के संबंध में कोई अध्ययन नहीं हुआ है। आज की तारीख तक आरएनएफई की गतिशीलता पर कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं हुआ है जो सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए हो। इस क्षेत्र में पिछले तीस वर्षों से अधिक समय तक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि बड़ी तेजी से हुई है (पिछले तीन दशकों में 35 प्रतिशत से अधिक) क्षेत्र का शहरीकरण भी सही दिशा में हो रहा है और क्षेत्र में विकास के कार्यकलाप हो रहे है जो अधिकांशतः सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। कृषि योग्य भूमि और व्यक्तियों के बीच का अनुपात इस अवधि के दौरान और घटा है क्योंकि कृषि जोतों के आकार में लगातार कमी आ रही है। पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में शैक्षिक बेरोजगारी बढ़ी है विशेष रूप से 1990 के दशक में। इस क्षेत्र का मानव विकास सूचकांक पूरे भारत के मुकाबले अधिक है लेकिन इस क्षेत्र का आर्थिक विकास पिछड़ा है (1.2 प्रतिशत प्रति व्यक्ति) विशेष रूप से 1990 के दशक में। विशेषज्ञ व्यक्तियों की राय में ऐसी स्थिति उत्तर–पूर्व समाज में सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी कर सकती है। कृषि क्षेत्र धीरे–धीरे लेकिन लगातार विकास कर रहा है और आधुनिक बनता जा रहा है। इस प्रकार इन सभी विकास कार्यों ने कार्य बल की उपलब्धता, प्रकृति और गठन में प्रत्यक्ष परिवर्तन कर दिया है। इस क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने पर इसके गंभीर परिणाम सामने आए हैं।

मोटे तौर पर किए गए अनुमानों से यह पता चलता है कि 2001 की जनगणना के आधार पर इस क्षेत्र का आनएनएफई अखिल भारतीय औसत और एनएसएस के 55वें चक्र में 29 प्रतिशत और 24 प्रतिशत के मुकाबले क्रमशः 39 प्रतिशत और 32 प्रतिशत रहा है। इस क्षेत्र के बहुत से अर्थशास्त्री और नीति निर्माताओं की यह राय है कि मामूली–सा आर्थिक विकास और कमजोर औद्योगिक विकास के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अधिकांश विचलन हो सकता है नीची अंतिम सेवाओं को निम्न दें। क्या यह स्थिति वैद्यनाथन के शेष बचे सैक्टर के हाइपोथीसिस की पुष्टि तो नही कर रही है। यह क्षेत्र विविधता से पूर्ण है और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उप–क्षेत्रीय विशिष्टताओं का प्रदर्शन करता है जिसमें इसकी अर्थव्यवस्था, भूगोल, सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक प्रथाएं शामिल हैं। इस प्रकार की विविधताओं की मौजूदगी के कारण गैर–कृषि क्षेत्र में रोजगार की गतिशीलता, आय सृजन के आयामों का विश्लेषण के एकल ऊंचे या एकसार अथवा एक समान हाइपोथिसिस में स्पष्टीकरण कराना आसान नहीं होगा। इन कारणों के आलोक में इस अध्ययन में यह प्रस्तावित है कि सामान्य रूप से उत्तर–पूर्व में और विशेष रूप से असम और मेघालय में आरएनएफई के निर्धारक तत्वों, विस्तार तथा प्रकृति पर सुव्यवस्थित अध्ययन का प्रस्ताव है। विशेष रूप से हमारे अनुसंधान का उद्देश्य उत्तर–पूर्व क्षेत्र में गैर–कृषि ग्रामीण रोजगार के विकास निर्धारक तत्वों, सेक्टोरल गठन, प्रकृति तथा प्रवृत्तियों का परीक्षण करना है। यह अध्ययन दोनों तरह के आंकड़ों प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित होगा। प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़े जनगणना, एनएसएसओ, सीएमआईई तथा अन्य प्रकाशनों से लिए जाएंगे। प्राथमिक आंकड़े 1000 परिवारों जो असम और मेघालय के 5 जिलों और 15 गांव तक विस्तारित

होंगे, से एकत्र किए जाएंगे। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक पद्धतियों को इस्तेमाल किए जाएंगे।

(समन्वयक डा. भागीरथी पाण्डा)

## 4. पूर्वोत्तर क्षेत्र से शहरी केंद्रों पर उत्प्रवास : दिल्ली क्षेत्र का एक अध्ययन

यह देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों से सचल जनसंख्या (विशेषतः युवा) की उत्तर–पूर्व राज्यों से देश के मुख्य शहरी केंद्रों पर मौजूदगी देखी जा रही है। ये केंद्र मूल रूप से दिल्ली, बंगलौर, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, चण्डीगढ़, पुणे तथा हैदराबाद आदि है। युवाओं की मौजूदगी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के रूप में उच्च शिक्षण संस्थानों में, और सेवा सेक्टर के व्यवसायों, जैसे रेस्तराओं, पैरा–मैडिकल, काल सेंटरों, घरेलू तथा देखभाल सेवाओं, ब्यूटी पार्लरों, सत्क्रम संबंधी सेवाओं तथा सेवा सेक्टर के अन्य कार्यों में लगे देखा जा सकता है।

प्रारंभिक रूप से एकत्र की गई जानकारी और विशेषज्ञों से हुई बातचीत से यह पता चलता है कि युवा वर्ग का उत्तर–पूर्व राज्यों से शहरी केंद्रों में उत्प्रवास के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं –

(क) शैक्षिक (ख) रोजगार (ग) अन्य अनुकूल परिस्थितियों जहां के स्थानीय श्रम बाजार में रोजगार की क्षीण संभावनाएं ही उत्तर–पूर्व क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में उत्प्रवास का मुख्य कारण है। उत्तर–पूर्व राज्यों में शिक्षित युवा वर्ग के लिए रोजगार के घटते अवसर या उनकी संख्या में हो रही बढ़ोतरी का कारण उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास का नीचा स्तर तथा आधुनिक सेक्टर और व्यवसायों का कम विस्तार है। सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की स्थिति ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। श्रम बाजार में श्रमिकों की कम खपत और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के खुलते अवसरों ने युवाओं को शहरी क्षेत्र के केंद्रों में प्रवास के लिए प्रेरित किया है (कम से कम कुछ मामलों में) ताकि वे रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश कर सकें। क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा तथा गरीबी ने भी युवाओं के निर्णयों को प्रवास के लिए प्रभावित किया है। इसके साथ–साथ बड़े–बड़े शहरों में उनका काम करने का सपना और नई अर्थव्यवस्था में काम करने के अवसरों की तलाश भी उनके प्रवास का कारण है।

इस पृष्ठभूमि में वर्तमान अध्ययन युवाओं के उत्तर–पूर्व क्षेत्रों से प्रवास जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उनके प्रवास फील्ड आधारित अध्ययन पर केंद्रित किया जाएगा। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्न प्रकार है– (क) उत्तर–पूर्व क्षेत्र से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अध्ययन क्षेत्र) में युवाओं के उत्प्रवास की विशेषताओं, प्रक्रिया, विशिष्ट पैटर्न को समझना (ख) उत्तर–पूर्व क्षेत्र से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अध्ययन क्षेत्र) में युवाओं के उत्प्रवास के मुख्य कारणों का विश्लेषण करना और उनकी पहचान करना (ग) ऐसे महत्वपूर्ण शहरी व्यवसायों का खाका तैयार करना जिनमें उत्तर–पूर्व से आए श्रमिकों की बहुतायत है और इस प्रवृत्ति के कारणों की जांच करना। (घ) उत्तर–पूर्व क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के उत्प्रवास में सामाजिक नेटवर्किंग तथा संस्थागत/अभिकरण नेटवर्क की भूमिका का विश्लेषण करना (ड.) उत्तर–पूर्व क्षेत्र से प्रवासित कर्मकारों द्वारा शहरी क्षेत्रों में जिन सांस्कृतिक समायोजनों का सामना किया जाता है उनके कारणों पर विचार–विमर्श करना (च) शहरी केंद्रों में उत्तर–पूर्व राज्यों से प्रवासी युवाओं की दशाओं को सुधारने और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए आवश्यक सुझाव देना।

(समन्वयक डा. बाबू पी रमेश)

## 5. विनियमित श्रम बाजार में जीवन का मूल्य : असम के चाय बागानों का अध्ययन

असम राज्य की अर्थव्यवस्था में चाय उद्योग मुख्य आजीविका प्रदान करने वाला उद्योग है। बागान श्रम अधिनियम, 1951 तथा असम चाय बागान पेंशन तथा भविष्य निधि ट्रस्ट के अधीन उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा के अपेक्षित विनियमित

उपबंधों के बावजूद अध्ययन और रिपोर्टें यह बताती है कि आजीविका के इस मुख्य साधना में श्रम मानकों की कमी है। हालांकि निम्न श्रम मानक बागानों के केवल श्रमिकों को वंचित रखने के केवल एक हिस्से को ही दिखाते हैं। एक ऐसा भी पक्ष है जो कभी उजागर नहीं हुआ है वह है कार्य से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम, मशीनों से लगी चोटें और बागान क्षेत्र में होने वाली मौतें। स्वास्थ्य जोखिमों, चोटों और मौतों के संबंध में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।

प्राथमिक अवलोकन से यह पता चलता है कि रसायनिक खतरों, दुर्घटनाओं तथा मशीनों से होने वाले खतरों जो फील्ड तथा चाय बागानों के कारखानों में होते है वे आम हैं। असम के सबसे बड़े आजीविका साधन में स्वास्थ्य जोखिमों तथा लगने वाली चोटों की घटनाओं का अनुमान नहीं लगाया गया है। प्राथमिक रूप से जो जानकारी उपलब्ध हुई है उससे पता चलता है कि बागान उद्योग में होने वाले खतरे और दुर्घटनाएं कर्मकारों की अक्षमता और नियोजकों द्वारा सुरक्षा के उपायों को न अपनाए जाने के कारण होती हैं। इसके अतिरिक्त, नियोजक सुरक्षा उपायों को अंगीकार करने में निवेश करने से भी बचते हैं और ऐसे उपकरण और मशीनें उपलब्ध नहीं करवाते जिन पर कर्मकार सुगमता से कार्य कर सकें। यहीं कारण है कि चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर बीमारियों और दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और कार्य स्थल पर उनकी मौत हो जाती हैं। नियोजक कर्मकारों को ऐसी दुर्घटनाओं की प्रतिपूर्ति भी नहीं करते क्योंकि किसी नियामक ढांचे का वहां नितांत अभाव है।

इस संदर्भ में किसी के मन में यह जिज्ञासा हो सकती है कि वह विश्व के सबसे बड़े चाय बागानों में व्यावसायिक सुरक्षा तथा कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य जोखिमों की स्थिति के बारे में जाने। इसके अतिरिक्त चाय बागानों में अंगीकृत सुरक्षा उपायों तथा दुर्घटना जो फील्ड तथा कारखानों में होती है उनके लिए प्रतिपूर्ति के क्या–क्या उपाय किए गए हैं उन पर नजर डालने की आवश्यकता है। ऐसी रिपोर्ट असम राज्य के सबसे बड़े आजीविका साधन में जीवन का मूल्य और कार्य की उत्तमता के संबंध में जानकारी दे सकती है।

(समन्वयक डा. कल्याण दास)

## 6. त्रिपुरा में नरेगा की कार्यकुशलता और औचित्य पहलू – स्थिति रिपोर्ट

त्रिपुरा का धलाई जिला देश के उन 200 जिलों में से एक था जहां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के नाम से जाना गया) 2 अक्टूबर 2009 से लागू की गई थी। प्रारंभिक तौर पर इसे 2006 में लागू किया गया था। राज्य के शेष जिलों में नरेगा के दूसरे चरण में लागू किया गया (दो को दूसरे चरण में और एक को तीसरे चरण में) त्रिपुरा भारत के उत्तर–पूर्व के 8 राज्यों में से एक हैं। यह एक स्थल राज्य है और राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले यहां प्रति व्यक्ति आय कम है। राज्य में कोई महत्वपूर्ण उद्योग भी नही है। यहां की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है और यहां रोजगार प्रदान करने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकांश काश्तकार सीमांत अथवा अर्ध सीमांत प्रकार के हैं और औसत जोत का आकार जो 1990–91 में 0.97 हैक्टेयर था, 1995–96 में घटकर 0.60 हैक्टेयर रह गया है। ऐसी स्थिति में कोई भी निष्कर्ष निकाल सकता है कि यहा।के ग्रामीण लोगों के पास रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं है। परिणामस्वरूप यहां घोर गरीबी है जो ग्रामीण परिवारों का लगभग 66.81 प्रतिशत है। नरेगा जो प्रति वर्ष 100 दिनों का कार्य उपलब्ध करवाता है उसके अंतर्गत कुल ग्रामीण 5.8349 लाख परिवारों में से केवल 5.3886 लाख परिवार ही आ पाए हैं।

वर्तमान अध्ययन में यह प्रयास रहेगा कि इस स्कीम के फायदे संपत्ति बनाने के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण परिवारों को पहुंचे। डिलीवरी तंत्र की कमियां और ताकतों का भी मूल्यांकन किया जाएगा जिसका आधार फील्ड सर्वेक्षण होगा। सभी चारों जिलों को कवर किया जाएगा और प्रत्येक जिले से दो खण्ड लिए जाएंगे। एक खण्ड वह होगा जो संपन्न होगा और दूसरा पिछड़ा हुआ जिसका आधार रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने को बनाया जाएगा। उत्तरदाताओं की कुल संख्या 800 होगी (प्रत्येक खण्ड से 100) अध्ययन के निष्कर्षों को पंचायती राज संस्थानों के तीनों स्तरों के सदस्यों, अन्य

पणधारियों तथा सरकारी अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इस पर विचार–विमर्श होगा। त्रैमासिक रिपोर्ट पर पंचायती राज संस्थानों, ग्रामीण विकास अभिकरणों तथा वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान से विचार–विमर्श किया जाएगा। ऐसी आशा है कि इस विस्तृत मूल्यांकन से महात्मा गांधी नरेगा को बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने में सहायता मिलेगी और राज्यों तथा केंद्रीय सरकार को अपनी नीतियां बनाने के लिए आवश्यक इनपुट मिलेगा।

(समन्वयक डा. अमिताभ सिन्हा)

## 7. पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों का गठन और महिलाओं के बीच व्यावसायिक ढांचे में तथा पैटर्न में परिवर्तन

देश के भीतर वित्तीय दशा सुधारने और स्वरोजगार सृजन के लिए दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों (i) एसएचजी बैंक–नाबार्ड का लिंकेज कार्यक्रम और (ii) ग्रामीण विकास मंत्रालय का एसजीएसवाई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ने स्वयं सहायता समूह माडल अपनाया है। दोनों कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों के गठन और स्व–रोजगार सृजन के लिए समाज की महिलाओं को लक्ष्य बनाया है। एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम में माईक्रो फाइनेंस सेक्टर का एक आदर्श रूप में, माइक्रो सेविंग से शुरू करके माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो सीपन तक जाता है। इस प्रकार यह माइक्रो आजीविका की वृद्धि के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करता है और गरीब उन्मूलन काल है। बेरोजगारी और गरीबी की समस्या से निपटने के लिए नाबार्ड ने मार्च 2006 से कौशल विकास के लिए माइक्रो स्थापना विकास कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य परिपक्व स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की क्षमता में वृद्धि करना है ताकि वे माइक्रो स्थापना को अपने हाथ में ले सकें। जिससे इनके कौशल का उन्नयन हो। विकास हो सके जो काम वो अभी कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे। चाहे वह कार्य खेतों में करें या गैर–फार्मों में करें। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थापन प्रबंधन, व्यापारिक गतिशीलता तथा ग्रामीण बाजार पर सहभागियों की जानकारी को बढ़ाना है। एसएचजी–बैंक लिंकेज कार्यक्रम उत्तर–पूर्व क्षेत्र की महिलाओं के विकास के आय सृजक कार्यकलापों तथा रोजगार सृजन के लिए सुसंगत है।

उत्तर–पूर्व राज्यों में शिक्षा में सुधार, प्रशिक्षण आधारभूत सुविधाओं, सूचना प्रौद्योगिकी तथा स्वयं सहायता समहों तथा सरकारी केन्द्रित प्रयासों जैसे नई संस्थागत व्यवस्थाओं के कारण उनके परम्परागत व्यवसायों में भारी परिवर्तन आया है। एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने महिला सदस्यों के बीच वित्तीय, समावेश तथा स्वरोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्ययन का यह निष्कर्ष है कि जहां तक उत्तर–पूर्व क्षेत्र का संबंध है, कई कारणों से, उनमें महिलाओं के बीच स्व–रोजगार सृजन पर एसएचजी लिंकेज कार्यक्रम के प्रभाव पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बहुत से अध्ययन द्वितीय स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के प्रति एक पक्षीय है।

वर्ष 2008–09 तक, एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत पूरे देश में केवल 4 प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों का गठन हो पाया था। इस निष्फल निष्पादन के लिए बहुत से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

इन परिस्थितियों में यह समीचीन होगा कि एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के संबंध में एक अध्ययन किया जाए जिसमें व्यावसायिक ढांचे और उत्तर–पूर्व क्षेत्र में महिलाओं के पैटर्न पर बैंक के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए। मौटे तौर पर अध्ययन में दो विस्तृत मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

(क) प्रकाशित आंकड़ों का इस्तेमाल करके उत्तर–पूर्व क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में महिलाओं के व्यावसायिक वितरण का सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण करना।

(ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन से पूर्व और पश्चात के चरणों में व्यावसायिक परिवर्तन पर एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के प्रभाव का सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण करना।

(समन्वयक डा. शुभरांशु त्रिपाठी)

## 8. भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार चुनौतियां–असंगठित विनिर्माण सेक्टर की संभावनाएं तथा भूमिका

इस अध्ययन का केंद्रीय उद्देश्य भारत के उत्तर–पूर्व क्षेत्र में उत्पादक रोजगार अवसर सृजन के लिए असंगठित विनिर्माण क्षेत्र के विकास के पैटर्न तथा बदलते ढांचे को समझना तथा उसका विश्लेषण करना है।

संगठित विनिर्माण क्षेत्र की तरह ही असंगठित विनिर्माण क्षेत्र ने सुधार बाद अवधि के दौरान कर्मकारों की संख्या और सीापनाओं की संख्या दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। नीति निर्माण के क्षेत्र में अब यह माना जाने लगा है कि असंगठित विनिर्माण क्षेत्र, जिसमें बहुतायत छोटे और बहुत छोटे स्थापन है, में रोजगार अवसरों की अपार संभावनाएं है। अन्य सभी बातों के होते हुए भी असंगठित विनिर्माण क्षेत्र की स्पष्टतया उत्साहवर्धक निष्पादन दिखाई देता है। यह मुद्दा सरोकार का मुद्दा है क्योंकि इस क्षेत्र में उत्पादन का निम्न स्तर बना ही हुआ है। इसके नीचे उत्पादन स्तर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी का निचला स्तर, निवेश और उधार तक सीमित पहुंच और अन–अनुकूल बाजार स्थितियों जैसे कारक जिम्मेदार है। इन समस्याओं में से कुछ समस्याएं तो आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण के प्रक्रिया से घटने की बजाए बढ़ी है।

इस अध्ययन में ऐसी बाधाओं को पहचानने का प्रयास किया जाएगा जो राज्य विशिष्ट और सेक्टर विशिष्ट हैं जिससे उन चुनौतियों और अवसरों से निपटने में सहायता मिलेगी जो सुधार प्रक्रिया से प्राप्त हुई है। प्रस्तावित अध्ययन में विशेष जोर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बाधाओं पर अलग–अलग दिया जाएगा क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है, दोनों जगह स्थापनाओं का अलग–अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे सार्थक नीतिगत हस्तक्षेपों को वैध और सुदृढ़ आधार उपलब्ध हो सकेगा। अध्ययन के निष्कर्ष न केवल सेक्टर के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने में सहायक होंगे बल्कि पूरे उत्तर–पूर्व अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होंगे क्योंकि इनका संबंध गरीबी की चुनौतियों, बेरोजगारी तथा प्रवास से जुड़ा है।

(समन्वयक डा. पी.पी. साहू)

# जलवायु परिवर्तन तथा श्रम केंद्र

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक सरोकार है और भारत में जहां लोगों की बहुत बड़ी संख्या कृषि पर निर्भर है और उनकी आजीविका का मुख्य साधन अनौपचारिक क्षेत्र है वहां जलवायु परिवर्तन संकटपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करने और इसका संबंध कार्य की दुनिया से स्थापित करने के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने एक नए अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 2010 में की है। इस नए कोड का नाम जलवायु परिवर्तन तथा श्रम केंद्र रखा गया है। इस अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर नीति अभिमुखीकरण अनुसंधान करना और इसका संबंध श्रम तथा आजीविका से स्थापित करना है। वर्ष 2010–11 के लिए कोर क्षेत्र के निम्न रूप में रखा जा सकता है।

**केंद्र के अनुसंधान के कोर क्षेत्र**

- जलवायु परिवर्तन श्रम और आजीविका के बीच अन्तर संबंधों को समझना।
- जलवायु परिवर्तन की रोजगार चुनौतियां तथा ग्रीन जॉब में संक्रमण।
- आजीविका की अंगीकरण तथा प्रवास रणनीतियों का मूल्यांकन–जलवायु की नाजुक स्थिति, तथा मैक्रो, मैसो तथा माइक्रो स्तर पर हो रहे परिवर्तन।
- जलवायु परिवर्तन और प्रवास पर इसका प्रभाव।
- प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों तथा कॉमोन्स पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।

**विशिष्ट अनुसंधानीय मुद्दों में निम्नलिखित शामिल है –**

- ऐसे नाजुक स्थिति वाले श्रमिकों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो आजीविका खेती, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर्यटन सैक्टर, समुद्र तटीय मछली पालन/नमक/खेती ऐसे समुदाय तथा अनुसूचित जनजातियां जो स्थानीय जंगलों पर निर्भर हैं।
- जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के लिए माइक्रो नीतियों का पुनः ओरिएंटेशन करने, नौकरी खाने का संरक्षण करने और उत्पादन प्रक्रिया को समझने में नियोजकों तथा ट्रेड यूनियनों की भूमिका
- अति–अनिश्चित मानसून तथा बाढ़ सूखे कारण कृषि उत्पादन में कमी के साथ खाद्य सुरक्षा के बीच संबंध स्थापित करके इसके ऊपर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझना।
- जलवायु परिवर्तन को अंगीकृत करने और आजीविका सुरक्षा के बचाव के लिए नरेगा की भूमिका की समीक्षा।
- जलवायु परिवर्तन और लिंगीय मुद्दे।
- उत्प्रवास प्रक्रिया के तेज करने में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।
- जलवायु परिवर्तन की स्थानीय अवधारणाओं, स्थानीय कोपिंग क्षमताओं तथा मौजूदा अंगीकरण रणनीतियों को समझना।
- विभिन्न पणधारियों के लिए जलवायु परिवर्तन विज्ञान, इसकी संभावनाएं और विभिन्न अंगीकरण तथा प्रवास रणनीतियों के संबंध में क्षमता निर्माण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम।

# अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केन्द्र

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान अन्य बातों के साथ–साथ ऐसे मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ प्रोफेशनल सहयोग स्थापित करने के प्रति समर्पित है, जो श्रम तथा इससे संबद्ध मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। तदनुसार संस्थान ने पिछले कई वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक इतिहास संस्थान और अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया है। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में संस्थान ने कुछ नई पहल की हैं, जिनसे न केवल अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र बाल निधि जैसे संगठनों के साथ सहयोग को बल मिला है बल्कि जापान श्रम नीति तथा प्रशिक्षण संस्थान, कोरिया श्रम संस्थान, अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, टयूरिन जैसे संस्थानों के साथ दीर्घकालीन तथा नए संबंधों का निर्माण हुआ है। इन संस्थानों में जिन क्षेत्रों में सहयोग का आदान–प्रदान किया जा रहा है, उनमें बाल श्रम, श्रम की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम, श्रम प्रवास, सामाजिक सुरक्षा, जैण्डर मुद्दे, कौशल विकास, श्रम इतिहास, उत्तम कार्य तथा श्रम से संबंधित प्रशिक्षण हस्तक्षेप शामिल हैं।

मौजूदा समय में संस्थान भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की आईटीईसी/एससीएएपी स्कीम के तहत अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सूचीबद्ध है। सितंबर, 2008 से मार्च 2009 के बीच संस्थान ने नेतृत्व विकास, वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रम एवं रोजगार संबंध, श्रम में लिंगीय मुद्दे और श्रम अध्ययन में अनुसंधान पद्धतियां जैसे मुख्य प्रतिपाद्य विषयों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों में 35 देशों के 140 सहभागियों ने भाग लिया।

यह संस्थान अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग को शाशवत बनाने के लिए कटिबद्ध है और यह आशा करता है कि विश्व को अग्रणी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ इसका सहयोग दीर्घकालीन बना रहेगा। इस कार्य के लिए एक कोर ग्रुप बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष संस्थान के निदेशक हैं और डॉ. महावीर जैन वरिष्ठ फेलो तथा डॉ. एस.के. शशिकुमार वरिष्ठ फेलो, दोनों सदस्य हैं। हाल ही में बनाया गया यह कोर ग्रुप अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग और सहयोग की संभावनाओं का पता लगाएगा। यही ग्रुप फैकल्टी के आपसी आदान–प्रदान के संवर्धन के लिए पहल भी करेगा, सहयोगी अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यकलापों को हाथ में लेगा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन करने के साथ–साथ संबंधित मंचों पर संस्थान के प्रोफेशनल कार्य का प्रचार–प्रसार भी करेगा।

***अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :*** **निदेशक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान** (directorvvgnli@gmail.com)

# शिक्षा और प्रशिक्षण

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की जानकारी को बढ़ावा देने तथा उन पर काबू पाने के उपायों और साधनों का पता लगाने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए यह संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा संगठित तरीके से श्रमिकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। अन्य विषयों के अतिरिक्त अनुसंधान संबंधी गतिविधियों के द्वारा विभिन्न वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है तथा अनुसंधान से प्राप्त होने वाले आंकड़ों का प्रयोग नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षण माड्यूलों की पुनर्रचना के लिए इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों से लगातार प्राप्त होने वाले फीडबैक का प्रयोग किया जाता है।

संस्थान के शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन कर भावी साधन माना जा सकता है। ये कार्यक्रम सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक संरचनात्मक वातावरण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर ऐसे नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का निर्माण कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मनोवृत्ति के परिवर्तन, कुशलता के विकास तथा ज्ञान की दृष्टि पर समान रूप से बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों, सामूहिक चर्चाओं, वैयक्तिक अध्ययनों तथा व्यवहार विज्ञान तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। संस्थान की फैकल्टी के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए गेस्ट फैकल्टी को भी आमंत्रित किया जाता है।

संस्थान, निम्नलिखित समूहों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता है:

- केन्द्र तथा राज्य सरकारों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारी
- सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधक तथा अधिकारी
- असंगठित/संगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन लीडर तथा आयोजक
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्र के कार्यकर्ता तथा श्रम समस्याओं से सम्बद्ध अन्य व्यक्ति।

अप्रैल, 2009–मार्च, 2010 वर्ष के दौरान संस्थान ने 122 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और इन कार्यक्रमों में 3632 कार्मिकों ने भाग लिया। इसके अलावा, संस्थान ने निम्नलिखित पहल की:

## श्रम प्रशासन कार्यक्रम

इन्हें, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के श्रम प्रशासकों और अधिकारियों तथा श्रम न्यायालयों व औद्योगिक अधिकरणों के न्यायाधीशों के लिए तैयार किया जाता है। कार्यक्रमों के अन्तर्गत श्रम प्रशासन, सुलह, श्रम कल्याण और प्रवर्तन, वैश्वीकरण तथा रोजगार संबंध से संबंधित अनेक विषय शामिल हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 4 ऐसे कार्यक्रम किए गए जिनमें 89 सहभागियों ने भाग लिया।

## औद्योगिक संबंध कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, औद्योगिक संबंध और अनुशासन पद्धतियों के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरकार, नियोक्ताओं और यूनियनों के बीच बेहतर विचार–विमर्श के लिए वरिष्ठ प्रबन्धकों और कार्मिक अधिकारियों को भागीदारीपूर्ण प्रबंधन की जानकारी प्रदान की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसे 9 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 209 सहभागियों ने भाग लिया।

## क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ये कार्यक्रम श्रम के क्षेत्र में प्रशिक्षक तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, ये कार्यक्रम औद्योगिक और ग्रामीण दोनों प्रकार की ट्रेड यूनियनों के संगठनकर्ताओं और श्रमिकों के लिए किए जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते हैं ताकि अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वर्ष के दौरान ऐसे 44 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 1404 सहभागियों ने भाग लिया।

## बाल श्रम कार्यक्रम

ये कार्यक्रम बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन समूहों में निम्नलिखित शामिल हैं: विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, शिक्षक एसोसिएशन, गैर–सरकारी संगठन, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन, एनएसएस, पीआरआई, एनसीएलपी शिक्षक और अधिकारी, आदि। वर्ष के दौरान ऐसे 15 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 443 सहभागियों ने भाग लिया।

## अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम

ये कार्यक्रम, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत युवा शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं और सरकारी संगठनों के व्यावसायिकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं ताकि वे श्रम अनुसंधान और नीति में अपनी–अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सकें। समीक्षाधीन अवधि के दौरान ऐसे 4 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 92 सहभागियों ने भाग लिया।

## श्रम और स्वास्थ्य कार्यक्रम

विभिन्न लक्ष्य समूहो को, जैसे कि श्रम प्रशासन, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों, नियोक्ताओं, स्वास्थ्य अधिकारियों और गैर–सरकारी संगठनों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं, ताकि वे श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए वैश्वीकरण और श्रम बाजार परिवर्तनों के निहितार्थों को समझ सकें। वर्ष के दौरान ऐसे 5 कार्यक्रम किए गए जिनमें 106 सहभागियों ने भाग लिया।

## अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पैनल पर है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय के आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान संस्थान ने 6 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 156 विदेशी नागरिकों ने भाग लिया।

इन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त संस्थान में सार्क क्षेत्र के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 22 और 23 जून 2009 के दौरान बाल श्रमिकों पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन भी किया। 20 जुलाई से 31 जुलाई के दौरान अफगानिस्तान सरकार के अनुरोध पर संस्थान ने अफगानिस्तान श्रम कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों तथा वैश्विकरण मुद्दों पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया। इस कार्यक्रम में 26 वरिष्ठ अफगान अधिकारियों ने भाग लिया।

## पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अलग से कार्यक्रम

संस्थान इन कार्यक्रमों पर बहुत जोर देता है क्योंकि इस क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाएं अपर्याप्त हैं। यह देखा गया है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कोई बड़े संगठित प्रयास नहीं किए गए हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए संस्थान ने प्रशिक्षण अनुसूची में हर वर्ष इन कार्यक्रमों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष के दौरान संस्थान ने 19 कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 628 प्रतिभागियों ने भाग लिया है।

## राज्य श्रम संस्थानों/अन्य संस्थानों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नेटवर्किंग

संस्थान ने समान उद्देश्य वाले संस्थानों तथा राज्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्किंग तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं ताकि श्रम बाजार की क्षेत्रीय और सेक्टोरल विषमताओं की तरफ ध्यान दिया जा सके और श्रमिकों की समस्त समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान खोजा जा सके।

इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, राज्य श्रम संस्थान उड़ीसा, केरल श्रम अध्ययन संस्थान, महात्मा गांधी श्रम संस्थान गुजरात, राज्य श्रम संस्थान कोलकाता के साथ सहयोग करके विनिर्माण कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, बाल श्रम और श्रम कानून, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, श्रम अध्ययन में अनुसंधान प्रविधियां आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

## अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 तक आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

| क्रम सं. | कार्यक्रम का नाम | अवधि | प्रतिभागियों की संख्या | पाठ्यक्रम निदेशक |
|---|---|---|---|---|
| | **श्रम प्रशासन कार्यक्रम** | | | |
| 1. | अर्ध–न्यायिक अधिकारियों के लिए अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी : भूमिका और कार्य<br>6–10 जुलाई, 2009 | 05 | 13 | संजय उपाध्याय |
| 2. | श्रम प्रवर्तन अधिकारियों तथा श्रम निरीक्षकों के लिए श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन 24–28 अगस्त, 2009 | 05 | 22 | संजय उपाध्याय |
| 3. | केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के लिए भवन निर्माण तथा अन्य विनिर्माण कर्मकार अधिनियम का प्रभावी प्रवर्तन 22–25 सितंबर, 2009 | 05 | 34 | संजय उपाध्याय |
| 4. | आयुध निर्माणी अधिकारियों के लिए श्रम कानूनों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 4–8 जनवरी, 2010 | 05 | 20 | संजय उपाध्याय |
| | | **20** | **89** | |

| क्रम सं. | कार्यक्रम का नाम | अवधि | प्रतिभागियों की संख्या | पाठ्यक्रम निदेशक |
|---|---|---|---|---|
| | **औद्योगिक संबंध कार्यक्रम** | | | |
| 5. | ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना<br>13–18 अप्रैल, 2009 | 06 | 14 | पूनम एस. चौहान |
| 6. | ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों और प्रबंध कार्मिकों के लिए आंतरिक जांच सिद्धांत और व्यवहार 22–26 जून, 2009 | 05 | 13 | संजय उपाध्याय |
| 7. | कार्य का प्रभावी प्रबंधन : व्यवहारिक अभिगम<br>20–23 जुलाई, 2009 | 04 | 29 | महावीर जैन |
| 8. | वैश्विक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक संबंध और ट्रेड यूनियनवाद<br>24–27 अगस्त, 2009 | 04 | 27 | एस.के. शशिकुमार |
| 9. | प्रभावी नेतृत्व विकास के लिए व्यवहारिक कौशल<br>17–22 अगस्त, 2009 | 05 | 09 | पूनम एस.चौहान |
| 10. | ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना<br>26–31 अक्तूबर, 2009 | 05 | 35 | पूनम एस.चौहान |
| 11. | श्रम कानूनों की आधारभूत जानकारी<br>23–27 नवंबर, 2009 | 05 | 27 | संजय उपाध्याय |
| 12. | ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना<br>22–27 फरवरी, 2010 | 06 | 32 | पूनम एस.चौहान |
| 13. | वैश्विक अर्थव्यवस्था में ट्रेड यूनियनवाद और औद्योगिक संबंध<br>8–11 मार्च, 2010 | 04 | 23 | एस.के. शशिकुमार |
| | | **45** | **209** | |
| | **क्षमता निर्माण कार्यक्रम** | | | |
| 14. | प्रभावी नेतृत्व विकास के लिए असंगठितों को संगठित बनाना<br>13–17 अप्रैल, 2009 | 05 | 17 | एम.एम. रहमान |
| 15. | ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास<br>20–24 अप्रैल, 2009 | 05 | 40 | एम.एम. रहमान |
| 16. | कौशल विकास रणनीतियां बनाना<br>27–30 अप्रैल, 2009 | 04 | 23 | शशिबाला |
| 17. | ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास<br>4–8 मई, 2009 | 05 | 33 | एम.एम. रहमान |
| 18. | ग्रामीण महिला ट्रेड यूनियन नेताओं के संगठनकर्ताओं को सशक्त बनाना 4–8 मई, 2009 | 05 | 17 | शशिबाला |
| 19. | कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि करना<br>25–29 मई, 2009 | 05 | 17 | शशिबाला |

| क्रम सं. | कार्यक्रम का नाम | अवधि | प्रतिभागियों की संख्या | पाठ्यक्रम निदेशक |
|---|---|---|---|---|
| 20. | बीड़ी कर्मकारों के ट्रेड यूनियन नेताओं के संगठनकर्ताओं के नेतृत्व कौशल को सुदृढ़ बना<br>18–22 मई, 2009 | 05 | 45 | एम.एम. रहमान |
| 21. | वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और श्रम और रोजगार मंत्रालय के समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>27–29 मई, 2009 | 03 | 45 | एम.एम. रहमान |
| 22. | भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>27–29 मई, 2009 | 03 | 13 | एम.एम. रहमान |
| 23. | सामाजिक सुरक्षा विकसित करना<br>29 जून–03 जुलाई, 2009 | 05 | 51 | एम.एम. रहमान |
| 24. | रेलवे गनमैनों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम<br>29 जून–03 जुलाई, 2009 | 05 | 55 | एम.एम. रहमान |
| 25. | परिवहन कर्मकारों के लिए नेतृत्व कौशल में वृद्धि करना<br>15 –19 जून, 2009 | 05 | 15 | एम.एम. रहमान |
| 26. | वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और श्रम और रोजगार मंत्रालय के समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>1–3 जून, 2009 | 03 | 23 | एम.एम. रहमान |
| 27. | श्रम और रोजगार मंत्रालय के समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>8–10 जून, 2009 | 03 | 21 | एम.एम. रहमान |
| 28. | रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>22–24 जून, 2009 | 03 | 20 | एम.एम. रहमान |
| 29. | रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>24–26 जून, 2009 | 03 | 21 | एम.एम. रहमान |
| 30. | भवन निर्माण तथा अन्य विनिर्माण क्षेत्र के ट्रेड यूनियन संगठनकर्ताओं के लिए नेतृत्व कौशल विकसित करना<br>6–10 जुलाई, 2009 | 05 | 51 | एम.एम. रहमान |
| 31. | प्रभावी नेतृत्व के लिए असंगठितों को संगठित करना<br>13–17 जुलाई, 2009 | 05 | 55 | अनूप सतपथी |
| 32. | इंटेक, आगरा के असंगठित कर्मकारों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम<br>14–17 जुलाई, 2009 | 04 | 34 | एम.एम. रहमान |

| क्रम सं. | कार्यक्रम का नाम | अवधि | प्रतिभागियों की संख्या | पाठ्यक्रम निदेशक |
|---|---|---|---|---|
| 33. | मत्स्य कर्मकारों के लिए नेतृत्व कौशल में वृद्धि करना<br>27–31 जुलाई, 2009 | 05 | 21 | एम.एम. रहमान |
| 34. | श्रम में लिंगीय मुद्दे<br>27–31 जुलाई, 2009 | 05 | 25 | पूनम चौहान |
| 35. | परिवहन कर्मकारों के नेतृत्व कौशल को बढ़ाना<br>17–21 अगस्त, 2009 | 05 | 48 | एम.एम. रहमान |
| 36. | प्रभावी नेतृत्व के लिए असंगठितों को संगठित करना<br>7–11 सितंबर, 2009 | 05 | 54 | संजय उपाध्याय |
| 37. | केंद्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>1–3 सितंबर, 2009 | 03 | 25 | एम.एम. रहमान |
| 38. | ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम<br>5–9 अक्तूबर, 2009 | 05 | 41 | संजय उपाध्याय |
| 39. | प्रभावी नेतृत्व के लिए असंगठितों को संगठित करना<br>23–27 नवम्बर, 2009 | 05 | 29 | अनूप सतपथी |
| 40. | ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम<br>7–11 दिसंबर, 2009 | 05 | 34 | अनूप सतपथी |
| 41. | सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क विकसित करना<br>7–11 दिसम्बर, 2009 | 05 | 28 | एम.एम. रहमान |
| 42. | महिला कर्मकारों से संबंधित श्रम कानूनों पर संवेदनशीलता कार्यक्रम 14–17 सितंबर, 2009 | 04 | 18 | शशिबाला |
| 43. | केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में ट्रेड यूनियनवाद<br>21–23 दिसंबर, 2009 | 03 | 33 | एस.के. शशिकुमार |
| 44. | ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम<br>4–8 जनवरी, 2010 | 05 | 30 | शशिबाला |
| 45. | बीड़ी कर्मकारों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम<br>4–8 जनवरी, 2010 | 05 | 31 | एम.एम. रहमान |
| 46. | बागान कर्मकारों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम<br>11–15 जनवरी, 2010 | 05 | 42 | एम.एम. रहमान |
| 47. | श्रम में लिंगीय मुद्दे<br>18–21 जनवरी, 2010 | 04 | 10 | शशिबाला |
| 48. | ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम<br>18–22 जनवरी, 2010 | 05 | 34 | अनूप सतपथी |

| क्रम सं. | कार्यक्रम का नाम | अवधि | प्रतिभागियों की संख्या | पाठ्यक्रम निदेशक |
|---|---|---|---|---|
| 49. | ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम<br>15–19 फरवरी, 2010 | 05 | 41 | शशिबाला |
| 50. | कौशल तथा उद्यमिता विकास पर औरिएंटेशन तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम<br>1–3 फरवरी, 2010 | 03 | 08 | अनूप सतपथी |
| 51. | ग्रामीण महिला ट्रेड यूनियन नेताओं के संगठनकर्ताओं को सशक्त बनाना<br>1–5 फरवरी, 2010 | 05 | 35 | शशिबाला |
| 52. | विनिर्माण कर्मकारों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम<br>8–12 फरवरी, 2010 | 05 | 51 | एम.एम. रहमान |
| 53. | राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार<br>8–12 मार्च, 2010 | 05 | 19 | अनूप सतपथी |
| 54. | भारत के श्रम निरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण रणनीतियों के विकास पर कार्यशाला (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन)<br>9–10 मार्च, 2010 | 02 | 35 | एस.के. शशिकुमार |
| 55. | स्वास्थ्य कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा लोक संबंध तथा नेतृत्व विकास<br>22–25 मार्च, 2010 | 04 | 41 | एम.एम. रहमान |
| 56. | कलकत्ता के अनौपचारिक कर्मकारों के लिए औरिएंटेशन कार्यक्रम<br>13 मार्च, 2010 | 01 | 41 | एम.एम. रहमान |
| 57. | श्रम और रोजगार मंत्रालय के गैर–मैट्रिक समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण<br>29–31 मार्च, 2010 | 03 | 30 | एम.एम. रहमान |
| | | **188** | **1404** | |
| | **बाल श्रम कार्यक्रम** | | | |
| 58. | बाल श्रम पर प्रशिक्षक तैयार करना का त्रिचरणीय प्रशिक्षण कार्यक्रम–चरण।<br>11–15 मार्च, 2010 | 05 | 39 | महावीर जैन |
| 59. | बाल श्रम पर प्रशिक्षक तैयार करना का त्रिचरणीय प्रशिक्षण कार्यक्रम–चरण।<br>11–15 मार्च, 2010 | 05 | 41 | महावीर जैन |
| 60. | राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के परियोजना निदेशकों तथा लेखा कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना वित्तीय प्रबंधन<br>26–28 मई, 2010 | 04 | 13 | हेलेन आर. सेकर |

| क्रम सं. | कार्यक्रम का नाम | अवधि | प्रतिभागियों की संख्या | पाठ्यक्रम निदेशक |
|---|---|---|---|---|
| 61. | बाल श्रम पर प्रशिक्षक तैयार करना का त्रिचरणीय प्रशिक्षण कार्यक्रम–चरण। 18–12 जून, 2009 | 05 | 32 | महावीर जैन |
| 62. | खरीद–फरोख्त में लिप्त तथा प्रवासी बाल मजदूरों को उनके घर वापस भेजने, पुनर्वास, बचाव तथा प्रतिशेध पर कार्यशाला 14–16 जुलाई, 2009 | 03 | 19 | हेलेन आर. सेकर |
| 63. | बाल श्रम पर प्रशिक्षक तैयार करना का त्रिचरणीय प्रशिक्षण कार्यक्रम–चरण।। 17–21 अगस्त, 2009 | 05 | 46 | महावीर जैन |
| 64. | राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के परियोजना निदेशकों तथा लेखा कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना वित्तीय प्रबंधन 25–28 अगस्त, 2009 | 04 | 39 | हेलेन आर. सेकर |
| 65. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में बाल श्रम पर काबू पाना 22–24 सितंबर, 2009 | 03 | 44 | हेलेन आर. सेकर |
| 66. | बाल श्रम पर प्रशिक्षक तैयार करना का त्रिचरणीय प्रशिक्षण कार्यक्रम–चरण III 9–13 नवम्बर, 2009 | 05 | 38 | महावीर जैन |
| 67. | राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के परियोजना अधिकारियों के लिए परियोजना कार्यान्वयन में सुधार 21–23 दिसंबर, 2009 | 03 | 11 | अनूप सतपथी |
| 68. | श्रम और रोजगार मंत्रालय की सहायता अनुदान स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बाल श्रम और महिला श्रम 2–5 फरवरी, 2010 | 04 | 14 | हेलेन आर. सेकर |
| 69. | श्रम और रोजगार मंत्रालय की सहायता अनुदान स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बाल श्रम और महिला श्रम 22–25 फरवरी, 2010 | 04 | 12 | हेलेन आर. सेकर |
| 70. | गैर–सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के लिए बाल श्रम पर काबू पाना 3–5 मार्च, 2010 | 03 | 27 | हेलेन आर. सेकर |
| 71. | बाल श्रम परियोजना तथा पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के लिए बाल श्रम पर काबू पाना 15–17 मार्च, 2010 | 03 | 20 | हेलेन आर. सेकर |
| 72. | बाल श्रम पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण चरण–। 15–19 मार्च, 2010 | 05 | 44 | महावीर जैन |
| | | **61** | **443** | |

| क्रम सं. | कार्यक्रम का नाम | अवधि | प्रतिभागियों की संख्या | पाठ्यक्रम निदेशक |
|---|---|---|---|---|
| | **अनुसंधान पद्धतियां कार्यक्रम** | | | |
| 73. | विश्वविद्यालय/कालेज अध्यापकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए श्रम अर्थशास्त्र में अनुसंधान पद्धतियां पाठ्यक्रम<br>9–27 नवम्बर, 2009 | 21 | 15 | एस.के. शशिकुमार<br>शशि बाला |
| 74. | श्रम अर्थशास्त्र में गुणात्मक पद्धतियां पाठ्यक्रम<br>14–24 दिसम्बर, 2009 | 11 | 18 | रूमा घोष |
| 75. | श्रम अर्थशास्त्र में मात्रात्मक पद्धतियां पाठ्यक्रम<br>8–18 फरवरी, 2010 | 12 | 32 | अनूप सतपथी |
| 76. | श्रम अध्ययन में अनुसंधान पद्धतियां<br>8–26 फरवरी, 2010 | 19 | 27 | एस.के. शशिकुमार |
| | | **63** | **92** | |
| | **स्वास्थ्य मुद्दे कार्यक्रम** | | | |
| 77. | कार्य की दुनिया में उभरते स्वास्थ्य सरोकार<br>20–24 अप्रैल, 2009 | 05 | 27 | रूमा घोष |
| 78. | एसएलआईडीजीएमएस तथा डीजीफास्ली (आईएलओ) के अधिकारियों के लिए एचआईवी एड्स की रोकथाम पर संवेदनशीलता कार्यक्रम<br>27–28 अप्रैल, 2009 | 02 | 17 | रूमा घोष |
| 79. | कार्य की दुनिया में एचआईवी एड्स की रोकथाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>11–15 मई, 2009 | 05 | 13 | रूमा घोष |
| 80. | स्वास्थ्य सुरक्षा विकसित करना<br>15–19 मई, 2009 | 05 | 20 | रूमा घोष |
| 81. | महिला ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए कार्य की दुनिया में एचआईवी एड्स की रोकथाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>5–9 अक्तूबर, 2009 | 05 | 29 | महावीर जैन |
| | | **22** | **106** | |
| | **अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम** | | | |
| 82. | सार्क क्षेत्र के लिए बाल श्रमिकों पर कार्यशाला : रणनीतियां और नीति विकल्प 22–23 जून, 2009 | 02 | 18 | हेलेन आर. सेकर |
| 83. | श्रम कानूनों के प्रवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए वैश्विक अनुभव तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों अफगान श्रम कानूनों पर प्रशिक्षकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>20–31 जुलाई, 2009 | 12 | 26 | एस.के. शशिकुमार |

| क्रम सं. | कार्यक्रम का नाम | अवधि | प्रतिभागियों की संख्या | पाठ्यक्रम निदेशक |
|---|---|---|---|---|
| 84. | कार्य की दुनिया में एचआईवी एड्स की रोकथाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 7–25 सितंबर, 2009 | 19 | 21 | रूमा घोष |
| 85. | नेतृत्व विकास कार्यक्रम<br>5–23 अक्तूबर, 2009 | 19 | 30 | महावीर जैन |
| 86. | वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रम तथा रोजगार संबंध<br>3–20 नवंबर, 2009 | 18 | 24 | एस.के. शशिकुमार<br>शशि बाला |
| 87. | विकास तथा सामाजिक सुरक्षा उपायों का प्रबंधन<br>1–18 दिसंबर, 2009 | 18 | 26 | पूनम चौहान |
| 88. | श्रम में लिंगीय मुद्दे<br>11–29 जनवरी, 2009 | 19 | 28 | शशि बाला |
| 89. | श्रम अध्ययन में अनुसंधान पद्धतियां<br>8–26 फरवरी, 2010 | 19 | 27 | एस.के. शशिकुमार |
| 90. | श्रम इतिहास के अग्रणी व्यक्तियों का विस्तार : श्रम इतिहास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 18–20 मार्च, 2010 | 03 | 90 | एस.के. शशिकुमार |
| | | **129** | **290** | |
| | **सहयोगी कार्यक्रम** | | | |
| 91. | महात्मा गांधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद में लिंग तथा कानून पर संवेदनशीलता कार्यक्रम<br>1–2 अप्रैल, 2009 | 02 | 34 | शशिबाला |
| 92. | महात्मा गांधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद के श्रम अधिकारियों के लिए बाल श्रम पर काबू पाना<br>14–17 सितम्बर, 2009 | 05 | 27 | महावीर जैन |
| 93. | असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीमें (महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान)<br>22–25 सितम्बर, 2009 | 04 | 30 | एम.एम. रहमान |
| 94. | के.आई.एल.ई के सहयोग से अर्ध–न्यायिक कार्यों तथा श्रम प्रवास पर प्रभावी अभ्यास<br>23–26 सितम्बर, 2009 | 04 | 30 | एस.के. शशिकुमार |
| 95. | श्रम अध्ययन में अनुसंधान पद्धतियां (महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान)<br>7–11 दिसम्बर, 2009 | 05 | 24 | एस.के. शशिकुमार |
| 96. | असंगठित क्षेत्र के लिए नेतृत्व विकास (महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान)<br>21–24 दिसम्बर, 2009 | 04 | 40 | संजय उपाध्याय |

| क्रम सं. | कार्यक्रम का नाम | अवधि | प्रतिभागियों की संख्या | पाठ्यक्रम निदेशक |
|---|---|---|---|---|
| 97. | भवन निर्माण तथा अन्य विनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के विशेष संदर्भ में श्रम प्रशासन को सुदृढ़ बनाना (के आई एल ई) 1–4 मार्च, 2010 | 04 | 28 | एस.के. शशिकुमार |
| | | **28** | **213** | |
| | **पूर्वोत्तर राज्यों के कार्यक्रम** | | | |
| 98. | उत्तर–पूर्व राज्यों के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए बाल श्रम उन्मूलन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 13–17 अप्रैल, 2009 | 05 | 47 | महावीर जैन |
| 99. | उत्तर–पूर्व राज्यों के लिए बाल श्रम पर प्रशिक्षक तैयार करने का त्रि–चरणीय प्रशिक्षण कार्यक्रम–चरण। 11–15 मई, 2009 | 05 | 29 | महावीर जैन |
| 100. | उत्तर–पूर्व राज्यों के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 25–29 मई, 2009 | 05 | 32 | पूनम एस. चौहान |
| 101. | उत्तर–पूर्व राज्यों में उन गैर–सरकारी संगठनों के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रम जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं। 18–21 मई, 2009 | 04 | 25 | हेलन आर. सेकर |
| 102. | उत्तर–पूर्व राज्यों के गैर–सरकारी संगठनों की महिला कर्मकारों के लिए श्रम मुद्दों पर जागरूकता को सुदृढ़ बनाना 18–22 मई, 2009 | 05 | 20 | शशि बाला |
| 103. | उत्तर–पूर्व राज्यों के गैर–सरकारी संगठनों की महिला कर्मकारों के लिए श्रम मुद्दों पर जागरूकता को सुदृढ़ बनाना 1–5 जून, 2009 | 05 | 24 | शशि बाला |
| 104. | उत्तर–पूर्व राज्यों के गैर–सरकारी संगठनों के लिए बाल श्रम मुद्दों पर संवेदनशीलता कार्यक्रम 22–26 जून, 2009 | 05 | 43 | महावीर जैन |
| 105. | उत्तर–पूर्व राज्यों के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए बाल श्रम उन्मूलन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 31–4 सितंबर, 2009 | 05 | 35 | महावीर जैन |
| 106. | उत्तर–पूर्व राज्यों के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए बाल श्रम उन्मूलन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 31–4 सितंबर, 2009 | 05 | 45 | महावीर जैन |
| 107. | नागालैण्ड के स्कूल अध्यापकों तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के स्टाफ के लिए बाल श्रम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 20–22 अक्तूबर, 2009 | 03 | 43 | हेलेन आर.सेकर |

| क्रम सं. | कार्यक्रम का नाम | अवधि | प्रतिभागियों की संख्या | पाठ्यक्रम निदेशक |
|---|---|---|---|---|
| 108. | उत्तर–पूर्व राज्यों के श्रम नेताओं तथा गैर–सरकारी संगठनों के लिए श्रम कानूनों की आधारभूत जानकारी 26–30 अक्तूबर, 2009 | 05 | 32 | जे.के. कौल |
| 109. | उत्तर–पूर्व राज्यों के बागान श्रमिकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 26–30 अक्तूबर, 2009 | 05 | 32 | एम.एम. रहमान |
| 110. | असम सरकार के श्रम कर्मचारियों के लिए सुलह कौशल विकसित करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (आसाम प्रशासनिक कॉलेज, गुवाहाटी) 26–31 अक्तूबर, 2009 | 06 | 25 | संजय उपाध्याय |
| 111. | उत्तर–पूर्व राज्यों के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 16–20 नवंबर, 2009 | 05 | 33 | पूनम एस. चौहान |
| 112. | उत्तर–पूर्व राज्यों के ट्रेड यूनियन नेताओं तथा गैर–सरकारी संगठनों के लिए श्रम मुद्दों पर जागरूकता को सुदृढ़ बनाना 1–5 दिसंबर, 2009 | 05 | 24 | एम.एम. रहमान |
| 113. | उत्तर–पूर्व राज्यों के गैर–सरकारी संगठनों के लिए श्रम मुद्दों पर जागरूकता को सुदृढ़ बनाना 25–29 जनवरी, 2009 | 05 | 26 | एम.एम. रहमान |
| 114. | उत्तर–पूर्व राज्यों के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 25–29 जनवरी, 2010 | 05 | 45 | पूनम एस चौहान |
| 115. | उत्तर–पूर्व राज्यों के गैर–सरकारी संगठनों के लिए बाल श्रम पर संवेदनशीलता कार्यक्रम 8–12 मार्च, 2010 | 05 | 36 | महावीर जैन |
| 116. | उत्तर–पूर्व राज्यों के ट्रेड यूनियन नेताओं तथा गैर–सरकारी संगठनों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 22–26 मार्च, 2010 | 05 | 32 | पूनम एस चौहान |
| | | **93** | **628** | |
| | **इन–हाउस कार्यक्रम** | | | |
| 117. | नालको कर्मचारियों के लिए कार्यालय प्रबंध पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 22–24 जून, 2009 | 03 | 15 | पूनम एस चौहान |
| 118. | टीएचडीसी टिहरी के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 7–9 सितंबर, 2009 | 03 | 27 | महावीर जैन |
| 119. | भारत इलैक्ट्रॉनिक के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (कोटद्वार) 3–5 सितंबर, 2009 | 03 | 26 | महावीर जैन |
| 120. | भारतीय रिजर्व बैंक के कार्मिकों के लिए कार्य का प्रभावी प्रबंधन पर व्यावहारिक कौशल का प्रशिक्षण कार्यक्रम (शिमला) 5–9 अक्तूबर, 2009 | 05 | 30 | पूनम एस चौहान |
| 121. | भारतीय रिजर्व बैंक के कार्मिकों के लिए कार्य का प्रभावी प्रबंधन पर व्यावहारिक कौशल का प्रशिक्षण कार्यक्रम (शिमला) 3–6 नवंबर, 2009 | 04 | 30 | पूनम एस चौहान |

| क्रम सं. | कार्यक्रम का नाम | अवधि | प्रतिभागियों की संख्या | पाठ्यक्रम निदेशक |
|---|---|---|---|---|
| 122. | एनटीपीसी कर्मचारियों के लिए प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (कोरबा, मध्य प्रदेश) 27–28 नवंबर, 2009 | 02 | 30 | महावीर जैन |
| | | **20** | **158** | |

## अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

| क्रम सं. | कार्यक्रम का नाम | कार्यक्रमों की संख्या | दिनों की संख्या | सहभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रम प्रशासन कार्यक्रम | 04 | 20 | 89 |
| 2 | औद्योगिक संबंध कार्यक्रम | 09 | 45 | 209 |
| 3 | क्षमता निर्माण कार्यक्रम | 44 | 188 | 1404 |
| 4 | बाल श्रम कार्यक्रम | 15 | 61 | 443 |
| 5 | अनुसंधान पद्धतियां कार्यक्रम | 04 | 63 | 92 |
| 6 | स्वास्थ्य मुद्दे कार्यक्रम | 05 | 22 | 106 |
| 7 | अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम | 09 | 129 | 290 |
| 8 | सहयोगी कार्यक्रम | 07 | 28 | 213 |
| 9 | पूर्वोत्तर कार्यक्रम | 19 | 93 | 628 |
| 10 | इन–हाउस कार्यक्रम | 06 | 20 | 158 |
| | जोड़ | 122 | 669 | 3632 |

# प्रकाशन

विभिन्न श्रम संबंधी सूचनाओं का सामान्य तौर पर और संस्थान की अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का खासतौर पर प्रचार–प्रसार करने का संस्थान का एक गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान, जर्नल, अनियमित प्रकाशन, पुस्तकें और रिपोर्टें निकालता है। कुछ महत्त्वपूर्ण पत्रिकाएं निम्नलिखित हैं :

## नियमित प्रकाशन

- ***लेबर एण्ड डवलपमेंट :*** संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला, एक छमाही जर्नल है। यह जर्नल सैद्धांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य परीक्षणों के माध्यम से श्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। यह जर्नल श्रम संबंधी अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले प्रेक्टिशनरों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

- ***अवार्ड्स डाइजेस्ट :*** एक मासिक जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णयज विधियों का सारांश प्रकाशित किया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय दिए जाते हैं। इसमें लेख, श्रम कानूनों के संशोधन और अन्य संबंधित सूचना शामिल होती है। यह जर्नल, कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के माध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

- ***श्रम विधान :*** एक द्विमासिक पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णयज विधि का सार दिया जाता है। इस जर्नल में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय रिपोर्ट किए जाते हैं। यह जर्नल कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के माध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

- ***इन्द्रधनुष :*** एक द्विमासिक न्यूजलेटर है जो संस्थान के सभी प्रोफेशनल गतिविधियों का प्रचार–प्रसार करती है।

## एन.एल.आई. अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला

यह संस्थान, संस्थान के अनुसंधानिक निष्कर्षों को प्रसारित करने के 'एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला' शीर्षक वाली एक श्रृंखला का प्रकाशन भी कर रहा है। अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 की अवधि के दौरान एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किए गए अनुसंधान अध्ययनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

| | |
|---|---|
| 087 / 2010 | एग्रेरियन स्ट्रक्चर, सोशल रिलेशन एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट : केस स्टडी ऑफ गंगा नगर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान – पूनम एस चौहान |
| 088 / 2010 | द इंप्लायमेंट एंड कंडीशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन इंडिया : इंश्यूज एंड कन्सर्न्स – शशि बाला |

089/2010 सोशल सिक्योरिटी फार अनओरगेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स इन इंडिया : ए क्रिटिकल अप्राइजल – बाबू पी. रमेश, अनूप के. सतपथी

090/2010 लिंकेज बिटविन्स एचआईवी/एड्स एंड चाइल्ड लेबर : डेवलपिंग एन इंटीगरेटेड अप्रोच टूवर्ल्डस इफेक्टिव पॉलिसी फार्मूलेशन – हेलेन आर. सेकर

091/2010 हैल्थ इंसिक्योरिटीज ऑफ वर्कर्स इन इनफोर्मल इम्पलॉयमेंट : ए स्टडी ऑफ एग्जीसटिंग एंड पोसिबल इंटरवेंशन्स – रूमा घोष

092/2010 इंसिक्योरिटीज एंड वूल्नेरैबिलिटीज ऑफ इन्फोर्मल सेक्टर वर्कर्स : ए स्टडी ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ दिल्ली – रूमा घोष

## अन्य प्रकाशन

1. वार्षिक रिपोर्ट 2008–2009
2. एनुअल रिपोर्ट 2008–09
3. प्रशिक्षण कैलेण्डर 2010–2011
4. ट्रेनिंग कैलेण्डर 2010–2011
5. फोर्स्ड लेबर : ए स्टडी ऑफ चिल्ड्रेन एट द ट्रैफिक लाईट्स – हेलन आर. सेकर

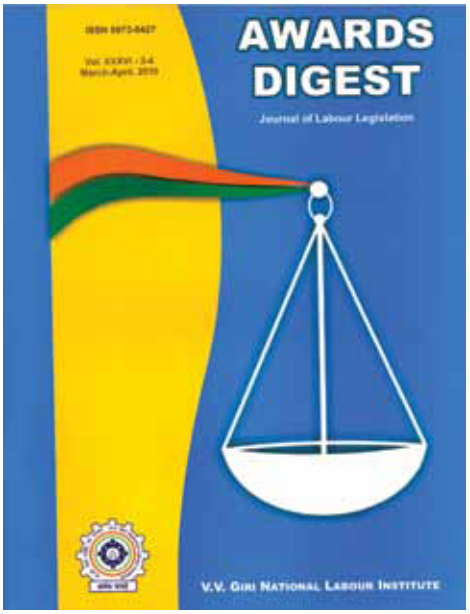

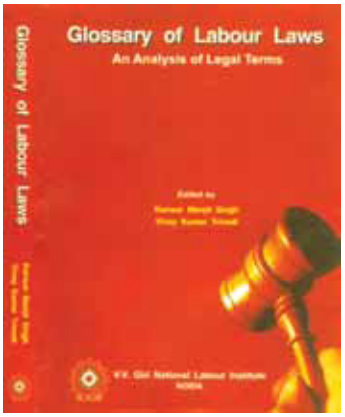

# एन.आर. डे. श्रम सूचना संसाधन केन्द्र

एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधन केन्द्र देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यन्त विख्यात पुस्तकालय–सह–प्रलेखन केन्द्र है। केन्द्र का नाम संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय श्री नीतीश आर.डे. की स्मृति में जुलाई, 1999 को संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बदलकर एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधन केन्द्र रखा गया था। केन्द्र पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत है और अपने प्रयोक्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है:

## 1. प्रत्यक्ष उपलब्धियां

**पुस्तकें** – अप्रैल 2009 से मार्च 2010 तक पुस्तकालय में 1715 किताबें/रिपोर्ट्स/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं खरीदी जिसके कारण पुस्तकालय में इन पुस्तकों/रिपोर्टों की संख्या 63,075 तक पहुंच गई।

**पत्र–पत्रिकाएं** – समीक्षाधीन अवधि के दौरान पुस्तकालय में 274 व्यावसायिक पत्र–पत्रिकाओं, मैंगजीन जो मुद्रित और इलेक्ट्रोनिक फार्म के रूप में थी, का अंशदान किया।

## 2. सेवाएं

पुस्तकालय निरंतर रूप से अपने उपभोक्ताओं के लिए निम्न सेवाएं बनाए रखता है–

- सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इनफॉरमेशन (एस डी आई)
- करेण्ट जागरूकता सेवा
- संदर्भ सेवा
- आन–लाइन सेवा
- आर्टिकल इण्डेक्सिंग ऑफ जर्नल्स
- समाचार पत्रों के लेखों के कतरन
- माइक्रो फिच सर्च और प्रिंटिंग
- रिप्रोग्रापिफक सेवा
- सीडी रोम सर्च
- दृश्य–श्रव्य सेवा
- वर्तमान विषय–वस्तु सेवा
- आर्टिकल अलर्ट सेवा
- इंटर–लाइब्रेरी लोन सेवा

## 3. उत्पाद

- आवधिक साहित्य की मार्गदर्शिका: तिमाही अंत:संस्थान प्रकाशन, जो 200 से भी अधिक चुनिंदा जर्नलों/पत्रिकाओं में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- करेंट जागरूकता बुलेटिन: तिमाही अंत:संस्थान प्रकाशन, जो एन.आर. डे श्रम सूचना केन्द्र में संग्रहीत संदर्भ सूचना भी प्रदान करता है।
- समाचार पत्रों के लेखों की कतरन: मासिक प्रकाशन, जिसमें प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में छपे लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की जाती है।
- आर्टिकल एलर्ट साप्ताहिक प्रकाशन, जिसमें चुनिंदा जर्नलों/पत्रिकाओं में छपे महत्त्वपूर्ण लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की गई है।
- वर्तमान विषय–वस्तु सेवा: यह मासिक प्रकाशन है। यह अंशदान दिए गए जर्नलों के विषय–वस्तु वाले पृष्ठों का संकलन है।
- आर्टिकल एलर्ट सर्विस: यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला गया है।

## 4. विशिष्टीकृत संसाधन केन्द्रों का रखरखाव

पुस्तकालय भवन में तीन विशिष्टीकृत संसाधन केन्द्रों का सृजन किया गया है और उनका रखरखाव संदर्भ सेवाओं के लिए किया जाता है:

(i) नेशनल रिसोर्स सेंटर ऑन चाइल्ड लेबर

(ii) नेशनल रिसोर्स सेंटर ऑन जेंडर स्टडीज

(iii) नेशनल रिसोर्स सेंटर ऑन एचआईवी/एड्स

(vi) आर्काइव्ज ऑफ इंडियन लेबर

# राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनी प्रावधानों तथा विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए वर्ष 1983 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था और बाद में दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक काम में राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित तथा सामयिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों के माध्यम से परिणामों का प्रचार करने के संबंध में संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करने के लिए 'हिन्दी सेल' का गठन किया गया।

## राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस वर्ष के दौरान भी काम करती रही। समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में क्रमशः 15.06.2009, 14.09.2009, 30.12.2009 और 31.03.2010 को नियमित रूप से हुई। इन बैठकों के दौरान, राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए और तदनुसार लागू किए गए।

## हिन्दी कार्यशाला

संस्थान ने, अनुवाद पर आश्रित रहने के बजाए हिन्दी में मूल रूप से काम करने में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की। कार्यशालाएं 19.06.2009, 14.09.2009, 30.12.2009 और 31.03.2010 को आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पणी और आलेखन तैयार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशालाओं में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को, भारत सरकार की राजभाषा नीति, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों और अपने दिन–प्रतिदिन के काम में प्रतिभागियों द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के बारे में भी बताया गया।

## तिमाही रिपोर्ट

सभी चारों तिमाहियों, अर्थात 31 मार्च, 2009, 30 जून, 2009, 30 सितम्बर, 2009 और 31 दिसम्बर, 2009 को समाप्त तिमाहियों से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित आधार पर और समय से पहले श्रम मंत्रालय को भेजी गई।

## हिन्दी पखवाड़ा

संस्थान में 14 सितम्बर, 2009 से 30 सितम्बर, 2009 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ तत्कालीन निदेशक, श्री एस.के. देववर्मन ने 14.09.2009 को किया।

इस अवधि में हिन्दी भाषा के प्रयोग में उत्तरोत्तर प्रगति लाने के उद्देश्य से सामान्य टिप्पणी–आलेखन प्रतियोगिता; निबंध लेखन प्रतियोगिता; सस्वर काव्य/गीत/गजल प्रतियोगिता; सुलेख–श्रुतलेख प्रतियोगिता; हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता; आशु भाषण प्रतियोगिता; चित्रलेखन प्रतियोगिता एवं वाद– विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इन प्रतियोगिताओं में संस्थान के कर्मचारियों, अधिकारियों, फैकल्टी सदस्यों एवं उनके बच्चों ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया और कुल 35,800 रूपए पुरस्कार के रूप में जीते। पुरस्कार का वितरण दिनांक 30.09.2009 को निदेशक, श्री वी.पी. यजुर्वेदी के कर कमलों से किया गया।

## प्रशिक्षण कार्यक्रम

अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 की अवधि के दौरान आयोजित किए गए 122 कार्यक्रमों में से 87 कार्यक्रम केवल हिन्दी भाषा में, 6 कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में ही आयोजित किए गए और 26 कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी का मिला–जुला रूप इस्तेमाल किया गया।

# कर्मचारियों की संख्या (31.3.2010 की स्थिति के अनुसार)

| समूह | स्वीकृत संख्या | तैनाती |
|---|---|---|
| निदेशक | 1 | 1 |
| फैकल्टी | 15 | 9 |
| समूह क | 5 | 3 |
| समूह ख | 8 | 7 |
| समूह ग | 31 | 17 |
| समूह घ | 25 | 25 |
| **कुल** | 85 | 62 |

# फैकल्टी

संस्थान के फैकल्टी में विविध विषयों, जिनमें अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, श्रम कानून, सांख्यिकी, लोक प्रशासन आदि शामिल हैं, के प्रतिनिधि रखे गए हैं। इस विविधता से अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा को अंतर्विषयक आधार मिलता है। फैकल्टी सदस्यों और अधिकारियों की सूची निम्नलिखित है:

## संस्थान की फैकल्टी

| | **श्री वेद प्रकाश यजुर्वेदी, एम.टेक, एम.बी.ए.** | **निदेशक** |
|---|---|---|
| 1. | महावीर जैन, एम.ए., पीएच.डी. | वरिष्ठ फैलो |
| 2. | एम.एम. रहमान, एम.ए., पीएच.डी. | वरिष्ठ फैलो |
| 3. | एस.के. शशिकुमार, एम.ए., पीएच.डी. | वरिष्ठ फैलो |
| 4. | पूनम एस. चौहान, एम.ए., पीएच.डी. | फैलो |
| 5. | हेलन आर. सेकर, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. | फैलो |
| 6. | संजय उपाध्याय, एल.एल.एम. पी.एच.डी. | फैलो |
| 7. | रुमा घोष, एम.ए., एम. फिल., पीएच.डी. | फैलो |
| 8. | शशि बाला, एम.ए., पीएच.डी. | एसोसिएट फैलो |
| 9. | अनूप के. सतपथी, एम.ए., एम.फिल. | एसोसिएट फैलो |

## अधिकारी

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जे.के. कौल, डीबीए, पीजीडीटीडी | कार्यक्रम अधिकारी |
| 2. | हर्ष सिंह रावत, एम.बी.ए. (वित्त), एआईसीडब्ल्यूए | लेखा अधिकारी |
| 3. | वी.के. शर्मा, बी.ए. | सहायक प्रशासन अधिकारी |
| 4. | के.सी. खुराणा, एम.ए., सी.सी.टी., पी.जी.डी.जे.,पी.जी.डी.बी.पी. | प्रबंधक (प्रकाशन)–प्रभारी |
| 5. | एस.के. वर्मा, एम.एससी., एम.एल.आई.एससी. | सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी |

# वार्षिक लेखा
# और
# लेखा-परीक्षा रिपोर्ट
# 2009-2010

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
V. V. GIRI NATIONAL LABOUR INSTITUTE

# लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

## 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

| पैरा संख्या | पैरा | संस्थान की टिप्पणियां |
|---|---|---|
| 1. | हमने, नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत 31 मार्च, 2010 को यथास्थिति, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) के संलग्न तुलन–पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की लेखा–परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। यह लेखा–परीक्षा 2012–13 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है। | स्थिति वास्तविक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं। |
| 2. | इस अलग लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्राक एवं महालेखा–परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) और दक्षता व कार्य–निष्पादन संबंधी पहलुओं, यदि कोई हों, के अनुपालन में वित्तीय लेनदेनों पर लेखा–परीक्षा की टिप्पणी की सूचना, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की लेखा–परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है। | स्थिति वास्तविक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं। |
| 3. | हमने, भारत में आमतौर पर अपनाए गए लेखा–परीक्षा करने के मानकों और लागू होने वाले नियमों के अनुसार लेखा–परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा–परीक्षा की योजना बनाएं और लेखा–परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखा–परीक्षा में, एक परीक्षण आधार पर जांच करना, लेखाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में अभिव्यक्ति शामिल होते हैं। लेखा–परीक्षा में, इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना शामिल है। | स्थिति वास्तविक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं। |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:<br>(i) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा–परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं;<br>(ii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रपत्र पर बनाया गया है।<br>(iii) हमारी राय में, जहां तक लेखाबहियों की जांच से पता चलता है, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा – गौतमबुद्ध नगर (संस्थान) द्वारा लेखाओं की उचित लेखाबहियां और अन्य संबंधित रिकार्ड रखे गए हैं।<br>(vi) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि : | स्थिति वास्तविक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं। |
| **क.** | **सामान्य** | |
| क.1 | संस्थान के लेखा नकद आधार पर तैयार किए जाते हैं (केवल स्थायी जमा रसीद पर प्राप्त ब्याज को छोड़कर)। इस प्रकार का लेखा रखना भारत सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए विनिर्धारित लेखा के सामान्य फोर्मेट में दिए गए निर्देशों के अनुसार नहीं है। संस्थान ने इस बात को स्वीकार कर लिया है और भविष्य में तदनुसार लेखे रखे जाएंगे। | सुझावों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। |
| **ख.** | **सहायता अनुदान**<br>वर्ष 2009–10 के दौरान संस्थान ने भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से 706.47 लाख का सहायता अनुदान प्राप्त किया (392.47 योजनागत तथा 314.00 लाख योजनेतर) (50 लाख रुपए का योजनेतर सहायता अनुदान मार्च, 2010 में प्राप्त किया गया) इसके अतिरिक्त संस्थान ने 55.90 लाख रुपए अन्य अभिकरणों से और संस्थान की अपनी आय से 171.56 लाख रुपए प्राप्त हुए। 933.93 लाख रुपयों में संस्थान केवल 869.25 लाख रुपए ही खर्च कर सका। संस्थान के पास 64.68 लाख रुपए की धनराशि शेष बची है। | वास्तविक स्थिति |
| **ग.** | **प्रबंधन पत्र**<br>जिन कमियों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं किया गया उन्हें संस्थान के नोटिस में प्रबंधन पत्र के माध्यम से ला दिया गया है। यह प्रबंधन पत्र अलग से उचित कार्रवाई के लिए जारी किया गया है। | सुझाव के अनुसार आवश्यक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। |
| 5. | पिछले पैराग्राफों में दी गई हमारी टिप्पणियों की शर्त के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्रा और आय एवं व्यय लेखे/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, लेखाबहियों से मेल खाते हैं। | स्थिति वास्तविक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं। |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों तथा अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की शर्त के अधीन उक्त वित्तीय विवरण निम्नलिखित के संबंध में, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं: | स्थिति वास्तविक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं। |
| | क. जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च, 2010 को यथास्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के कार्य के तुलन–पत्रा से संबंधित है; और | स्थिति वास्तविक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं। |
| | ख. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष राशि के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है। | स्थिति वास्तविक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं। |

**ह./-**
**प्रधान महालेखाकार**
**(सिविल लेखा-परीक्षा) उत्तर प्रदेश**
**भारत के नियंत्रक एवं**
**महालेखा-परीक्षक की ओर से**
**स्थान : इलाहाबाद**

**ह./-**
**निदेशक**
**वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान**
**दिनांक :**
**स्थान : नोएडा**

अस्वीकरण

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

## 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**<br><br>संस्थान में आन्तरिक लेखा परीक्षा पद्धति प्रचलन में नहीं है। इसे अब स्थापित किया जाना चाहिए। | **संस्थान की आंतरिक लेखा–परीक्षा श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली के कर्मचारियों की टीम द्वारा किया गया।** |
| 2. | **आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**<br><br>आन्तरिक नियत्रण प्रबंध तंत्र का वह टूल है जो पर्याप्त रूप से यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय रिपोर्टिगं की विश्वसनीयता, प्रचालन की प्रभावशीलता एवं प्रभाव कारिता, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन होना आदि उद्देश्यों की प्राप्ती हो रही है। यह उत्तरदायित्व स्वायत निकायों का है और उन्हें चाहिए कि वे सुशासन के लिए विशिष्ट नियमावली का निमार्ण करें। संस्थान के संगम ज्ञापन एवं नियम विनियमों का अध्ययन करने से पता चलता है कि संस्थान में विशिष्ट नियम/सुशासन नहीं बनाए हैं। | **लेखा–परीक्षकों द्वारा सुझाए गए अनुसार आवश्यक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।** |
| 3. | **परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**<br><br>वर्ष 2009–10 के लिए परिसंपत्तियों और इंवेंट्री का प्रत्यक्ष सत्यापन अप्रैल, 2010 में किया गया। | **स्थिति वास्तविक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं।** |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | **इनवैंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**<br><br>वर्ष 2009–2010 के लिए पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन दिसंबर, 2009 में किया गया है। | **स्थिति वास्तविक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं।** |
| 5. | **देय भुगतानों में नियमितता**<br><br>कोई विधिक देय पिछले 6 महीनो से अधिक अवधि के लिए कोई बकाया नहीं था। | **स्थिति वास्तविक है, अतः कोई टिप्पणी नहीं।** |

# वी.वी. गिरि राष्टीय श्रम संस्थान, नोएडा

## 31 मार्च, 2010 को यथास्थिति तुलन-पत्र

| पिछले वर्ष के आंकड़े | देयताएं | अनुसूची | चालू वर्ष के आंकड़े |
|---|---|---|---|
| 113709643.00 | पूंजीगत निधि | ए | 104363492.00 |
| 38377926.00 | विकास निधि | बी | 41502304.00 |
| 5060513.00 | आरक्षित और अधिशेष | सी | 7117244.00 |
| 28778908.00 | विनिर्धारित निधि | डी | 32225908.00 |
| 34142177.00 | चालू देयताएं और प्रावधान | ई | 42486853.00 |
| **220069167.00** | **जोड़** | | **227695801.00** |
| | **परिसंपत्तियां** | | |
| 108454571.00 | स्थायी परिसंपत्तियां | एफ | 96289696.00 |
| 33181145.00 | निवेश | जी | 41252730.00 |
| 78433451.00 | चालू परिसंपत्तियां, ऋण और पेशगियां | एच | 90153375.00 |
| **220069167.00** | **जोड़** | | **227695801.00** |

ह./–
हर्ष सिंह रावत
लेखा अधिकारी

ह./–
वी.के. शर्मा
प्रशासन अधिकारी (प्रभारी)

ह./–
वी. पी. यजुर्वेदी
निदेशक

# वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा

## 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

| पिछले वर्ष के आंकड़े | देयताएं | अनुसूची | चालू वर्ष के आंकड़े |
|---|---|---|---|
| | **आय** | | |
| 61186649.00 | सहायता अनुदान | आई | 64590494.00 |
| 9082886.00 | फीस/अभिदान | जे | 8045298.00 |
| 2933.00 | अर्जित ब्याज | के | 107.00 |
| 11116990.00 | अन्य आय | एल | 9110519.00 |
| **81389458.00** | **जोड़ क** | | **81746418.00** |
| | **व्यय** | | |
| 25631587.00 | स्थापना व्यय | एम | 28840935.00 |
| 19121045.00 | प्रशासनिक व्यय | एन | 16788987.00 |
| 33923602.00 | योजनागत अनुदान/रियायत पर व्यय | ओ | 33306016.00 |
| **78676234.00** | **जोड ख** | | **78935938.00** |
| 2713224.00 | मूल्य ह्रास से पूर्व आय से अधिक व्यय क–ख | | 2810480.00 |
| 21913090.00 | मूल्य ह्रास | एफ | 16293887.00 |
| (100589324.00) | अधिशेष होने के कारण शेष/घाटा पूंजी निधि में ले जाया गया | | (13483407.00) |

**ह./–**
**हर्ष सिंह रावत**
**लेखा अधिकारी**

**ह./–**
**वी.के. शर्मा**
**प्रशासन अधिकारी (प्रभारी)**

**ह./–**
**वी. पी. यजुर्वेदी**
**निदेशक**

# वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा

## 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

| पिछला वर्ष | प्राप्तियां | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | भुगतान | चालू वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1 आदि शेष** | | | **1 व्यय** | |
| 50117.95 | क. हस्त रोकड़ एच | 19394.95 | 25631587.00 | i) स्थापना व्यय एम | 28840935.00 |
| | ख. बैंक शेष एच | | 19119417.00 | ii) प्रशासनिक व्यय एम | 16780743.00 |
| 2590849.80 | i) चालू खाते में | 15274845.80 | 33923602.00 | iii) योजनागत अनुदान का उपयोगओ | 33306016.00 |
| 35566708.18 | ii) जमा खाते में | 41299544.96 | | | |
| 7171911.03 | iii) बचत खाते में | 3041388.63 | 4755875.00 | **2) स्थाई परिसम्पत्तियां एफ** | 4137256.00 |
| 30341.00 | ग. हस्तगत डाक टिकट | 54655.00 | | | |
| | **2) प्राप्त अनुदान** | | 16631762.40 | **3) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि के प्रति किए गए भुगतान एच** | 3859657.00 |
| 78500000.00 | i) भारत सरकार (श्र.एवं. रो.मं.) से आई | 70647000.00 | | | |
| 11444699.00 | ii) अन्य एजंसियों से एच | 5590334.00 | 592364.00 | **4) स्टाफ को पेशगी** | 509942.00 |
| | **3) प्राप्त ब्याज** | | | **4) स्टाफ/अन्य संस्थानों से वसूली का प्रेषण** | |
| 4200548.38 | i) बैंक जमा पर एच | 3321982.84 | 126720.00 | निदेशक, वी.वी.गि.रा.श्र.सं. | 58725.00 |
| 2933.00 | ii) अर्जित ब्याज के | 107.00 | 75040.00 | प्रशासन अधिकारी, वी.वी.गि.रा.श्र.सं. | 27680.00 |
| | | | 15600.00 | वी.के. त्रिवेदी, फेलो | 0.00 |
| 9082886.00 | **4) फीस/अभिदान जे** | 8045298.00 | 272568.00 | समूह बीमा | 68101.00 |
| | | | 2093604.00 | आयकर | 2514409.00 |
| 11116990.00 | **5) अन्य आय** | 9110519.00 | 2901433.00 | अंशदायी भविष्य निधि अभिदान | 4797860.00 |
| | (अनुसूची के अनुसार) एल | | 1587474.00 | अंशदायी भविष्य निधि पेशगी | 1164494.00 |
| 297784.00 | **6) पेशगियों की वसूली** | 418224.00 | 252278.00 | गृह निर्माण पेशगी | 296821.00 |
| | (स्टाफ से) एच | | 355346.00 | गृह निर्माण पेशगी पर ब्याज | 28909.00 |
| | | | 5040.00 | कम्प्यूटर पेशगी | 35600.00 |
| | **7) प्रेषणों के लिए स्टाफ के वेतनों से वसूली** | | 6480.00 | कम्प्यूटर पेशगी पर ब्याज | 6000.00 |
| 126720.00 | निदेशक, वी.वी.गि.रा.श्र.स. | 58725.00 | | | |
| 75040.00 | पूर्व प्रशासन अधिकारी, वी.वी.गि.रा.श्र.सं. | 27680.00 | | **5) अन्य भुगतान** | |
| 15600.00 | वी.के. त्रिवेदी, फेलो | 0.00 | 123688.00 | प्रतिभूमि जमा की वापसी | 128289.00 |
| 272568.00 | समूह बीमा | 68101.00 | 200000.00 | विविध देनदार | 0.00 |
| 2093604.00 | आय कर | 2514409.00 | 3287695.00 | बाह्य कार्यक्रम के लिए भुगतान | 1299603.00 |
| 2901433.00 | अंशदायी भविष्य निधि अभिदान | 4797860.00 | | | |
| 1587474.00 | अंशदायी भविष्य निधि पेशगी | 1164494.00 | | **6) अंतःशेष** | |
| 206706.00 | गृह निर्माण पेशगी | 296821.00 | 19394.95 | i) हस्त रोकड़ एच | 9762.95 |
| 78459.00 | गृह निमार्ण पेशगी पर ब्याज | 28909.00 | | ii) बैंक शेष एच | |
| 3600.00 | कम्प्यूटर पेशगी | 35600.00 | 15274845.80 | a) चालू खाते में | 17927320.80 |
| 6480.00 | कम्प्यूटर पेशगी पर ब्याज | 6000.00 | 3041388.63 | b) जमा खाते में | 4438977.47 |
| | | | 41299544.96 | c) बचत खाते में – परियोजना | 47195393.96 |
| | **8) अन्य प्राप्तियां** | | 54655.00 | iii) हस्तगत डाक टिकट | 36217.00 |
| 33025.00 | प्रतिभूमि जमा | 401380.00 | | | |
| 4190925.00 | बाह्य कार्यक्रम के लिए प्राप्तियां | 1245439.00 | | | |
| **171647402.34** | **जोड़** | **167468712.18** | **171647402.74** | **जोड़** | **167468712.18** |

| | | |
|---|---|---|
| ह./– | ह./– | ह./– |
| हर्ष सिंह रावत | वी.के. शर्मा | वी. पी. यजुर्वेदी |
| लेखा अधिकारी | प्रशासन अधिकारी (प्रभारी) | निदेशक |

# वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा

## अंशदायी भविष्य निधि

## 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

(रुपयों में)

| पिछला वर्ष | प्राप्तियां | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | भुगतान | चालू वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| | **आदि शेष** | | 2515858.00 | कर्मचारियों द्वारा आहरित अ.भ. नि. अभिदान | 1101016.00 |
| | **(रोकड़ बही के अनुसार)** | | 2205966.00 | कर्मचारियों को प्रदत्त संस्थान के हिस्से द्वारा | 283890.00 |
| 58526.05 | आईओबी–बचत बैंक खाता | 37223.05 | 1374464.00 | संस्थान को प्रदत्त पेशगी द्वारा | 1517262.00 |
| 7706.00 | प्राप्त ब्याज में – बचत खाता | 17668.00 | 1229500.00 | आईओबी–एफडीआर द्वारा | 23000677.00 |
| 2905933.00 | स्टाफ अभिदान में | 4102161.00 | 0 | कारपोरेशन बैंक–फ्लेक्सी–एफडीआर द्वारा | 1037779.00 |
| 868630.00 | पेशगी वसूली में | 1138434.00 | 130 | बैंक प्रभारों द्वारा | 9.00 |
| 1596931.00 | प्राप्त संस्थान अंशदान में | 1939952.00 | | अंतःशेष द्वारा | |
| 1769030.00 | आईओबी– भुनाई गई एफडीआर में | 14758877.00 | | (रोकड़ बही के द्वारा) | |
| 0.00 | डाकघर–भुनाई गई टीडीआर में | | 37223.05 | आईओबी–बचत खाता | 38626.05 |
| 156385.00 | प्राप्त ब्याज – एफडीआर | 4984944.00 | | | |
| **7363141.05** | **जोड़** | **26979259.05** | **7363141.05** | **जोड़** | **26979259.05** |

| | | |
|---|---|---|
| ह./–<br>**हर्ष सिंह रावत**<br>**लेखा अधिकारी** | ह./–<br>**वी.के. शर्मा**<br>**प्रशासन अधिकारी (प्रभारी)** | ह./–<br>**वी. पी. यजुर्वेदी**<br>**निदेशक** |

# वी.वी. गिरि राष्टीय श्रम संस्थान, नोएडा

## अनुसूची

### अनुसूची-क - पूंजीगत निधि

(धनराशि रुपयों में)

| | | | पिछला वर्ष | चालू वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में शेष | | | 128153634.06 | 113709643.06 |
| जोड़ें: पूंजीगत निधि के प्रति अंशदान | | | | |
| योजनागत अनुदानों से | – | 4021734.00 | | |
| गैर–योजनागत अनुदानों से | – | 115522.00 | 4755875.00 | 4137256.00 |
| घटाएं : आय से अधिक व्यय | | | 19199866.00 | 13483407.00 |
| **वर्ष के अंत में शेष** | | | **113709643.06** | **104363492.00** |

### अनुसूची ख - विकास निधि

(धनराशि रुपयों में)

| | पिछला वर्ष | चालू वर्ष |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में शेष | 34321174.42 | 38377926.00 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ें: बैंक खाते पर ब्याज–एफडीआर | 4041332.78 | 3107676.00 |
| जोड़ें: बैंक खाते पर ब्याज–बचत खाता | 15419.00 | 16702.00 |
| **वर्ष के अंत में शेष** | **38377926.00** | **41502304.00** |

### अनुसूची ग - आरक्षित और अधिशेष

(धनराशि रुपयों में)

| | पिछला वर्ष | चालू वर्ष |
|---|---|---|
| **परिक्रमी निधि** | | |
| **क. परिक्रमी गृह निर्माण पेशगी निधि** | | |
| पिछले वर्ष के अनुसार शेष | 2364389.93 | 2135161.00 |
| जोड़ें: बैंक से अर्जित ब्याज–बचत खाता | 4638.00 | 6355.00 |
| जोड़ें: बैंक खाते पर ब्याज–एफडीआर | 88592.00 | 74949.00 |
| जोड़ें: स्टाफ से की गई वसूली | 0.00 | 34453.00 |
| घटाएं : पिछले वर्ष के लिए वसूली | 322459.00 | 0.00 |
| **अंत शेष** | **2135161.00** | **2250918.00** |
| **ख. परिक्रमी कम्प्यूटर निधि** | | |
| पिछले वर्ष के अनुसार शेष | 274745.30 | 309779.00 |
| जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज | 10074.00 | 8767.00 |
| जोड़ें: स्टाफ से प्राप्त ब्याजं | 26400.00 | 14395.00 |
| जोड़ें: स्टाफ से की गई वसूली | 0.00 | 0.00 |
| घटाएं : पिछले वर्ष के लिए वसूली | 1440.00 | 0.00 |
| **शेष** | **309779.00** | **332941.00** |
| **ग. परियोजना निधि** | | |
| पिछले वर्ष के अनुसार शेष | 6812903.56 | 2615573.16 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त | 9755680.40 | 5049015.00 |
| जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज | 40492.60 | 107533.84 |
| घटाएं : पिछले वर्ष के दौरान व्यय, यदि कोई है | 13993503.40 | 3238737.00 |
| **शेष** | **2615573.00** | **4533385.00** |
| जोड़ (क + ख + ग) | **5060513.00** | **7117244.00** |

## अनुसूची घ - विनिर्धारित की गई निधि (चल रहा कार्य)

(धनराशि रुपयों में)

| | पिछला वर्ष | चालू वर्ष |
|---|---|---|
| पिछले वर्ष के अनुसार शेष | 16221432.00 | 28778908.00 |
| जोड़ें: के.लो.नि.वि. को जमा कार्य के लिए योजनागत अनुदान | | 1527750.00 |
| जोड़ें: अवसंरचना कार्य के लिए योजनागत अनुदान–अग्रेनीत | 12557476.00 | 1919250.00 |
| | 28778908.00 | 32225908.00 |
| घटाएं : पिछले वर्ष के दौरान निपटाया गया | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | **28778908.00** | **32225908.00** |

## अनुसूची ड. - चालू देयताएं और प्रावधान

(धनराशि रुपयों में)

| | पिछला वर्ष | चालू वर्ष |
|---|---|---|
| **क – चालू देयताएं** | | |
| (i) ठेकेदारों से पेशगी/प्रतिभूति जमा | 661032.00 | 934123.00 |
| (ii) विविध देनदान | 300000.00 | 300000.00 |
| जोड़ (क) | 961032.00 | 1234123.00 |
| **ख – प्रावधान** | | |
| (i) सांविधिक देयताएं–सेवानिवृत्ति पर भुगतान योग्य | 33181145.03 | 41252730.00 |
| **जोड़ (ख)** | **33181145.00** | **41252730.00** |
| **जोड़ (क+ख)** | **34142177.00** | **42486853.00** |

## अनुसूची च - स्थायी परिसंपत्तियां

(धनराशि रुपयों में)

| स्थायी परिसंपत्तियां | मूल्यह्रास की दरें | आदि शेष | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाला गया | 31.03.2010 को जोड़ | वर्ष के दौरान मूल्यह्रास | 31.03.2010 को निवल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पुस्तकालय की पुस्तकें | 25% | 8195924.00 | 3157909 | 8244 | 11345589.00 | 2442570.75 | 8903018.00 |
| फर्नीचर और जुड़नार | 10% | 7482290.00 | 42922 | 0 | 7525212.00 | 752521.20 | 6772691.00 |
| वाहन | 15% | 1413141.00 | 0 | 0 | 1413141.00 | 211971.15 | 1201170.00 |
| उपकरण | 15% | 17183629.00 | 879778 | 0 | 18063407.00 | 2643527.70 | 15419879.00 |
| कंप्यूटरीकरण | 60% | 5596858.00 | 56647 | 0 | 5653505.00 | 3385023.00 | 2268482.00 |
| भवन | 10% | 68582729.00 | 0 | 0 | 68582729.00 | 6858272.90 | 61724456.00 |
| भूमि* | | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **जोड़** | | **108454571.00** | **4137256** | **8244** | **112583583.00** | **16293887.00** | **96289696.00** |

*भूमि राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार को 1981 में दान में दी गई थी इसलिए इसमें कोई लागत शामिल नहीं है।

## अनुसूची छ - निवेश

(धनराशि रुपयों में)

| विवरण | आदि शेष | पेशगियां/ जमा को | वसूली/ आहरण से | अंतः शेष |
|---|---|---|---|---|
| अंशदायी भविष्य निधि | | | | |
| इंडियन ओवरसीज बैंक में | 26025600.05 | 9279947 | 0 | 35305547.05 |
| स्टाफ को पेशगी के रूप में | 1482333.30 | 1517262.00 | 1138434 | 1861161.30 |
| अर्जित ब्याज | 5673211.68 | 0 | 1587189.75 | 4086021.93 |
| जोड़ | 33181145.00 | 10797209 | 2725624 | 41252730.00 |

# अनुसूची ज - चालू परिसंपत्तियां, ऋण और पेशगिया

## क. चालू परिसंपत्तियां

### (क) योजनागत और गैर-योजनागत लेखा

(धनराशि रुपयों में)

| विवरण | आदि शेष | अंतः शेष |
|---|---|---|
| 1. हाथ रोकड़ | 19394.95 | 9762.95 |
| 2. बैंक शेष | | |
| इंडियन ओवरसीज बैंक में चालू खाते में | 15274845.80 | 17454874.80 |
| मियादी जमा–आईओबी | 2588829 | 5302053.00 |
| 3. डाक टिकट लेखा | 54655.00 | 36217.00 |
| **जोड़ (क)** | **17937724.75** | **22802907.75** |

### (ख) परियोजना लेखा

(धनराशि रुपयों में)

| | आदि शेष | वर्ष के दौरान प्राप्त | बैंक ब्याज | वर्ष के दौरान व्यय | अंतः शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| **इंडियन ओवरसीज बैंक में चालू खाते में** | | | | | |
| वाणिज्य मंत्रालय–वैश्विक डाउनटर्न पर परियोजना | 0.00 | 2596500.00 | 0.00 | 2124054.00 | 472446.00 |
| इंडियन ओवरसीज बैंक में बचत खाते में | | | | | |
| विकास निधि.10355 | 17210.24 | 0.00 | 16702.00 | 0.00 | 33912.24 |
| एनआरसीसीएल खाता.4475 | 10582.46 | 0.00 | 357.00 | 2813.00 | 8126.46 |
| एफसीएनआर खाता .10500 | 7241.00 | 0.00 | 30686.00 | 0.00 | 37927.00 |
| आईएलओ–नेटवर्किंग.11015 | 79820.00 | 0.00 | 2632.00 | 6000.00 | 76452.00 |
| आईएलओ–उत्तम कार्य के लिए शिक्षा शास्त्रीय सामग्री.11959 | 111061.00 | 0.00 | 3520.00 | 0.00 | 114581.00 |
| आईएलओ–इंडस बाल श्रम परियोजना.12726 | 7684.00 | 0.00 | 7368.00 | 0.00 | 15052.00 |
| आईएलओ–एचआईवी/एड्स की रोकथाम (Part-IV) 12813 | 1247.00 | 261215.00 | 2360.00 | 46921.00 | 217901.00 |
| समुद्र पारीय कार्य मंत्रालय–कौशल विकास प्रणाली.13409 | 22121.00 | 0.00 | 623.00 | 8558.00 | 14186.00 |
| श्र.एवं रो.मं.–एमसीएलपी का मूल्यांकन.13004 | 1460406.00 | 0.00 | 38412.00 | 65679.00 | 1433139.00 |
| आईओसीएल–श्रम उपलब्धता पर अध्ययन.13798 | 391682.00 | 0.00 | 8349.00 | 125421.00 | 274610.00 |
| ज.जा.का.मं.–जनजातीय महिला प्रवार.13797 | 182034.00 | 0.00 | 1872.00 | 183906.00 | 0.00 |
| ग्रा.वि.मं.–नरेगा परियोजना–13613 | 140391.00 | 0.00 | 2467.00 | 142858.00 | 0.00 |
| सा.न्याय एवं. अ.मं.–स्वच्छता कर्मकारों पर परियोजना | 0.00 | 941300.00 | 0.00 | 0.00 | 941300.00 |
| बैंक के पास गृह निर्माण पेशगी–2637 | 158825.93 | 471324.00 | 6355.00 | 590920.00 | 45584.93 |
| बैंक के पास कम्प्यूटर पेशगी–7942 | 249779.30 | 69995.00 | 8767.00 | 30000.00 | 298541.30 |
| **सिंडिकेट बैंक में बचत खाते में :** | | | | | |
| यूएनडीपी–सामाजिक सुरक्षा.8980;1211द्ध | 201303.70 | 0.00 | 8887.84 | 0.00 | 210191.54 |
| **कॉरपोरेशन बैंक में बचत खाते में :** | | | | | |
| आ.ए.श.ग.उ.मं.–शहरी गरीबी उपशमन.2663 | 0.00 | 1250000.00 | 0.00 | 532527.00 | 717473.00 |
| **भा.स्टेट बैंक में एफडीआर खाते में :** | | | | | |
| विकास निधि–एफडीआर | 38360715.96 | 0.00 | 3107676.00 | 0.00 | 41468391.96 |
| **इंडियन ओवरसीज बैंक में एफडीआर खाते में :** | | | | | |
| गृह निर्माण पेशगी–एफडीआर | 350000.00 | 0.00 | 74949.00 | 0.00 | 424949.00 |
| **जोड़ (ख)** | **41752104.59** | **5590334.00** | **3321982.84** | **3859657.00** | **46804764.43** |
| **जोड़ (क) (क+ख)** | **59689829.34** | | | | **69607672.18** |

## अनुसूची ज - चालू परिसंपत्तियां, ऋण और पेशगियां

जारी...

### ख. ऋण और पेशगियां

(धनराशि रुपयों में)

| विवरण | आदि शेष | वर्ष के दौरान पेशगियां | वर्ष के दौरान वसूली | अंतः शेष |
|---|---|---|---|---|
| **ख – ऋण और पेशगियां** | | | | |
| (क) स्टाफ को | | | | |
| त्योहार पेशगी | 50400.00 | 63300.00 | 74400.00 | 39300.00 |
| साइकिल पेशगी | 2150.00 | 6000.00 | 2000.00 | 6150.00 |
| कार पेशगी | 500400.00 | 180000.00 | 54200.00 | 626200.00 |
| स्कूटर पेशगी | 78612.00 | 30000.00 | 59620.00 | 48992.00 |
| एलटीसी पेशगी | 10600.00 | 211142.00 | 193504.00 | 28238.00 |
| विभागीय पेशगी | 15000.00 | 19500.00 | 34500.00 | 0.00 |
| **जोड़ (क)** | **657162.00** | **509942.00** | **418224.00** | **748880.00** |
| **(ख) परिक्रमी निधि से** | | | | |
| स्टाफ को गृह निर्माण पेशगी से | 1626335.00 | 590920.00 | 436871.00 | 1780384.00 |
| स्टाफ को कम्प्यूटर पेशगी | 60000.00 | 30000.00 | 55600.00 | 34400.00 |
| **जोड़ (ख)** | **1686335.00** | **620920.00** | **492471.00** | **1814784.00** |
| **(ग) अन्य एजेंसियों को** | | | | |
| के.लो.नि.वि. को पेशगी–योजनागत 1996–97 | 926516.00 | 0.00 | 0.00 | 926516.00 |
| के.लो.नि.वि. को पेशगी–योजनागत 1998–99 | 238693.00 | 0.00 | 0.00 | 238693.00 |
| के.लो.नि.वि. को पेशगी–योजनागत 1999–2000 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 |
| के.लो.नि.वि. को पेशगी–योजनागत 2000–01 | 3376213.00 | 0.00 | 0.00 | 3376213.00 |
| के.लो.नि.वि. को पेशगी–योजनागत 2003–04 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 |
| के.लो.नि.वि. को पेशगी–योजनागत 2004–05 | 580010.00 | 0.00 | 0.00 | 580010.00 |
| के.लो.नि.वि. को पेशगी–योजनागत 2005–06 | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000000.00 |
| के.लो.नि.वि. को पेशगी–योजनागत 2009–10 | 0.00 | 1527750.00 | 0.00 | 1527750.00 |
| प्राप्त/भुगतान–बाह्य कार्यक्रम/एजेंसियां | 178693.00 | 1299603.00 | 1245439.00 | 232857.00 |
| **जोड़ (ग)** | **16400125.00** | **2827353.00** | **1245439.00** | **17982039.00** |
| **जोड़ (ख) (क+ख+ग)** | **18743622.00** | **3958215.00** | **2156134.00** | **20545703.00** |
| **जोड़ (क+ख)** | **78433451.34** | | | **90153375.00** |

## अनुसूची झ - सहायता अनुदान

(धनराशि रुपयों में)

| पिछले वर्ष के आंकड़े (रु.) | विवरण | चालू वर्ष के आंकड़े (रु.) |
|---|---|---|
| | 1) गैर–योजनागत | |
| 28500000 | 1) भारत सरकार (श्र.एवं.रो.मं. से) | 31400000 |
| | 2) योजनागत | |
| | 2.1) भारत सरकार (श्र.एवं.रो.मं. से) 32247000 | |
| 50000000 | 2.2) भारत सरकार (श्र.एवं.रो.मं. से)–पूर्वोत्तर 7000000 | 39247000 |
| **78500000** | **जोड़** | **70647000** |
| 12557476 | घटाएं : आगे ले जाया गया आधारभूत संरचना कार्य के लिए योजनागत अनुदान | 1919250 |
| 4755875 | घटाएं : पूंजीगत बनाया गया सहायता अनुदान | 4137256 |
| **61186649** | **आय और व्यय लेखा में दिखाई गई धनराशि** | **64590494** |

## अनुसूची ञ - शुल्क/चंदा

(धनराशि रुपयों में)

| पिछले वर्ष के आंकड़े (रु.) | विवरण | चालू वर्ष के आंकड़े (रु.) |
|---|---|---|
| 8589932 | 1) शिक्षा प्रदत्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क | 8002748 |
| 38763 | 2) अवार्ड डाइजस्ट का चंदा | 16850 |
| 15575 | 3) लेबर एण्ड डेवलपमेंट का चंदा | 10450 |
| 261350 | 4) ग्लासरी–लेबर लॉज की बिक्री से प्राप्ति | 5950 |
| 170100 | 5) इण्डिया इन आईएलओ पुस्तक की बिक्री से प्राप्ति | 0 |
| 3041 | 6) श्रम विधान के ग्राहकों से | 5100 |
| 4125 | 7) अन्य पुस्तकों की बिक्री से प्राप्ति | 4200 |
| **9082886** | **जोड़** | **8045298** |

## अनुसूची ट - अर्जित ब्याज

(धनराशि रुपयों में)

| पिछले वर्ष के आंकड़े (रु.) | विवरण | चालू वर्ष के आंकड़े (रु.) |
|---|---|---|
| 522 | 1) साइकिल पेशगी पर ब्याज | 107 |
| 1633 | 2) स्कूटर/वाहन पेशगी पर ब्याज | 0 |
| 778 | 3) पैनल ब्याज | 0 |
| **2933** | **जोड़** | **107** |

## अनुसूची ठ - अन्य आय

(धनराशि रुपयों में)

| पिछले वर्ष के आंकड़े (रु.) | विवरण | चालू वर्ष के आंकड़े (रु.) |
|---|---|---|
| 2102734 | 1) योजनागत व्यय | 2823313 |
| 3302300 | 2) होस्टल के उपयोग से | 4239882 |
| 17300 | 3) निविदा फार्मों की बिक्री | 25300 |
| 120712 | 4) फोटोस्टेट से | 116068 |
| 286365 | 5) गैर–योजनागत आय | 1711222 |
| 1628 | 6) पुस्तकों की लागत वसूली से | 8244 |
| 0 | 7) अप्रयोज्य मदों की बिक्री | 32555 |
| 48633 | 8) स्टाफ क्वार्टर से किराया+लाइसेंस फीस | 55707 |
| 5237318 | 9) परिसर के किराए से आय | 98228 |
| **11116990** | **जोड़** | **9110519** |

## अनुसूची ड - स्थापना व्यय

(धनराशि रुपयों में)

| पिछले वर्ष के आंकड़े (रु.) | विवरण | चालू वर्ष के आंकड़े (रु.) |
|---|---|---|
| 15983923 | 1) स्टाफ के वेतन | 18764506 |
| 1971076 | 2) भत्ते और बोनस | 1609086 |
| 1596931 | 3) अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान | 1243203 |
| 2248413 | 4) कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभों पर व्यय | 1808311 |
| 255596 | 5) छुट्टी वेतन ओर पेंशन अंशदान–प्रतिनियुक्ति स्टाफ के लिए | 0 |
| 3575648 | 6) छठे वेतन आयोग का बकाया | 5415829 |
| **25631587** | **जोड़** | **28840935** |

## अनुसूची ढ - प्रशासनिक व्यय

(धनराशि रुपयों में)

| पिछले वर्ष के आंकड़े (रु.) | विवरण | | चालू वर्ष के आंकड़े (रु.) |
|---|---|---|---|
| 4845480 | 1) बिजली एवं पावर प्रभार | | 3650909 |
| 337511 | 2) जल प्रभार | | 338607 |
| 77345 | 3) बीमा | | 78276 |
| | 4) मरम्मत और रखरखाव | | |
| | 4.1 कम्प्यूटर | 67279 | |
| | 4.2 कूलर/ए.सी. | 319382 | |
| 846047 | 4.3 कार्यालय भवन और सम्बद्ध | 491572 | 878233 |
| 309269 | 5) वाहनचालन और उसका रखरखाव | | 317889 |
| 83366 | 6) डाक तार और सम्प्रेषण प्रभार | | 66490 |
| 200470 | 7) मुद्रण और लेखन सामग्री | | 150608 |
| 1214096 | 8) यात्रा और सवारी व्यय | | 902142 |
| 244565 | 9) स्टाफ सत्कार व्यय | | 129321 |
| 94806 | 10) विज्ञापन और प्रचार | | 139230 |
| 111382 | 11) विविध व्यय | | 83745 |
| 2003506 | 12) परिसर का रखरखाव | | 2612615 |
| 811822 | 13) टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट प्रभार | | 602365 |
| 104207 | 14) हिन्दी प्रोत्साहन व्यय | | 47620 |
| 2684285 | 15) भवन मरम्मत और उन्नयन | | 1116852 |
| 3662561 | 16) शिक्षा–प्रदत्त प्रतिरक्षण कार्यक्रम व्यय | | 4409845 |
| 1488699 | 17) होस्टल रखरखाव व्यय | | 1113524 |
| 0 | 18) विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार | | 142472 |
| **19119417.00** | **जोड़** | | **16780743** |
| 1628 | 19) बट्टे खाते डाली गई स्थायी परिसंपत्तियां | | 8244 |
| **19121045.00** | **आय और व्यय लेखें में अंतरित धनराशियां** | | **16788987** |
| 0 | 20) पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत | | 115522 |
| **19121045.00** | **सकल जोड़** | | **16904509** |

## अनुसूची ण - प्रशासनिक व्यय

(धनराशि रुपयों में)

| पिछले वर्ष के आंकड़े (रु.) | विवरण | चालू वर्ष के आंकड़े (रु.) |
|---|---|---|
| | **क. अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण** | |
| 5387759 | i) अनुसंधान परियोजनाएं, कार्यशाला और प्रकाशन | |
| 8171192 | ii) शिक्षा कार्यक्रम | |
| 3369268 | iii) परिसर में नया स्टाफ | |
| 2043209 | iv) ग्रामीण कार्यक्रम | |
| 1090025 | v) सूचना प्रौद्योगिकी | |
| **20061453** | जोड़ (क) | **23800000** |
| | **ख. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम/परियोजनाएं** | |
| 3987863 | क) शिक्षा कार्यक्रम | |
| 1012137 | ख) परियोजनाएं (सूचना प्रौद्यो./अवसंरचना/प्रकाशन सहित) | |
| **5000000** | जोड़ (ख) | **7000000** |
| | **ग. पुस्तकालय की सुविधाओं में वृद्धि** | |
| 1865251 | i) जर्नलों/पत्रिकाओं में अभिदान | |
| 1795719 | ii) पुस्तकालय की पुस्तकें | |
| 92359 | iii) पुस्तकालय की वृद्धि/आधुनिकीकरण | |
| 1940317 | iv) पुस्तकालय अवसंरचना का विकास | |
| **5693646** | जोड़ (ग) | **5000000** |
| | **घ. अवसंरचना** | |
| 150000 | i) वास्तुशिल्पीय शुल्क | |
| 2166147 | ii) सिविल कार्य | |
| 465951 | iii) विद्युत कार्य/के.लो.नि.वि. को पेशगी | |
| 1208700 | iv) स्थायी इंटीरियर और प्रतिपूर्ति | |
| 356114 | v) सेमिनार हॉल की सीवर लाईन | |
| 2340513 | vi) अतिरिक्त अवसंरचना कार्य का विकास | |
| **6687425** | जोड़ (घ) | **1527750** |
| **37442524** | **जोड़ योजनागत व्यय (क से घ)** | **37327750** |
| 3518922 | घटाए : पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत | 4021734 |
| **33923602** | **आय और व्यय लेखें में अंतरित धनराशियां** | **33306016** |

# वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा

## *महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां*

### वित्त संबंधी औचित्य के मानदंड

प्रत्येक कदम पर सख्त अर्थव्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जैसे स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित सभी वित्त संबंधी औचित्यों के मानदंडों का पालन किया जाता है।

### वित्तीय कथन

संस्थान के वित्तीय कथनों में आय व्यय लेखा, प्राप्ति और भुगतान लेखा और तुलन–पत्र शामिल हैं और इसी पैटर्न को अन्य सोसाइटियों द्वारा अपनाया जा रहा है।

### लेखांकन का आधार

संस्थान के लेखे गैर–लाभ वाले संस्थान के रूप में तैयार किए जाते हैं और इन्हें नकद आधार पर तैयार किया जाता है। इन लेखाओं में भविष्य में प्राप्तियां और भुगतान जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्रालय से प्राप्त की गई सभी अनुदान राशि और आंतरिक रूप से कमाई गई धनराशि जिस वर्ष में अर्जित की जाती है, उसी वर्ष के दौरान खर्च कर दी जाती है।

### सहायता–अनुदान

वित्त मंत्राालय के अधीन प्रायोजित शक्तियों के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत धनराशियां श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से योजनागत और योजनेतर, दोनों रूपों में प्रत्येक वर्ष के लिए प्राप्त की जाती हैं। जिन उद्देश्यों के लिए धनराशियां प्राप्त की गई थीं, उन्हीं मदों पर खर्च किए जाने का उपभोग प्रमाण पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में श्रम मंत्रालय को भेज दिया जाता है।

### पूंजी तथा राजस्व लेखा

साधारण वित्तीय नियमावली या भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से जारी किए गए आदेशों के अनुसार पूंजीगत किस्म की मदों पर किए गए खर्च को राजस्व संबंधी खर्चों से बिल्कुल अलग रखा जाता है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय कथनों को तैयार करते समय साधारण वित्तीय नियमावली और जारी किए गए विशेष आदेशों को ध्यान में रखा जाता है।

### स्थायी परिसम्पत्तियां

सभी स्थायी परिसम्पत्तियों की लागत को मूल रूप में दिखाया जाता है। 10,000/– रुपये से कम लागत की परिसम्पत्तियां खरीद के वर्ष में ही चार्ज की जाती हैं। अब तक अधिग्रहित सभी अन्य परिसम्पत्तियां पंजीकृत हैं। वास्तविक सत्यापन के

बाद सभी अप्रचलित मदों का निपटान कर दिया जाता है और परिसम्पत्तियों तथा पूंजीकृत निधि से कम कर दिया जाता है। मूल्याह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

## परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन और इनवेंटरी

वर्ष के दौरान खरीदी गई सभी वस्तुएं उसी वर्ष के दौरान प्रभारित की जाती हैं। संस्थान की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति द्वारा किया जाता है।

## बेसी (फालतू) वस्तुओं को आगे ले जाना

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अनुदान योजनागत और योजनेतर गतिविधियों के लिए स्वीकृत अनुदान का संचालन राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाते के माध्यम से किया जाता है और सामान्यतः इस अनुदान को उसी वर्ष के दौरान खर्च कर लिया जाता है, जिसमें इसे स्वीकृत किया जाता है। यही कारण है कि संस्थान के पास ऐसी कोई फालतू धनराशि नहीं होती, जिसे अगले वर्ष ले जाया जा सके।

पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुनर्गठित या पुनर्समूहित किया गया है।

**वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा**

सेक्टर–24, नोएडा–201301

उत्तर प्रदेश (भारत)

ई–मेल : vvgnli@vsnl.com

वेबसाइट : www.vvgnli.org